खण्ड-115, अंक-2
मंगलवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(16 दिसम्बर, 1952 ई0)

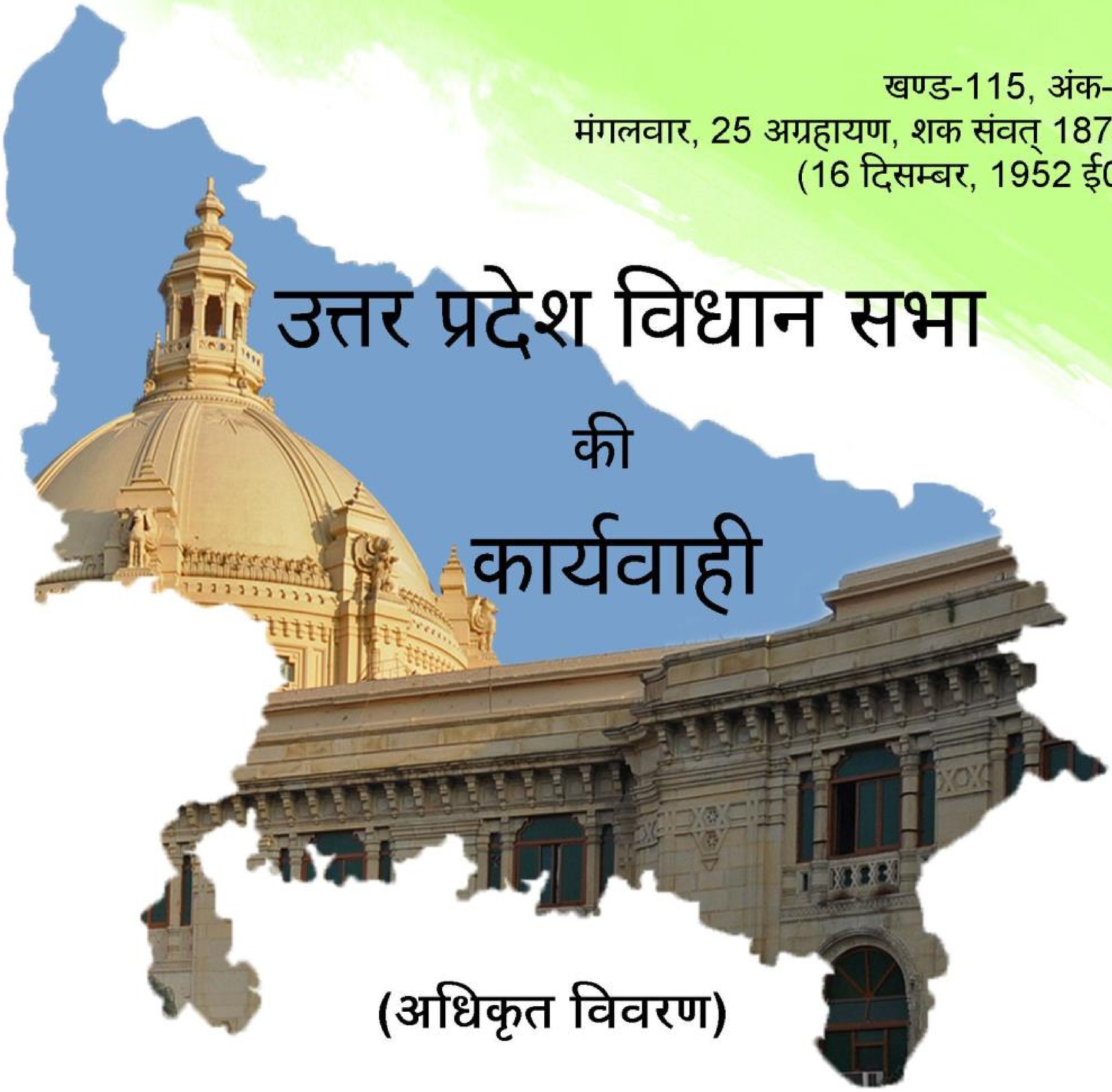

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 115 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली , श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रमशंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भरतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय , श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव ,श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मक़्फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री

सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दुबारी और रामपुर, जिला आज़मगढ़ की अस्थाई पुलिस चौकियां

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना मधुबन, जिला आज़मगढ़ की दोनों पुलिस चौकियां दुबारी और रामपुर ग़ैर-सरकारी भवनों में हैं? यदि हां, तो इन पुलिस चौकियों की उपयोगिता देखते हुए अब तक भवन क्यों नहीं बनाये गये?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, यह पुलिस चौकियां अभी तक अस्थायी हैं अतः इसके लिये नये भवन निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों चौकियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता कब पूरी होगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब उस जगह के लोग काफी जुर्म करेंगे तब यह सम्भव होगा कि वहां की चौकियों को स्थायी करना चाहिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बता सकते हैं कि दुबारी पुलिस चौकी कब से इस भवन में है और बिना किराया दिये ही मकान मालिक के बार-बार हटने की मांग करने पर भी इसे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दुबारी चौकी मौजूदा भवन में लगभग माह अगस्त सन् १९५० ई० से है । पुलिस विभाग किराया देने को तैयार है परन्तु मकान मालिक ने स्वयं लेना स्वीकार न किया । अतः किराया न देने का प्रश्न नहीं उठता है । चूंकि इस हल्के में और कोई दूसरी इस काम लायक़ इमारत अब तक नहीं मिली है इसलिये मौजूदा इमारत नहीं छोड़ी जा सकती है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस मकान के मालिक को कितना किराया दिया जा रहा है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिया जा रहा है का सवाल उठता ही नहीं है, जब कि वह नहीं ले रहे हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री को यह मालूम है कि रामपुर और दुबारी की चौकियां ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां कि तीन जिलों आजमगढ़, देवरिया और बलिया की सरहद मिलती है जिससे उस क्षेत्र में जुर्म बहुत अधिक हुआ करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां पर जुर्म होते हैं तभी वहां पर चौकी रखी जाती है ।

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री को पता है कि दोनों पुलिस चौकियों के बारे में जनता की ओर से आचरण संबंधी शिकायतें की गयी हैं ? क्या इन चौकियों को गांव के बाहर रखने का विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, इन चौकियों को मौजूदा स्थान से हटाने का इस समय कोई विचार नहीं है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतला सकते हैं कि उनके पास जिला अधिकारियों के पास से सितम्बर या जून में वहां की पुलिस चौकी के कर्मचारियों के खिलाफ चरित्र संबंधी शिकायत आयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न के आने के बाद मैंने जांच करायी तो मालूम हुआ कि इस क़िस्म की कोई शिकायत नहीं आयी ।

*४—६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ८८-८९ पर ।]

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—[२३ दिसम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला गढ़वाल में अलकनन्दा और मन्दाकिनी पर लोहे के पुल

*४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल में कीर्तिनगर से भीरी तक जिसकी दूरी ४० मील है अलकनन्दा और मन्दाकिनी में कितने लोहे के पुल हैं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)-- तीन, दो अलकनन्दा पर कीर्तिनगर और रुद्र प्रयाग में और एक मन्दाकिनी पर भीरी में। यह पुल केवल खच्चर और पैदल यात्रियों के लिये पर्याप्त है।

रुद्रप्रयाग-गुप्त काशी (गढ़वाल) मोटर रोड

*५---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार बतायेगी कि गढ़वाल रुद्रप्रयाग गुप्त काशी मोटर रोड़ पर कितने रुपये खर्च हुये और कितने मील सड़क मोटर चलन योग्य बन सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- ८,१०,८४४ रु० केवल ८ मील भिन्न-भिन्न भागों में मोटर चलाने के योग्य पूर्ण हो चुकी है।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय गृह मंत्री कृपापूर्वक यह बतलायेंगे कि रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी मोटर रोड किस वक्त प्रारम्भ कर दी गयी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री जी कृपापूर्वक बतलायेंगे कि जितनी सड़क बनी है उस पर मोटर चल रही हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---चूंकि अभी पूरी सड़क लगातार नहीं बनी है और टुकड़े-टुकड़े बने हैं इसलिये अभी मोटर नहीं चलती हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जो ८ मील सड़क बनी है क्या उस पर मोटर चल रही है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैं अभी बता चुका हूं कि वहां मोटर चलने का प्रश्न नहीं उठता, क्यों कि वह अभी सब नहीं बनी है केवल टुकड़े ही बने हैं और इसलिये वह अभी मोटर चलने योग्य नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गुप्त काशी तक यह सड़क कितने वर्षों में बनाने की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जायगी।

*६---८---श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---[२३ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*९—११—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[३० दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

अयोध्या में सरयू नदी पर पक्का पुल बनवाने की अनुमानित लागत

*१२—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फ़ैज़ाबाद)—अयोध्या में सरयू नदी पर आयोजित पक्का पुल बनवाने की अनुमानित लागत (estimates) कितनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लगभग १,००,५०,००० रुपये।

*१३—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार ने इसको हवड़ा के प्रथम पुल के तरीक़े पर बनवाने का विचार किया है कि ठेकेदार को अपनी पूंजी से पुल बनाने दिया जावे और उस को ४० वर्ष तक उस पुल पर टैक्स वसूल करने का अधिकार रहे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, यह पुल नेशनल हाई वे (National high way पर पड़ता है और नेशनल हाई वे (National high way) के पुलों पर कोई टोल (Toll) नहीं लिया जाता है। इस कारण इस पुल को टोल ब्रिज (Toll bridge) के रूप में नहीं बनवाया जा सकता।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार ने अभी एस्टीमेट लगाया है कि जो टैक्स ब्रिज पर लगता था, उस की महज़ १५—२० साल की आमदनी से ही यह पुल बनवाया जा सकता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पुल पर फ़ेयरी चार्जेज पड़ते थे और कोई टैक्स नहीं पड़ता था चूंकि पानटून ब्रिज पर केवल बरसात में फ़ेयरी चार्जेज लिये जाते हैं।

श्री मदन गोपाल वैद्य—इस सम्पूर्ण ब्रिज पर जो स्टीमर और फ़ेयरी टैक्स से जो सालाना आमदनी है वह कितनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—इस पुल का निर्माण कब से आरम्भ होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से लिखा पढ़ी की गयी है लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है।

* * * *

क्लाइड रोड, लखनऊ से एक लड़की का अपहरण

*४—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५२ में क्लाइड रोड, लखनऊ पर रात के १२ बजे एक लड़की पीली कार में भगायी गई थी?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४—६ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१७ अगस्त, सन् १९५२ की रात को हज़रतगंज पुलिस को टेलीफोन द्वारा यह सूचना मिली कि क्लाइड रोड़ के पास एक मोटर में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आस-पास के लोगों ने सुनी । घटना के स्थान पर पहुंचने पर पुलिस को एक मटमैले रंग की कार सड़क पर खड़ी मिली। घटना की जांच अभी जारी है।

*५—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि यह पीली गाड़ी हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में हिरासत में रक्खी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह गाड़ी हज़रतगंज थाने में लाई गई थी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—जो गाड़ी हज़रतगंज थाने में आई वह आजकल कहां है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अपने मालिक के पास है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या मालिक साहब का नाम मालूम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री इसलाम अहमद ।

*६—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नम्बर से इस बात का पता चला है कि यह गाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी उच्च अधिकारी की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

श्री सीताराम शुक्ल—उनका पद क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इंडियन पुलिस में उनका स्थायी पद सुपरिण्डेण्टेण्ट पुलिस का है ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार ने कोई इनक्वायरी उस अधिकारी के खिलाफ की है कि यह उनकी गाड़ी घटनास्थल पर कैसे आई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस मामले की इनक्वायरी की गई । पुलिस अफ़सर के खिलाफ नहीं, बल्कि मामले की इनक्वायरी की गई।

अतारांकित प्रश्न

जिला जालौन में पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन सड़कें

१—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जालौन जिला की कौन-कौन सी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जिला जालौन की निम्नलिखित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं :—

(अ) लखनऊ–झांसी नेशनल हाई वे (कालपी से मोठ तक) ५६ मील,
(ब) उरई–औरैय्या स्टेट हाई वे (उरई से शेरगढ़ घाट तक) ३५ मील,
(स) जालौन–बगेरा पक्की सड़क ११ मील,
(द) उरई–कुसुमैलिया–मोहाना कच्ची सड़क १४ मील।

२—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या जालौन से शेरगढ़ घाट वाली सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन है ? यदि हां, तो कब तक बन जावेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। दिसम्बर सन् १९५३ ई० तक इस सड़क के बन जाने की आशा की जाती है।

३—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि बंगरा से माधोगढ़ वाली सड़क पहले पक्की थी और अब बिल्कुल नष्ट हो गयी है? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा उसको इसी वर्ष पक्का कराने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, यह सड़क जिला बोर्ड से कच्ची ही ली गयी थी तथा मिट्टी भराई व आवश्यक पुलिया बना कर दिनांक १ अगस्त, १९५२ ई० से अन्य कच्ची सड़कों के साथ जिला बोर्ड को वापिस दे दी गयी है। अतः निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क को पक्का करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दंतसाजों द्वारा दांतों की बिक्री पर कर

४—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में दांत बनाने पर बिक्री कर है?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—दंतसाजों द्वारा दांतों की बिक्री उत्तर प्रदेश बिक्री कर से मुक्त नहीं है लेकिन इस राज्य में दांत बनाने पर कोई बिक्री कर नहीं लिया जाता।

शरणार्थी स्थायी समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि शरणार्थी स्थायी समिति के लिये, जिसके लिये नामजदगियां नहीं आ पायी थीं उसके लिये अब फिर से तारीखें मुक़र्रर की जा रही हैं।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि तथा समयः १८ दिसम्बर, १९५२, १ बजे दिन तक।

नाम निर्देश पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—: १८ दिसम्बर, १९५२, २ बजे दिन। नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय १९ दिसंबर, १९५२, २ बजे दिनतक। निर्वाचन की तिथि तथा समय, यदि आवश्यकता हुई, बाद में निश्चय की जायगी।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति

श्री अध्यक्ष—अब मैंने जैसा पिछले हफ्ते में कहा था, ९ तारीख के भाषण में श्री राज नारायण ने एक हाई कोर्ट के जजमेंट का भाग पढ़ कर सुनाया था उस संबंध में माननीय श्री गौतम जी, स्वशासन मंत्री ने शिकायत की है कि उद्धरण पूरा न पढ़ कर ऐसा हिस्सा पढ़ा गया जिससे कि यह प्रतीत हो, इस सदन को, कि उस फैसले में सरकार के ऊपर कोई आक्षेप लगाये गये हैं। इस प्रकार से इस सदन में भ्रम उत्पादन हो गया है। इसलिये उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि उनके भाषण का वह हिस्सा कार्यवाही में से निकाल दिया जाय। अभी तक तरीक़ा यह रहा है कि नियम १९५ (२) के अनुसार अध्यक्ष कार्यवाही को देख कर अगर कोई चीज हटाना हो तो हटा दिया करता था। यह साधारणतः यहां का रिवाज रहा है। चूंकि इसमें थोड़े बहुत अंश का हटाने का सवाल नहीं था, अधिक अंश का सवाल था, इसलिये मैंने यह उचित समझा कि यह प्रश्न सदन के सामने आजाय इससे पेश्तर कि मैं कोई कार्यवाही करूं। इसलिये मैंने आज का दिन रखा था यह जानने के लिये कि असली बात क्या है। फिर उसके ऊपर मैं विचार कर के निश्चय करूंगा और सदन को इसकी सूचना दे दूंगा।

माननीय स्वशासन मंत्री इसके ऊपर प्रकाश डालें।

श्री रूमूलू की मद्रास में मृत्यु

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक कंडोलैंस रेजोल्यूशन श्री रूमूलू की डेथ के बारे में .....

श्री अध्यक्ष—उसकी मैंने आज्ञा नहीं दी है। मेरी परमिशन से कोई भी मोशन आ सकता है, तो मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है। इसलिये उसका जिक्र नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—सर, प्वाइंट आफ आर्डर, मैं आप की सेवा में यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि श्री स्वशासन मंत्री जी ने जो आपत्ति उठायी है वह अवैधानिक है और इसलिये अवैधानिक है कि हमें उसकी जो प्रतिलिपि मिली है उस प्रतिलिपि में माननीय मंत्री जी ने कोई डैफनिट चार्ज नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस आपत्ति को इस समय उठाने की इजाजत नहीं देता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी कुछ कहा ही नहीं है स्वशासन मंत्री जी जब अपनी बात समाप्त कर दें तब आप वह आपत्ति उठा सकते हैं।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय! जो बात मैं आप की सेवा में रख रहा हूं वह बहुत ही छोटी और सीधी साधी है लेकिन बड़े महत्व की इसलिये है कि उससे हाउस में एक बड़ी ग़लतफहमी हो जाने का अंदेशा है। हाउस में ही नहीं हाउस से बाहर भी जब वह रिपोर्ट गयी है तो जनता में भी उससे जो इम्प्रेशन पैदा होगा वह वाक़ये के खिलाफ है। श्री राज नारायण जी ने जो स्पीच दी है उसकी ओर मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट बाहर भी गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अखबारों में भी यह वाक़या निकला होगा और जब कार्यवाही छपेगी तो वह भी पब्लिक के लिये खुली है।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि किसी अखबार में यह छपा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसका मुझे ठीक पता नहीं, यह मेरा अन्दाजा है।

जो स्पीच उन्होंने दी है उसको हाउस में और आप की सेवा में पढ़ कर इसलिये सुना देना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट पर वह आधारित की गयी है वह ठीक ठीक कोट नहीं की गयी और उससे बिल्कुल उल्टा मतलब निकालने की कोशिश की गयी है तथा ला रिपोर्टर का यह मक़सद कतई नहीं था। श्री राजनारायण जी ने कहा,—

"ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्ट–१९५२ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसला दिया है और वह लिखता है—

"Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of public cannot redound to the credit of the State and the Government and be in their interest."

इसके आगे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुये श्री राज नारायण जी कहते हैं—

"इस तरह के फैसले श्रीमन् हमारे सामने हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी बड़ी खामियां इस सरकार

[श्री मोहन लाल गौतम]

की बतायी गई हैं। एक सम्मानित जज ने तो यहां तक फैसला दिया है कि या तो गवर्नमेंट दिवालिया है या बेईमान है या अयोग्य है। तो क्या यह फैसला एक सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है।"

आगे फिर उसी जज के फैसले को कोट किया जा रहा है --

"ऐसी सरकार को किसी जज का यह रिमार्क हटाने के लिये क्या काफी नहीं है? क्या ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला है, निकालने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं इन विरोधियों और इस तरह के तर्क रखने वाले सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल यह कह कर कि बहुत सी जगह प्रेसीडेण्ट्स ने गलतकाम किये हैं, अधिकार का दुरुपयोग किया गया है इसलिये सरकार के हाथ में यह पावर नहीं देनी चाहिये ऐसे तर्क न उपस्थित करें।" माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस वक्त कहा जा रहा है वह जगह यह है कि प्रेसीडेंट को निकालने की, सस्पेंड करने की बात की जा सकती है, अगर प्रेसीडेंट ग़लती करे तो उसको कौन निकाले। श्रीमन्, उन्होंने कहा है।

"श्रीमन्, इसलिये मैं उन विरोधियों को और इस तरह के तर्क रखने वाले सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल यह कहकर बहुत सी जगह के प्रेसीडेंट ने बहुत ग़लत काम किये हैं और अधिकार का दुरुपयोग किया है, इसलिये सरकार के हाथ में यह पावर आनी चाहिये, ऐसा तर्क उपस्थित न करें। आज सारी दुनिया में लड़ाई है। एक तरफ जनतंत्र है और एक तरफ डिक्टेटरशिप है। मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो ख़तरा है उस ख़तरे को उठाने के लिये हम तैयार हैं। मगर हम राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं और उस ख़तरा को उठाना चाहते हैं। इसी तरह से आज कम्युनिस्ट भी कहता है, आज रूस भी कहता है कि उसके यहां केवल एक पार्टी है जनता की। अतः दूसरी पार्टी को अपने देश में रहने देने का क़ानूनी अधिकार नहीं देंगे। जिस तरह से यह सरकार बहाना ढूंढ़ती है वह भी ढूंढ़ती है। पर उसको आप क्यों दोष देते हैं। श्रीमन् मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आख़िर किस मनोवृत्ति का द्योतक यह विधेयक है?"

इस प्रकार की स्पीच श्री राजनारायण जी ने यहां दी थी और उसका आधार दिया था यह कोटेशन जो "ला रिपोर्टर" के पन्ने २२२ से बतलाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कोटेशन का हवाला है, मैं उस कोटेशन के केवल उसी पैराग्राफ को आप के सामने पढ़ने की आज्ञा चाहूंगा। यह श्री ओम् प्रकाश साहब का मामला है, उसमें जज ने जो कहा है वह इतना है --

"It appears to me, therefore, that the only relief that the Court can give in a suit by a public servant dismissed in contravention of the provisions of these sub-sections is to declare that his dismissal order was against the provisions of the Constitution and was, therefore, void and inoperative. In cases of wrongful dismissal relief for the arrears of pay as a consequential relief may be claimed if it be held that during his service, a Governmnet servant can sue the Government for his pay. In considering such a case the plaintiff's right to go to Court will be the primary point for decision. It appears to me that such suits by public servants would be highly detrimental to public policy. Apart from the feeling which such suits might create between Government and its public servants, they will affect the confidence of the public in the Government. Such suits must necessarily indicate to the

public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonst. Such a feeling in the mind of the public cannot redound to the credit of the State and the Government and be in their interests. Such siuts will be deemed to be impliedly barred from the cognizance of Civil Courts in view of S. 9., C. P. C. Section, 60 & 21, R. 48, C. P. C. do not create rights. They give no rights to sue."

जज का तो कहना है यह कि वह कंफीडेंस लूज करेगा और उसके आगे कहता है . . . .

"Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is eigher bankrupt or is inefficient or is dishonest."

उसके बाद कहता है . . . .

"Such a feeling in the mind of pubic cannot redound to the credit of the State and the Government and be in their interests. Such suits will be deemed to be impliedly barred from the cognizance of Civil Courts."

इससे बिलकुल साफ जाहिर होता है कि जो मंशा जज का था वह यह था कि इस तरह की ग़लतफहमी पब्लिक माइंड में, कि गवर्नमेंन्ट बैंकरप्ट है, इनएफीसिएंट, है डिसआनेस्ट है, नहीं क्रीएट होने देना चाहिये। उसके थोड़े हिस्से को निकाल कर श्री राजनारायण जी ने अपने भाषण में उसको कोट कर के जो साबित करने की कोशिश की है वह यह है कि यह गवर्नमेंट बैंकरप्ट, इन एफीसिएंट और बेईमान है, तो उसको कौन निकाले ? मैं निवेदन करूंगा कि यह हिस्सा बिलकुल ग़लतफहमी पैदा करने वाला है और जो कुछ ला रिपोर्ट में दिया हुआ है उसके माने यह नहीं थे, उसके बिलकुल उलटे माने हैं। श्री राजनारायण जी ने जानबूझ कर इस तरह की चीज सदन के सामने एक बीच के हिस्से को निकाल कर और इस सदन को गलतफहमी में डालने के लिये पेश कर दी है। इस लिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस हिस्से को यहां से निकाल दिया जाय। श्रीमन् अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट इनएफीशियेंट है, बेईमान है, करप्ट है, कहने का अधिकार है या नहीं, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, कोई कह सकते हैं या नहीं या इस सदन में कहना चाहिये या नहीं, इसमें भी मैं नहीं जाना चाहता। अगर हो अधिकार तो कहें और अगर नहीं हो तो नहीं कहें लेकिन मेरा प्वाइंट तो यह है कि किसी दूसरे के मुंह में डालकर जिसने यह बात नही कही हो उसके मुंह में डालकर यह कहना यह चीज गलत है। हाईकोर्ट के जज ने यह नहीं कहा और अगर कहना चाहते थे तो श्री राजनारायण जी खुद कहते लेकिन इसमें कहीं नहीं है जो उन्होंने कहा कि इसमें यह कहा गया है इसलिये गवर्नमेंट डिसआनेस्ट है, इनएफीशियेंट है, करप्ट है और इसलिये यह साबित करने की कोशिश की जाय तो वह बिलकुल गलत है, उससे कोई ताल्लुक इसका नहीं है। मैं इस वक्त इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट डिस्आनेस्ट है या करप्ट है या नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। न इस बहस में पड़ना चाहता हूं कि इन लफ्जों को कहने का अधिकार है या नहीं बल्कि मेरा सबमिशन इस वक्त यह है कि जिस हाईकोर्ट के जज के मुंह में डालकर यह बात गलत कोट करके की गई है उससे गलतफहमी पैदा होती है और अगर वह यहां की प्रोसीडिंग्ज में रहेगी तो हाउस की उसमें शान नहीं है। हाउस के लिये किसी भी आदमी को या किसी भी संस्था को या व्यक्ति को गलत कोट करके अपनी प्रोसीडिंग्ज में लाना हाउस की शान के खिलाफ है और जो लोग उसको पढ़ेंगे उससे गलतफहमी पैदा होगी जो वाकये के खिलाफ हैं। इसलिये मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इस हिस्से को इसलिये निकाल दिया जाय कि जिनके मुंह में रखा गया उनके मुंह में ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट करप्ट है, बेईमान है या इनएफीशियेंट है। इस लिये उन तमाम चीजों को छोड़ कर मेरा यह लिमिटेड सबमिशन है कि इन

[श्री मोहन लाल गोतम]

चीजों को निकाल दिया जाय । उसका वह मतलब, वह माने ला रिपोर्टर में नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल किया । इस लिये इस चीज को निकाल दिया जाय ।

श्री राज नारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब आपके द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री मंत्री जी ने मेरे कोटेशन पर कुछ आपत्ति प्रकट की है तो मैंने लिखित निवेदन पेश किया कि मंत्री जी की क्या आपत्ति है उसकी प्रतिलिपि मुझको प्राप्त होनी चाहिये । आपके कार्यालय से जो प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुई है आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं—

" Hon'ble the Speaker

I propose to invite your attention to the following statement in the speech of Sri Raj Narain made in this House yesterday. !

(हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि यह सरकार जिस गतिविधि से चलती है वह गति-विधि जनतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है, उल्टी है । एक उदाहरण मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं । वह देखेंगे कि ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्टर, १९५१ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसले में दिया है और वह लिखता है ।

Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of public cannot be redound to the credit of the State and the Govrnment and be in their interests" इस तरह के फैसले श्रीमान् हमारे सामने हैं,

By this statement , the Hon. Leader of the Opposition insinuated that the High Court had held that the State Government was either bankrupt, inefficient or dishonest. "

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं एक इन्फार्मेशन चाहता हूं । श्रीमान्, जो लिखा हुआ पत्र पढ़ा जा रहा है वह हिन्दी में सरकार ने लिखा है या अंग्रेजी में लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—यह सब अंग्रेजी में सरकार की तरफ से मेरे पास आया था । उसी की यह नकल है ।

राजा वीरेन्द्र शाह—यह भवन का निश्चय है कि हिन्दी में सब कारेसपांडेंस होगी । फिर अंग्रेजी में क्यों....

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न दूसरा है । वह बाद में हो सकता है ।

श्री राज नारायण-श्रीमान्,मैं गौतम जी ने जो दूसरा पैरा लिखा है वहीं से पढ़ रहा हूं ।

" By this statement , the Hon. Leader of the Opposition insinuated that the High Court had held that the State Government was either bankrupt, inefficient, dishonest; and that a feeling of this kind in the mind of the public could not redound to the credit of the State and the Government and be in their interest. This is an absolutely incorrect presentation of the actual facts of the case. What that Judge actually said would be clear from the following fuller quotation from the judgment :— "

अब यह जजमेंट का कोटेशन दे रहे हैं माननीय मंत्री जी जिस को उन्होंने पढ़ भी दिया है। इस लिये सदन के समय को बचाने के लिये मैं उस को दोहराना नहीं चाहता ।

कोटेशन जब खत्म होता है तो माननीय स्वशासन मंत्री जी आगे लिखते हैं।

"Hon. the Speaker will thus see that the manner in which the Hon. Leader for the Opposition put the facts were not only unfair to Government but also unfair to the House. The Judge did not hold that the Govt. was either bankrupt, inefficient or dishonest, as the Hon. Leader for the Opposition desired to insinuate."

श्रीमन्, जब माननीय मंत्री का यह लेख हमें हस्तगत हुआ तो हम बहुत ही ताज्जुब में पड़े कि आखिर माननीय मंत्री जी चाहते क्या हैं कि क्योंकि माननीय मंत्री जी ने, हमने जो जज के फैसले से कोटेशन पढ़ा उस कोटेशन को या तो यह बतायें कि वह कोटेशन नहीं था और जब मैं देखता हूं और आंख खोल कर देखता हूं तो उस कोटेशन का एक-एक वाक्य और एक-एक वर्ड जो है सब उस फैसले में आ गया है। और मेरे केवल उस कोटेशन को माननीय मंत्री जी ने आपके सामने उद्धृत किया है कि इन्होंने इतना कोटेशन रखा। आगे हमने क्या कहा उसके बारे में अपने लेख में माननीय मंत्री जी ने कोई संकेत नहीं किया। इसलिये श्रीमन्, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के समय को हम नष्ट न करें और इस हाउस के सामने अगर माननीय मंत्री जी किसी जज के फैसले को किसी दूसरे तरीके से भाष्य करना चाहते हों तो माननीय मंत्री जी को पूरा अधिकार है। माननीय मंत्री जी उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने, उसके बाद इस सदन में अपना भाषण भी दिया था। उसमें उनको पूरा अधिकार था कि जज के फैसले का क्या अर्थ है उस फैसले के अर्थ को वह स्पष्ट करते। लेकिन आपके पास इस तरह से पत्र भेज कर सदन के समय को नष्ट करने के लिये माननीय मंत्री जी ने हम पर कृपा....

श्री अध्यक्ष—यह समय मैंने निश्चित किया था। तो इसलिये आप मंत्री जी के ऊपर दोष इस बात का नहीं दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं समझ गया। माननीय मंत्री जी ने इसके बाद भी जो बातें आज यहां पढ़ी हैं उन पर भी मुझे आना चाहिये। एक बात तो मैं आपकी इजाजत से पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी जो करेक्टेड स्पीच है जिसको मैंने संशोधित करके आपके कार्यालय को दिया था अगर माननीय मंत्री जी उस संशोधित भाषण को पढ़े होते और जो यहां की रिपोर्टिंग में गलती हुई है उसको सुधार लिया होता तो इस सदन का समय इतना नष्ट न हुआ होता। श्रीमन्, मैं आपके जरिये उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा मकसद यह कतई नहीं था कि जज अपने मुंह से कह रहा है कि यह सरकार इनइफीशेंट है, बैंक्रप्ट है, डिसआनेस्ट है। श्रीमन् माननीय मंत्री जी अगर मुझ से यह चाहते हैं तो मैं उन को आश्वासन दे दूं कि जज के मुंह से यह बात नहीं निकली है। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि जज के मुंह से बिलकुल डायरेक्ट तरीके से यह बात नहीं निकली है कि "दिस वेरी गवर्नमेंट इज बैंक्रप्ट, इनएफिश्येंट आर डिसआनेस्ट"

श्री अध्यक्ष—कृपा करके आप अपनी करेक्टेड स्पीच जिसे आप कहते हैं, वह पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री राजनारायण—उसको अभी पढ़े देता हूं, श्रीमन् मगर इसके साथ ही साथ मैं आपकी इजाजत से सम्मानित सदस्यों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल माननीय मंत्री जी, जो थोड़ा और ऐड करके ऊपर से, पढ़ना चाहते हैं अगर हमें आदेश दें तो मैं पूरे फैसले को पढ़ने के लिये तैयार हूं जो सिविल जज ने दिया था और जिसकी अपील यहां हुई थी। सारे फैसले को पढ़ने से और खुल करके जो एक पुस्तिका बटी

[श्री राजनारायण]

है, जिसकी छपाई दो बार हुई और जिसका हैडिंग है "पंत सरकार की बेईमानी" उसको पढ़ने से सब स्पष्ट हो जायगा। यह पुस्तिका इतने ओपेन (खुले) तरीके से वितरित हुई है, जब उसके बारे में सरकार ने आपत्ति नहीं की.....

श्री अध्यक्ष--यह डाक्यूमेंट जिसका जिक्र आपने किया, यह भी कृपा करके मेरे पास भेज दें, क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं सारे इस किस्से को जानते हुये और कुछ सम्मानित और अनुभवशील नेताओं की सम्मति को जानते हुये, तथा वकीलों से उस पर परामर्श करते हुये इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जज ने जो आब्जरवेशंस (संकेत) किये हैं उनके पढ़ने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं और यह हमारा अनुमान है कि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। चाहे जज डायरेक्टली न भी कहे तो क्या, लेकिन हम उसको उसी तरह से इंटरप्रेट (भाष्य) करते हैं कि जज के फैसले का इंटरप्रेटेशन यह है कि जिस सरकार के राज में बिना प्रापर चैनल में गये हुये (उचित तरीका अख्तियार किये) अधिकारियों का निष्कासन होता है और वह अधिकारी उसके लिये अपनी तनख्वाह वगैरा के लिये....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य को जरा असंगत नहीं होना चाहिये। प्रश्न इस वक्त यह है कि उस रोज भाषण में आपने क्या शब्द कहे। उसको आप यह कह रहे हैं कि वह मैंने नहीं कहा। जब तक सदन के पास यह नहीं आता कि आपने क्या कहा तब तक उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, मैं पहले अपना भाषण ही पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह अंश पढ़ दीजिये जो आप समझते हैं गलत लिखा गया है।

श्री राजनारायण--वह इस प्रकार है।

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार के मंत्री महोदय या सरकार अगर इस तरह के गलत काम करती है तो उसको हटाने का अधिकार किस को होगा? उनको हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिये।"

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जिस जगह से माननीय मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया, वहां से आप शुरू करें और वहीं तक पढ़ कर सुना दें तो पूरा समझ में आ जायगा। बीच-बीच में टुकड़े पढ़ने से समझ में नहीं आयेगा।

श्री राजनारायण--मंत्री जी, जरा आप पढ़ दें तो...

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी ने जो चिट्ठी मेरे पास भेजी उसकी नकल तो आपके पास भी है। वहां से पढ़ दें, "हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं" यहां से पढ़िये और पूरा पैराग्राफ आप ही पढ़िये।

श्री राजनारायण--"हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि यह सरकार जिस गति-विधि से चलती है वह गति-विधि जनतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है, उलटी है। एक उदाहरण मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। वह देखेंगे कि ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्टर, १९५१ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसले में दिया है और वह लिखता है:

"Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest Such a feeling in the mind of public cannot said to the credit of the State and the Government and be in their interest."

श्रीमन् यहां जहां शब्द "सेड" है वहां शब्द 'रिडाउंड' है। मैंने इसको करेक्ट (संशोधन) कर दिया है। माननीय मंत्री जी भी कृपया करेक्ट (संशोधन) कर लें तो साफ हो जाय।

"इस तरह के फैसले श्रीमन् हमारे सामने हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सम्मानित सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी-बड़ी खामियां इस सरकार की बताई गई हैं। जैसा ओमप्रकाश गुप्त के केस में पहले सम्मानित जज ने तो यहां तक फैसले में दिया है कि ऐसे दावे यह संकेत करते हैं कि या तो गवर्नमेंट दिवालिया है, या बेईमान है, या अयोग्य है। तो क्या यह फैसला एक सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है। ऐसी सरकार को किसी जज का यह रिमार्क हटाने के लिये क्या काफी नहीं है। क्या ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला है, निकालने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि जाना चाहिये।

श्रीमन्, इसलिये मैं उन विरोधियों से और इस तरह के खयाल रखने वाले सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह केवल यह कहकर के कि बहुत सी जगह प्रेसीडेंट ने बहुत गलत काम किया है और अधिकार का दुरुपयोग किया है इसलिये सरकार के हाथ में यह पावर आनी चाहिये ऐसा तर्क उपस्थित न करें। आज सारी दुनियां में लड़ाई है। एक तरफ जनतंत्र है और एक तरफ डिक्टेटरशिप। मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जो खतरा है उस खतरे को उठाने के लिये हम तैयार हैं। मगर हम राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। उस खतरे को उठाना चाहते हैं। इसी तरह से आज चीन में भी कहा जाता है और रूस में भी कहा जाता है।"

श्री अध्यक्ष—आगे का अंश रेलीवेंट नहीं है।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पुनः माननीय मंत्री जी के इस भ्रम को दूर करने की चेष्टा करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को समझ लें कि मैंने जज के मुंह में इस बात को रखने की कोशिश नहीं की और अगर माननीय मंत्री जी को इसका भ्रम है तो मुझे आश्चर्य है और इसका दुख भी होता है कि माननीय मंत्री जी को ऐसा भ्रम हुआ क्यों। क्योंकि मैंने तो अपना एक कान्क्लूजन (निष्कर्ष) निकाला और मैं श्रीमन् आपके जरिये यह भी कहना चाहता हूं कि आज अगर हमें यह मालूम होता कि माननीय मंत्री जी हमसे चाहते हैं कि पूरा फैसला पढ़ा जाय तो मैं उनकी खिदमत में आपके जरिये पूरा फैसला पढ़ देता। पूरा फैसला पढ़ने से हमारा वही कांक्लूजन (निर्णय) है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी की इच्छा से तो पूरा पढ़ा नहीं जायगा। यह मैंने प्रश्न आपके सामने रखा है। मैं पूरा जजमेंट आपसे ले लूंगा। कृपा करके माननीय मंत्री जी मेरे पास पूरा जजमेंट भेज दें। मैं उसको स्टडी करके देखूंगा। अभी नहीं बहस के बाद।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैंने जो संशोधित प्रति भेजी थी अगर आप उसको देखेंगे तो इस बात को स्पष्टतया पायेंगे कि जज के मुंह से मैंने यह बात कहलवाने की कोशिश नहीं की कि जज इस सरकार के लिये क्या कहता है। मगर श्रीमन् एक जरा आह लेते हुये मैं इसको कहना चाहता हूं कि जज के फैसले में जो रिमार्क दिया है उसका जो हमारा कांक्लूजन (अर्थ) है कि इस सरकार के लिये भी उसका रिमार्क लागू होना चाहिये, वह सही है।

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं श्री राजनारायण जी से कि "यह सरकार" शब्द जो आपने इस्तेमाल किया यह शब्द इस प्रजेंट चुनी हुई सरकार या इसके पहले वाली सरकार के लिये इस्तेमाल किया है, या जहां आपने "यह" कहा है वह जनरल कहा है।

श्री राजनारायण---हमने इसीलिये कहा कि "यह" की जगह "ऐसी" सरकार हमने संशोधन किया है और हमारा जनरल रिमार्क है। केवल इसी सरकार पर लागू नहीं होता बल्कि इस तरह के कार्य जिस सरकार के रिजीम (राज्य) में हों तमाम सरकारों के लिये।

श्री अध्यक्ष---तो आपका मंशा क्या है?

श्री राजनारायण---वह जनरल है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि विरोधी दल के नेता जी ने यदि उनसे कोई भ्रांति के कारण कोई गलती हो गयी थी तो उसको कुबूल करने के बदले में इस मामले में जिस के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं इसके सीधे रास्ते को छोड़ कर उसकी बहस को बढ़ाने की कोशिश की है। तो सीधा सा एक सवाल है और वह यह है कि उन्होंने भाषण क्या दिया था, उस भाषण का असर क्या होता था, जिस फैसले का उन्होंने कोटेशन दिया और उसके मुताबिक उन्होंने शब्द कहे थे वे उसी भावना को जाहिर करते थे और उसका वही परिणाम था या नहीं था। सदन हर एक सदस्य से यह उम्मीद करता है कि वह किसी कोटेशन को दे और कहे कि यह मैं उदाहरण देता हूं इस बात का कि वह कोटेशन और वह उदाहरण, जिस बात को वह सामने रख रहा है, उसकी पुष्टि है, इसी लिये उसको देता है। अगर उसके विपरीत वह हो तो उसके देने का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें राजनारायण जी का कहना यह था कि यह गवर्नमेंट बड़ी खराब है, बड़ी नालिस है। खैर यह कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। वह तो रोज ही कहते हैं और उस मौके पर भी कही। वहां तक हम आदी हो गये हैं सुनने के और उनके शब्दों का जितना भी वजन कर सकते हैं करते हैं। मगर उससे तो कोई बात इस वक्त उस बारे में कहने की नहीं। जो बात है वह यह है कि उन्होंने जो कोटेशन दिया है उससे जनता में और आम सब लोगों में यह एक असर डालने की कम से कम कोशिश की कि एक न्यायालय ने भी यही फैसला इस गवर्नमेंट के बारे में दिया है जो कि वह खुद इस गवर्नमेंट के बारे में अपनी राय रखते थे। तो यह उनके अल्फाज थे। इसके माने यह थे कि यह गवर्नमेंट बैंकप्ट है, इनएफिशेंट है, करप्ट है। अब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मतलब उनका नहीं था। जब उन्होंने इसे रखा अगर उनका मतलब इस कोटेशन के देने का यह था कि यह गवर्नमेंट इनएफिशेंट नहीं है, करप्ट नहीं है, तो अब वह कह सकते थे कि मेरे अल्फाज यही थे मगर मेरा मतलब तो बिलकुल दूसरा था। इस फैसले में जो बात कही गयी, जज ने जो बात कही, वह तो यही कही कि अगर इस तरह के दावे कुबूल किये जायं तो लोगों में यह भ्रांति पैदा होती है कि वह यह समझने लगें कि यह गवर्नमेंट करप्ट, इनएफिशेंट वगैरह है, लिहाजा यह दावा कुबूल नहीं किया जा सकता। जो कि तनख्वाह का दावा था मुद्दई का वह उन्होंने खारिज किया और कहा कि यह बात कुबूल नहीं की जा सकती। अगर यह कुबूल की जाय तो इस से यह भ्रांति हो सकती है, यानी फैसला बिलकुल खिलाफ इस बात के है, जो कि यह कहे कि यह बैंकप्ट है, करप्ट है या इनएफिशेंट है। अब सवाल सिर्फ इतना आता है कि कहीं पर कोई बात जब ऐसी कही जाय कि जिस के उल्टे माने गलती से या नासमझी से लगाये जायं, तो जब उसके सामने बात ठीक रखी जाय तो वह यह कह सकता है कि मुझ से गलती हो गयी। मैंने यह रखा लेकिन मैंने ऐसा नहीं समझा। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि गलतफहमी अपनी-अपनी समझ के दायरे के अन्दर हर एक को हो सकती है। मगर इसके अलावा जब कि गलतफहमी को गलतफहमी न कह के यह कह दिया जाय कि यह तो हमने ठीक बात कही थी तो फिर वह ज्यादा काबिल असर हो जाती है। यह तो सब के लिये एक उसूल की बात

है कि चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो वह अगर किसी चीज को ऐसा कोट करे जिस से कि उसके माने बिल्कुल उल्टे हों तो वह सदन के लिये एक अन्याय की बात है क्योंकि सदन को यह हक है कि जो चीज उसके सामने रखी जाय वह सही मानों में रखी जाय इस लिये यह जो बातें इसमें कही गयीं वह राजनारायण जी ने इरादतन न कहीं हों, वह उन्होंने गलती से कही हों, मगर कही गलत गयीं ।

वह जो उदाहरण उन्होंने दिया और यह कहा कि एक उदाहरण मैं यह देता हूं वह बिल्कुल गलत चीज थी । जैसा उदाहरण वह दे रहे थे वह तो उसके विपरीत पड़ता था और फिर जो मेरे पास यह कागज है इस में तो उन्होंने यह कहा कि एक सम्मानित जज ने यहां तक फैसला दिया है कि या तो सरकार दिवालिया है, या बेईमान है या अयोग्य है। तो क्या यह फैसला सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है। मैं कहता हूं कि सम्मानित जज ने इस के विपरीत दिया। तो जब यह कहा कि सम्मानित जज ने यह फैसला दिया, सिर्फ इतने अलफाज रखे और फैसले की और बात छोड़ दी, तो उनसे गल्ती जरूर हुई, उन्होंने इरादतन न की हो। मैं कोई यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतन किया मगर इरादतन उन्होंने यह बात कही कि इस फैसले से यह नतीजा निकलता है कि यह गवर्नमेंट करप्ट और इनएफीशेंट है और वह नतीजा नहीं निकला उस फैसले से, उससे विपरीत वह नतीजा निकलता है। इस लिये उस हद तक यह बात गलत हुई क्योंकि गवर्नमेंट के लिये यह सुन्दर शब्द काम में लावें या तीखे लावें। अपनी वाणी से जैसा चाहें वैसा कह सकते हैं। मगर जहां तक दूसरे के शब्दों को लाकर उसका दुरुपयोग हो, वह उसके लिये भी अन्याय है, जनता के लिये भी अन्याय है और इस सदन के लिये भी एक ऐसी भावना पैदा करने वाली बात है जो गलत है। इस में ऐसे जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया है:

"It appears to me that such suits by public servants would be highly detrimental to public policy. Apart from the feeling which such suits might create between Government and its public servants, they will effect the confidence of the public in the Government. Such suits must necessarily indicate to the public that the Govt. is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of the public cannot redound to the credit of the state and the Govt. and be in their interests. Such suits will be deemed to be impliedly barred from the congnizance of Civil Courts in view of S. 9 C. P. C."

तो इसका सारांश यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी चीज चल नहीं सकती । ऐसा इम्प्रेशन पैदा नहीं होना चाहिये और उस इम्प्रेशन को इस कोटेशन में देकर राजनारायण जी ने पैदा किया जो कि जज चाहता था कि पैदा न हो। बिल्कुल प्रावर्जन था जजमेंट का। अब इस सिलसिले में उन्होंने यह कागज आप के सामने रखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अब भी नाम कहना नहीं चाहता मगर यह आप को किताब दी, मैं जानना चाहता हूं इस हाउस से क्या जिस मामले के सिलसिले में यह कहा गया है उससे ज्यादा बुरा केस कोई हो सकता है जिसमें डिसिपलिनरी ऐक्शन गवर्नमेंट कोई लेती। मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं जो चार्जेज उसमें थे। यह चार्जेज थे.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं मेरिट्स पर नहीं जाना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---नहीं मरिट्स पर नहीं, मैं आप को यह दिखलाना चाहता हूं कि उन्होंने आप को यह किताब दी है और कहा कि ओम प्रकाश गुप्ता ने यह किताब छापी है और उस किताब का कोई जवाब नहीं दिया गया है, यह चीज आपने अपने पास ले ली जोकि पब्लिक प्रापर्टी हो गई । इस किताब से बिल्कुल संबंध है, असलियत क्या है इसको मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं । दूसरी चीज जिससे आप लोगों को भी मालूम हो जाय मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आया गवर्नमेंट गलत बात करती है या सही करती है। क्योंकि

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मेरा दावा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं करती है ग़लत चीज। यह मसला साबित करेगा कि कैसे मुगाल्ते में आप लोग रहते हैं। इस केस में यह मुक़दमा शुरू में हमारे सामने नहीं हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं यह जानना चहता हूं कि क्या उस लेखक के खिलाफ प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही हुई है।

श्री मोहनलाल गौतम—कोई पता नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जुलाई सन्, १९४४ में एक साहब पोस्ट हुये डिप्टी कलेक्टर लखीमपुर खीरी में। सन् १९४० में वह एप्वाइंट हुये थे। जुलाई, १९४४ में डिप्टी कमिश्नर के पास उनके खिलाफ कुछ शिकायतें गयीं। उसके सिलसिले में कुछ चार्जेज़ उनके ऊपर फ्रेम किये गये। वे चार्जेज़ ये थे—

"That on or about August 15, 1944, one Musammat Jamila was presented before you in court by the police under a warrant under section 100 Cr. P. C. You did not decide the case on the 15th of August, but postponed to the 19th August, 1944, making over the girl to the custody of one Hafiz Habeeb Beg. On 17th of August you sent for Musammat Jamila from the house of Hafiz Habeeb Beg about 7 p. m. through your orderly Jangi Khan and detained the girl at your house for the whole night evidently to use her for immoral purposes. Next morning the girl expressed a desire to go with her father who came to receive her at your house, but you did not allow her to do so and again sent back the girl to the house of Hafiz Habeed Beg.

2. That on or about August 10, 1944, the police on the complaint of one Puttu Lal produced before you one Masummat Ganga Kurmi for whose arrest you had issued a warrant under section 100 Criminal Procedure Code. You directed Puttu Lal and Musammat Ganga to be escorted to your house by your orderly Jangi Khan. You sent away Puttu Lal and detained Musammat Ganga alone at your house for about two hours obviously to use her for immoral purposes.

3. That sometime in the first week of July , 1944, a girl named so and so was produced before you under a warrant of arrest issued by you under Section 100, Criminal Procedure Code, but you asked the party to present the girl after court hours at your house. When the girl was brought to your house you asked the people accompanying her to stay outside and took the girl alone inside your house under the pretext of recording her statement and detained her there for two hours evidently to use her for immoral purposes.

That in all these three cases you conducted yourself in a manner unbecoming an officer of the U. P. Civil Service and therefore you are asked to show cause why you should not be dismissed from service."

इस किस्म का आदमी तहक़ीक़ात के बाद डिसमिस किया गया। अब मैं जानना चाहता हूं क्या इस हाउस में कोई आदमी जो यह कहने को मुनासिब समझता है कि इस क़िस्म का कोई अधिकारी जो किसी अदालत का मैजिस्ट्रेट हो वह इस तरह से हरकत करे कि औरतें जो किसी मामले में उसके सामने आयें या जिनको पकड़वा कर लाया गया उनको इस तरीके पर अकेले अपने मकान में रात को रखे तो क्या चाहते हैं कि उसको इस क़िस्म के काम करने का अधिकार रहे और जब इस क़िस्म का कोई मामला आये तो उसमें यह कहें कि यह गवर्नमेंट इनएफ़िशिएंट है, करप्ट है, बैंकरप्ट है? इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। और अभी

सुना कि हमारे ऊपर यह लांछन लगाया जाता है । यह मामला हमारे सामने नहीं हुआ, सन् १९४४ की बात है । दूसरी गवर्नमेंट उस जमाने में थी । हम लोग जलों में थे । उस वक्त की गवर्नमेंट ने १ दिसम्बर, सन् १९४४ ई० को उसे बरखास्त किया । वह तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन से मश्विरा करके दिसम्बर, १९४४ ई० में बरखास्त किया । फिर इस क़िस्म की हरक़तों में गवर्नमेंट अगर उसको बरखास्त न करती तो मैं समझता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट रहने के क़ाबिल नहीं थी । अगर इस तरह की हरकतें आफिसर्स करें और गवर्नमेंट जानते हुये उनको रहने दे तो उस गवर्नमेंट को करप्टेड, इनएफीशियेंट और बैंकरप्ट कहा जा सकता है । मगर आप देखें कि दिसम्बर, ४४ की बात थी और पहली गवर्नमेंट के जमाने की बात थी । जब हम लोग आये तो हमारे सामने उनका मेमोरियल आया हमने उनके मेमोरियल को देखा और उनके तमाम कागजात को देखा तो हमने उनके मेमोरियल को नामंजूर किया । ऐसे मामले में दिसम्बर, सन् १९४४ ई० के फैसले के तमाम कागजात देखे और यह देखते हुये भी कि जिम्मेदारी कीजगह पर रहते हुये कोई ऐसी हरक़त कर सकता है लेकिन क्योंकि फैसला पहले का था इसलिये तमाम कागजात को देखा और उनके मेमोरियल को मैंने रिजेक्ट किया ।

उन्होंने कोर्ट में दावा किया और वहां से यह फैसला हुआ कि क़ानूनन जो उनको नोटिस मिलना चाहिये था वह नहीं दिया गया । जब गवर्नमेंट किसी के डिसमिसल करने का फैसला कर ले तो उसको नोटिस देना चाहिये यानी इनक्वायरी होने के बाद, इंक्वायरी खत्म होने के बाद जब गवर्नमेंट समझे कि उसको डिसमिस करना है तो उसको फिर से नोटिस देना चाहिये कि तुम्हारा डिसमिसल क्यों न किया जाय। यह नोटिस उनको नहीं दिया गया । इस पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यह नोटिस उनको नहीं दिया गया लिहाजा यह उनका डिसमिसल रेग्यूलर नहीं है । जो तनख्वाह वग़ैरह की उनकी बात थी उन सब को कोर्ट ने नामंजूर किया था । इस सिलसिले में कोर्ट ने वह फैसला दिया और कहा था कि जहां तक इनकी और बातों का संबंध है वह गवर्नमेंट कर सकती है । हमने फिर उनको नोटिस दिया ताकि जाब्ते की कोई कमी न रहे। अब इस क़िस्म के आदमी के बारे में यह बात कही जाती है कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया तो इस क़िस्म की बात का जवाब न देना कौन सी बुरी बात है।

मुझे तो अफ़सोस होता है लोगों की हिम्मत को देख कर । हमारे यहां इतने सीधे साधे और भोले भाले आदमी होते हैं कि यह कहें कि इस तरह की हरक़त करना किसी का जायज था और कार्यवाही जो की है वह ग़लत थी । इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि इसकी यहां चर्चा क्यों की गयी और श्री राजनारायण जी ने कहा कि मैं तो किताब लाया हूं उससे मालूम होगा कि वाकयात क्या है मैंने उनको वाकयात बतला दिये हैं । मैं किसी की बुरी चीज को बहुत ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूं जब तक कि मजबूर न हो जाऊं । कोई कहता रहे मैं बहुत पर-वाह नहीं करता हूं लेकिन इस किस्म की बात कोई कैसे बरदाश्त कर सकता है जिसे जिम्मेदारी रखना है । फिर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट इंएफीशियेंट, करप्टेड और बैंकरप्ट है, जो ऐसे करप्टेड आफिसर्स को पनाह दे, यदि कोई गवर्नमेंट ऐसा करे तो उससे ज्यादा इंएफीशियेंट, करप्टेड और बैंकरप्ट गवर्नमेंट दुनिया में नहीं हो सकती है ।

इसलिये मुझे खेद है कि यहां पर इस मामले को लाया गया । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जो और बातें कही जाती हैं कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं मानी तो लोगों को जानना चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक एडवायजरी बाडी है और गवर्न-मेंट हर अप्वाइंमेंट के लिये जिम्मेदार है । हम एक्सप्लेन कर सकते हैं । मगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात मानी जाती है मगर जहां तक हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ उतना देख लेते हैं । आप देखेंगे कि १,००० मामलों में ५--१० मामले ऐसे होंगे जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय नहीं मानी गयी होगी और ९९०-९९५ मामले ऐसे होते हैं जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय मानी जाती है । पब्लिक सर्विस कमीशन तो एडवायजरी बाडी है

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

और जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है और यदि हम उसको अदा न करें तो उनके लिये, पब्लिक के लिये और कांस्टीट्यूशन के लिये इंसाफ नहीं होगा । लिहाजा ऐसी बातें कहना कि गवर्नमेंट करप्ट है, इंएफीशियेंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा यह बातें दोहरायी नहीं जायंगी ।

जहां तक इस मामले का ताल्लुक है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जिस ढंग से यह बात रखी गयी है वह ढंग गलत था, उससे नतीजा गलत निकलता था उससे लोगों पर इम्प्रेशन गलत पड़ता था । किसी चीज को कोट करें "आल मैन आर गुड, बट सम आर विकेड" इसमें से ऊपर का छोड़ कर सिर्फ कह दूं "आल आर विकेड" तो उससे कोई सही नतीजा नहीं निकलता । इस तरह से इसमें जो कोटेशन दिया गया है पर्वर्शन है । इसमें प्रिविलेज का सवाल उठ सकता है, लेकिन मैं ज्यादा इन बातों में जाना नहीं चाहता । हमारी जो कार्यवाही हो वह सुदृढ़ ढंग से हो और जो कुछ गलती हुई हो उसे मान लें कि गलती हुई । गलत होने की वजह से उसको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय । इतना ही मुझे कहना है ।

(श्री मदन मोहन उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---फैक्ट्स पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं । मैं इस वक्त वादविवाद की इजाजत देने वाला नहीं हूं । इस केस पर प्रकाश डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---फैक्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं और माननीय राजनारायण जी का जो संशोधित व्याख्यान आपके सामने पेश हुआ है उसमें कुछ सफाई कर देना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा करिये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी का संशोधित भाषण जो आपके सामने पहुंचा है उससे जो मतलब इस सदन में लगाया जाता है वह "में" पर जोर है । उन्होंने कहा है "इस फैसले में दिया है" एक तो मतलब यह कन्वे करता है माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा "फैसला दिया है" एक मतलब यह कन्वे करता है । लेकिन माननीय राजनारायण जी ने कहा "फैसले में दिया है" । तो एक वकील की हैसियत से जिस तरह से एक केस अदालत के सामने रक्खा जाता है तो एक तरफ का वकील तो अपने तमाम गुड प्वाइण्ट्स को जिससे दूसरा पक्ष ढीला पड़ता है उनको सामने रखता है और दूसरी तरफ का वकील अगर देखता है कि उसमें कुछ गलती है और उनका इन्टरप्रिटेशन गलत हो रहा है तो उनकी सफाई कर देता है ताकि जजों के सामने मामला साफ आ जाता है । माननीय स्वशासन मंत्री उस दिन जब जवाब दे रहे थे अगर कुछ गलतफहमी इस सदन के सामने पैदा हो गई थी उनके भाषण से, उनके कोटेशन से तो माननीय मंत्री जी उसी दिन उसकी सफाई कर सकते थे । माननीय विरोधी दल के नेता राजनारायण जी ने कोई मिसकोट नहीं किया है जैसा कि माननीय स्वशासन मंत्री कहते हैं । उन्होंने इसी फैसले से जो कुछ उस फैसले में लिखा हुआ था, उन शब्दों को ही इस सदन के सामने रक्खा । यह हो सकता है कि उसका और भी इंटरप्रिटेशन हो और माननीय सदन के सदस्यों को ऐसा मालूम हुआ हो कि यह गवर्नमेंट करप्ट है, इनएफि - शियेंट है, ऐसा जज लोगों ने कहा है । माननीय राजनारायण जी ने साफ कर दिया है कि मैंने जजों के मुंह में यह बातें नहीं रक्खीं । उनके जजमेंट में ही ऐसा इंटरप्रीट किया गया है । मैं समझता हूं कि जब माननीय स्वशासन मंत्री ने देखा कि उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है वह उनके आज के भाषण से पूरा हो गया है, सफाई उनकी आ गई है ।

जब कोई प्रोसीडिंग्स को पढ़ेगा तो उसमें वह देख सकता है कि जो कोटेशन माननीय राजनारायण जी ने दिया उस कोटेशन के ये मानी नहीं थे लेकिन ये मानी थे और यह जनता फैसला करेगी कि क्या मानी थे ?

सवाल यह है कि जब सदन के सामने भाषण की बात आती है तो मैं आपका ध्यान नियम १८२ की ओर आकर्षित करता हूं।

Rules to be observed while speaking and Answering question.

(1) The matter of every speech must be strictly relevant to the matter before the Assembly.

(2) A member while speaking or answering a question shall not—

(i) express any opinion or make any comment on any matter of act on which a judicial decision is pending;

(ii) make a personal charge against a member;

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Parliament or the Legislature of any State;

(iv) reflect on any decision of the House except on a motion for rescinding it;

(v) reflect upon the conduct of the President or any Governor or any Court of Justice.

(vi) utter treasonable or defamatory words but he may, with the permission of the Speaker, quote them for the purposes of his argument; or

(vii) use his right of speech for the purpose of obstructing the business of the Assembly.

[बोलते तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम]

(१) प्रत्येक भाषण का विषय सभा के समक्ष विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये।

(२) बोलते तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य—

(क) किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचारधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा,

(ख) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा,

(ग) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के व्यवहार या कार्य के विषय में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा,

(घ) सदन के विनिश्चय की, ऐसे अवसर को छोड़ कर जब उसके निरसन का प्रस्ताव विचाराधीन हो, आलोचना नहीं करेगा,

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

(ङ) राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा,

(च) राज-द्रोहात्मक या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, किन्तु वह अध्यक्ष की अनुमति से अपने तर्क के प्रयोजन के लिये उनको उद्धृत कर सकता है, या

(छ) सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के प्रयोजन से अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग न करेगा।]

उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं आती जिसमें माननीय राजनारायण जी को इस सदन के सामने कोट करने का अधिकार न हो। उसका इन्टरप्रिटेशन कुछ हो सकता है। इस बात को मैं मानता हूं कि उसका इन्टरप्रिटेशन गलत हो सकता है।

लेकिन कोई भी इस सदन के सामने अपने इन्टरप्रिटेशन को जैसा वह ठीक समझता है उसको वह रख सकता है....

श्री अध्यक्ष—उसमें तो यह भी है कि "with the permission of the speaker" अब प्रश्न यह है कि अगर डिफमेटरी है या ट्रीजनेबिल है तो स्पीकर जब तक उसको पूरा पढ़े नहीं वह कैसे जज कर सकता है। अगर यह मालूम होता कि पूरा कोटेशन यह है तब तो स्पीकर इस पोजीशन में हो सकता था और यह समझ सकता था कि क्या चीज सही है। आधा कोटेशन सुनने पर स्पीकर निश्चय नहीं कर सकता है वह अलाउ करेगा। इसलिये एक्सपंज करना चाहिये या नहीं यह सवाल अब भी वैसे ही कायम रहता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं समझता हूं कि यह न तो ट्रीजनेबिल है और न डिफमेटरी है। माननीय मंत्री जी उस वक्त एतराज कर सकते थे कि आप यह क्या कोट कर रहे हैं कि यह डिफमेटरी है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिये न तो यह ट्रीजनेबिल है और न यह डिफमेटरी है। राजनारायण जी ने हाईकोर्ट के एक फैसले का कोटेशन दिया और उसमें इस सदन के सामने करेप्ट शब्द को कोट किया। उस फैसले का पूरा रूप कोट नहीं किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस वक्त जो उनके खिलाफ यह सब बातें बतलाई हम भी उसको उसी प्रकार से कंडेम करते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं और अगर कोई भी सरकार ऐसे आदमी को अपनी सर्विस में रखती है तो उसको भी कंडेम किया जायगा। इससे हम सहमत हैं। लेकिन इस किताब के अन्दर जब हमने पढ़ा कि डा० पट्टाभि सीतारमैया और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने उनकी काफी तारीफ लिखी है। तो इसको पढ़ने से यह भावना हो सकती है कि वह आदमी अच्छा आदमी था, जनता का सेवक था। इस प्रकार की भावना हमारी उस किताब को पढ़कर हुई। अभी उनकी जो बातें माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाई हमको इनका जरा भी ज्ञान नहीं था। अगर वह ऐसे आदमी थे तो हम उनको कंडेम करने के लिये तैयार हैं। हमारे माननीय कांग्रेस के नेताओं ने जो उनके बारे में तारीफ लिखी उससे हमारा इस प्रकार का इम्प्रैशन हुआ था। मेरा मतलब कहने का यह है कि इसका अधिकार तो आपको है और जो आप ठीक समझेंगे वह करेंगे लेकिन मैं सिर्फ यह कहता हूं कि अगर यह चीज हो जाती है कि कोटेशन पेश करने का अधिकार चाहे वह राइट हो या रांग तो फिर यह एक बहुत बड़ा अधिकार ले लिया जाता है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—रांग का अधिकार नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—हां, गलत बात को नहीं कहा जा सकता है मगर राजनारायण जी ने इन शब्दों को जो कोट किया वह उसी इम्प्रैशन के आधार पर किया जोकि इस किताब को पढ़ने से किसी का भी हो सकता है। वह इस सदन के सामने अपनी

पिक्चर को रख रहे थे कि यह सरकार इस प्रकार की है। दूसरा दल होशियार रहता है और अगर उस समय राजनारायण जी इस बात को कह रहे थे तो माननीय स्वशासन मंत्री के पास यह फैसला होना चाहिये था और उनको इस बात का पूरा अधिकार था कि वह सफाई करते कि यह इस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन नहीं है कि जो बातें इस तरह से इधर से कही जा रही थीं। यह अगर एक्सपंज करने के लायक शब्द हैं तो इसका पूरा अधिकार स्पीकर को है लेकिन यह हमारे सदन के माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वह किसी कोटेशन को यहां पर ले आयें। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत कुछ हो गया और इस सफाई होने के बाद यह चीज समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष---अभी इस प्रश्न के ऊपर कि उस वक्त माननीय राजनारायण जी ने क्या कहा इसके ऊपर प्रकाश डाला गया। आगे कोई स्पीच देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके विषय में निश्चय करूंगा और कल वह सदन के सामने पेश करूंगा। मैं एक बात स्पष्ट अवश्य कर देना चाहता हूं और वह यह है कि कहा यह गया कि उसी वक्त क्यों नहीं टोका गया और क्यों जजमेंट नहीं पढ़ा गया। मैंने कई बार यहां इस सदन में कहा कि माननीय सदस्य यहां एक दूसरे पर विश्वास करें, अगर किसी सदस्य ने कह दिया कि यह बात ऐसी हुई तो उस पर दूसरों को विश्वास करना चाहिये, यह यहां का नियम रहा है मगर माननीय सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि सदन की प्रतिष्ठा के लिये जो कोई भी कोटेशन दी जायगी वह सही दी जायगी, इसलिये माननीय स्वशासन मंत्री जी के लिये उस समय यह संभावना नहीं थी कि वह यह समझें कि उन्होंने उसे आधा पढ़ा है या पूरा पढ़ा है, वैसे मेरे इजाजत देने से पहले मुझे शंका होती तो मैं ही उन से किताब पूरी पढ़ने के लिये मांग लेता लेकिन उस रोज मैं इस भ्रम में था कि जिस उद्देश्य से वह पढ़ रहे हैं और जिस अर्थ में वह पेश करना चाहते हैं उसी के सबूत में वह उद्धरण पेश करना चाहते हैं, इसी दृष्टि से मैंने विश्वास किया। बाद में माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पूरा जजमेंट पढ़ा, इसलिये वह उस समय नहीं रोक पाये। फिर मैंने आजका समय दिया। नियम यह है कि उसी वक्त टोकना चाहिये था, उस नियम का पालन नहीं हो पाया लेकिन सदन विश्वास के ऊपर चलता है और सदन ने उस समय विश्वास किया। पहली मर्तबा ही यह चीज सामने आई थी इसलिये उन्होंने विश्वास किया। मैंने भी जरूरी समझा कि देर होने पर भी चूंकि यह महत्व का प्रश्न है और इस की सफाई होना जरूरी है और इसलिये भी कि आइन्दा ऐसी गलती न हो मैंने इसको सदन के सामने रखा है। जो प्रकाश आज इस प्रश्न पर डाला गया है उस को देखते हुये, इस में कौन से शब्द होने चाहिये, कुछ हटाने की आवश्यकता है या नहीं या उस में किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, इस सब पर विचार कर के मैं कल फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने श्री ओम प्रकाश गुप्त के केस का वर्णन किया है तो हम चाहते हैं कि उस संबंध में जितनी कार्यवाही हुई है वह सब सदन के सामने रखी जाय। जितने ओम प्रकाश गुप्त के पत्र आये हैं और गवर्नमेंट से उन को गये हैं वह सब सदन के सामने आवें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सब बातें जो बृटिश गवर्नमेंट की रिजीम की थीं....

श्री अध्यक्ष---यह जो आप की प्रार्थना है उस के संबंध में मैं यही कहूंगा कि तरीका इस का यही रहा है कि आप अगर चाहें तो पार्टी की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री से परामर्श करके इसका इंतजाम कर सकते हैं लेकिन इस सिलसिले में चूंकि इस वक्त केवल यही प्रश्न है कि कोई हिस्सा कार्यवाही का एक्सपंज हो या न हो इसलिये मैं अब इजाजत नहीं दूंगा कि इस संबंध में आगे कोई और चर्चा हो। यदि आप उचित समझें तो नेता सदन से परामर्श कर के समय ले सकते हैं।

*उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२
खंड ९ † (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने अपने जवाब में केवल यही कहा कि इस विषय में वह किसी और संशोधन के भाषण में कह चुके हैं इसलिये उन्हें ज्यादा कहना नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता था कि यहां पर "indirect proportion of the population" रख दिया जाय। जितनी शहर की सीट हैं उसके डायरेक्ट प्रोपोरशन में इतनी ही सीटस मिलना चाहिये।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं इस संशोधन के अस्वीकार करने के कारण पहले ही सदन को बता चुका हूं और मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 11-A की उपधारा (२) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "as far as possible be in the same" के स्थान पर शब्द "be in direct" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11-A की उपधारा (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "and" के स्थान पर शब्द "be to" रख दिये जायं।

श्रीमन्, नयी धारा 11-A की उपधारा (२) इस प्रकार है—

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population"

यहां पर 'and' शब्द का प्रयोग किया गया है और वह उस मतलब को साफ नहीं करता जो कि माननीय मंत्री जी का तात्पर्य है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जो अमेंडिंग बिल का ड्राफ्ट है वही बिलकुल ठीक है। मैं इस संशोधन को नहीं स्वीकार करता। मुझे अफसोस है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11-A की उपधारा (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "and" के स्थान पर शब्द "be to" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करना

---

* सम्पूर्ण विधेयक २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†खंड ९, १५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (१) के भाग (a) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय---

" Provided that the division into wards shall be made after consultation with the Board concerned, which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them ".

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के लिये या किसी भी सरकारी अधिकारी के लिये यह जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा है कि वह प्रान्त भर की सारी म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव के बारे में यहीं से यह जान ले कि किस म्युनीसिपैलिटी में किस प्रकार से वार्ड का वितरण होगा, कौन-कौन से मोहल्ले किस वार्ड में होंगे। ४-५ अफ़सरों को किसी एक मोहल्ले के बारे में ज्ञान हो सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि प्रांत भर की सारी म्युनिसिपैलिटियों की इन बातों को देखकर कि वहां हरिजनों के लिये कितनी सीटें हैं, वहां की जनसंख्या क्या है, एक ही अफ़सर लखनऊ में बैठा यह सब फैसला कर सके। यह अत्यंत आवश्यक है कि जहां के वार्डों की निर्धारणा करनी है वहां के बोर्ड से जरूर परामर्श लिया जाय।

इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि जो वार्ड बनाने का काम होगा वह बिना संबंधित नगरपालिका की राय के न हो सकेगा। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को पुराने ऐक्ट की तत्संबंधी धारा दिखाना चाहता हूं। पुराने एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। अगर माननीय मंत्री जी मूल अधिनियम की धारा ११(१) का प्रतिबंध देखें तो उनको मालूम होगा कि उसमें यह लिखा हुआ है---

"Provided that the division into wards shall be made after consultation with the board, on the basis of the population of the Municipality so as to secure, as far as posible, an equal number of electors in them. "

श्रीमन् इससे यह स्पष्ट होता है कि कि मूल अधिनियम में भी यह बात आवश्यक समझी गयी थी और वह जब कि बालिग मताधिकार का सिद्धांत भी स्वीकार नहीं किया गया था और जब कि इलेक्टर्स संख्या में बहुत कम थे, उस समय भी इस बात को आवश्यक समझा गया कि नगरपालिका से राय लेकर इस बात को किया जाय तो मैं समझता हूं कि अब मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के बाद यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है और भविष्य में और भी बहुत सी नगरपालिकायें बनेंगी यह आवश्यक है। माननीय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। श्रीमन्, जब कि नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ रही है और वोटर्स की भी संख्या बढ़ रही है तो माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाना आवश्यक है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की राय लेकर वार्ड्स का निर्धारण किया जाय। अगर माननीय मंत्री ने इस चीज को बिलकुल ही रिजेक्ट कर दिया होता तो मैं इस प्रश्न को बिल्कुल ही न उठाता, लेकिन आगे चल कर वे स्वयं इस बात को बतलाते हैं कि वार्ड्स बना कर म्युनिसिपैलिटीज की राय के लिये भेजे जायेंगे इसी में आगे चल कर यह लिखा गया है। धारा ११ की उपधारा (२) इस प्रकार है---

" (2) The draft of the Order under sub-section (1) be published for objections for a period of not less then 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments. "

इसके अतिरिक्त उपधारा (३) इस प्रकार है---

" (3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final. "

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह लिखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की राय ली जायगी लेकिन जब उपधारा (१) के अनुसार आर्डर निकल जायगा तो कमेंट्स के लिये एक नकल भेजी जायगी, बोर्ड उस पर राय देगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी प्रोसेस का सिम्प्लीफिकेशन करें और जो तरीका रखा गया है उसको सरल बनायें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बात होगी बजाय इसके कि पहले लखनऊ में बैठकर कुछ अधिकारी वार्ड्स का वितरण कर दें और फिर आर्डर बांधा जाकर वह राय के लिये भेजा जाय। मैं समझता हूं कि यह उल्टा तरीका होगा अगर इसके बजाय यह रखा जाय कि पहले म्युनिसिपैलिटीज़ की राय मांग ली जायं फिर यहां से तय कर दिया जाय तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो जायेंगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि वे पहले आर्डर बनायें और उसके बाद नकल भेजकर म्युनिसिपैलिटीज़ से उस पर कमेंट्स मांगें, आब्जेक्शन्स मांगे इसके बजाय यह ठीक होगा। बोर्ड से राय लेने के बाद वह वार्ड निर्धारण करें। उसके बाद १५ दिन का जो कहने का मंशा है उसके बाद आब्जेक्शंस लाने के बाद उसको फाइनल करें। मैं समझता हूं कि यह जो तरीका है वह प्रजातांत्रिक है और नगरपालिकाओं को सुविधा भी देने वाला है। तो इसलिये मैं इसको अत्यन्त ही आवश्यक समझता हूं। साथ ही जैसा कि मैंने अपने संशोधन में रखा है—

"so as to secure as far as possible an equal number of electors in them."

तो जहां तक सम्भव हो सके श्रीमन्, उसमें समान रूप से मतदाता आ सकें। ऐसा न हो कि किसी वार्ड में तो एक हजार वोटर्स हों और किसी वार्ड में १२ हजार वोटर्स हों। तो मैं समझता हूं कि आप मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो वार्ड्स के निर्धारण में आसानी हो जायगी। ऐसा न हो कि कोई वार्ड बड़ा हो जाय और वहां मतदाताओं की संख्या कम हो। एक बात और हो सकती है श्रीमन्, मान लीजिये किसी वार्ड से हम ५ मेम्बर चुनना चाहते हैं और दूसरे वार्ड से ४ मेम्बर चुनना चाहते हैं। तो जहां से ५ प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं वहां तो मतदाताओं की संख्या ५ हजार हो और जहां से ४ प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं उस वार्ड में मतदाताओं की संख्या हो जाय ६ हजार। इसलिये ऐसा हो सकता है जब तक कि स्पष्टीकरण न हो। तो यह दिखलाने के लिये कि समान मतदाताओं की संख्या के अनुपात से समान प्रतिनिधियों का चुनाव हो सकेगा नगरपालिकाओं के चुनाव सम्बन्धी इस विधेयक में स्पष्ट कर दिया जाना, मैं अनिवार्य समझता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको उद्घोषित करेंगे और अन्ततोगत्वा इसे कार्यान्वित भी करेंगे। यह बहुत ही आवश्यक है।

"Which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them."

तो यह नगरपालिकाओं के उन वार्ड्स के मतदाताओं की संख्या और उनके प्रतिनिधियों की संख्या में जो अनुपात हो उस अनुपात से अलग-अलग चुनाव कराने के लिये तथा तारतम्य में जो असमानता है वह न हो, इस सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के हेतु ही मैंने संशोधन रखा है। और यह संशोधन कोई नया नहीं है, जो मैं कोई ग़लती कर रहा हूं। श्रीमन्, जो पुराना विधेयक है उसी से उद्धृत करके यह रखा गया है, चूंकि मैं समझता हूं यह बहुत आवश्यक है। तो मैं आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इसको स्वीकार करें चूंकि यह उसी सिद्धान्त के कायल हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने पेश किये हैं उसके दो भाग हैं। एक यह है कि बोर्डों से पहले सलाह ले ली जाय वार्ड्स के बनाने में और दूसरा यह है कि हर वार्ड में बराबर संख्या वोटरों

की हो। इन दोनों चीजों पर बहस करते-करते माननीय नारायणदत्त जी शायद जोश में, या ग़लत इम्प्रेशन इस अमेंडमेंट का देने के लिये, यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्या चीज है, एक बात कह गये कि हो सकता है कि ५ हजार वोटर्स हों और ५ सीट्स हों और जहां ४ सीट्स हों वहां ६ हजार वोटर्स हों। इस तरह की चीज इस अमेंडमेंट के पास हो जाने के बाद सम्भव न होगी। मैं फिर माननीय नारायणदत्त जी का ध्यान ११ ए (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population"

जिसको हम अभी पारित कर चुके हैं। इस तरह से यह सम्भव नहीं है कि ५ हजार वोटर्स पर तो ५ सीट्स हों और जहां ४ सीट्स हों वहां ६ हजार वोटर्स हों। ऐसा तो नहीं है। जितना मतलब मैं इस दूसरे हिस्से का समझा वह यह था कि हर वार्ड के कुल नम्बर आफ एलेक्टर्स और हर वार्ड्स की सीट्स इस तरह से हों कि हर हालत में बिल्कुल बराबर हो जाय। यानी अगर २५ सीटें हैं तो पांच वार्ड्स ही बनें और इस तरह से पांच-पांच सीटों के लिये पांच वार्ड्स बनाई जायं। न इससे कम हो सकती हैं और न इससे ज्यादा क्योंकि उससे ज्यादा पर वह विभाजित नहीं हो सकती। या तो फिर एक-एक सीट के लिये २५ वार्ड्स बनाये जायं या फिर पांच-पांच सीट्स के पांच वार्ड्स बनाये जायं। क्योंकि इससे ज्यादा या कम में फिर डिस्ट्रीब्यूशन ईक्वल हो नहीं सकता। और जैसा इसमें है उसके हिसाब से ऐज फार ऐज पासिबिल से मतलब है कि जहां तक पापलेशन की बेसिस पर सम्भव होगा एक मेम्बर को चुनने के लिये जितने वोटर्स एक वार्ड में होंगे उतनी ही दूसरे मेम्बर को चुनने के लिये होंगी, थोड़ा बहुत फर्क हो तो दूसरी बात है लेकिन हजार पांच सौ का फर्क न होगा ऐसा ख्याल है। लेकिन आपके संशोधन से इस बात में बहुत कठिनाई हो सकती है। दूसरे सवाल का जहां तक सम्बन्ध है उस सिलसिले में मुझे तो भ्रम नहीं है कई बार यहां दुहराई जा चुकी है उसके बारे में यह भी शिकायत थी कि सुनते नहीं हैं लेकिन यह इतनी बार दुहराई जा चुकी है कि सब लोग उसको समझते हैं और मेरे दिमाग में भी कोई भ्रम नहीं है। यहां बैठा हुआ कोई आदमी वार्ड्स नहीं बना सकता यह बिल्कुल सही है और कायदा भी यही होगा कि पहले बोर्ड्स से सजेशंस मांगे जायंगे। बोर्ड्स के सजेशंस के पश्चात् ही वार्ड्स बनाये जा सकते हैं। श्री नारायणदत्त तिवारी जी का जो संशोधन है उसमें बोर्ड्स के अधिकार को छीना गया है। हम तो पहले सजेशन्स मांगेंगे उसके बाद फाइनलाइज करने के पहले उनको भेजेंगे और उनको अधिकार होगा कि वे कहें कि यहां ग़लतियां हैं लेकिन उनके हिसाब से तो एक मर्तबे सजेशंस दे देने के बाद बोर्ड्स को कोई अधिकार नहीं रहेगा। हमारे से तो गवर्नमेंट को जो सजेशंस बोर्ड्स के आयंगे उनको फायनलाइज करने के पहले विचार करना पड़ेगा। हम तो इतना एलेबोरेट अरेंजमेंट चाहते हैं और बोर्ड्स को इतना पूरा अधिकार देना चाहते हैं कि जब वार्ड्स बनाये जायं तब पहले उनके पास उनको भेजें और उसके बाद जो आबजेक्शंस आयेंगे उन पर विचार करना पड़ेगा लेकिन आप चाहते हैं कि बोर्ड को फायनल करने के पहले कोई दखल न हो सिर्फ सजेशंस आ जायं फिर चाहे सरकार उन पर विचार करे या न करे जो चाहे सो करे उनको आब्जेक्शंस करने का भी अधिकार न हो। इसलिये यह बहुत सोच विचार कर रखा गया है कि बोर्ड्स से जो सलाह आयेगी उसके बिना तो वार्ड्स का बनाना मुश्किल है उसके अनुसार वार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनके बनने के बाद फायनल होने के पहले उनसे सलाह ली जायगी। आपका संशोधन इन दोनों चीजों को इम्प्रूव नहीं करता है बल्कि उसमें और डिफ़ीकल्टीज पैदा करता है।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि मैं इनको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद जो मुझे भ्रम था कि माननीय मंत्री जी ने मुझे सुनने की कृपा नहीं की वह स्पष्ट हो गया। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने ध्यानपूर्वक मेरे निवेदन को सुनने की कृपा नहीं की।

माननीय मंत्री जी ने इस बात को दो बार दोहराया कि अगर हमारे संशोधन को वह स्वीकार करते हैं तो बोर्डों की ताकतें खत्म हो जाती हैं। मैंने कहीं भी यह नहीं कहा है, मेरे संशोधन आगे भी हैं, उनमें कहीं पर भी नहीं है कि ११ (बी) की २ और ३ उपधाराएं डिलीट कर दी जायं। अगर मेरा संशोधन कोई ऐसा होता कि उक्त उपधाराओं को खत्म कर दिया तब मंत्री जी कह सकते थे कि बोर्ड की ताकतें खत्म हो जायंगीं। आब्जेक्शंस और कमेंट्स के बारे में मैंने अभी कहा, मेरी रिपोर्ट में देख लिया जाय मैंने अभी यह स्पष्ट कहा कि आब्जेक्शंस और कमेंट्स आप रहने दें। मेरे प्रश्न का अब भी माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। मैं यह कहना चहता था कि बिना हर एक शहर की स्थिति को जाने किस प्रकार उस स्टेट गवर्नमेंट के कोई अधिकारी, क्यों कोई अधिकारी ही करेंगे, डाइरेक्टर आफ इलेक्शंस बनाये जायेंगे वह करेंगे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी करेंगे। बिना म्युनिसिपिल बोर्ड की राय के आप सही और ठीक आर्डर निकाल ही नहीं सकते हैं। यह आवश्यक है कि वह सही निर्धारण के लिए धारा ११ (१) (ए) के अनुसार वार्डों के डिवीजन की, फार दि परपजेज आफ एलेक्शन वह वार्डों की सूचना को जानने के लिए म्युनिसिपैलिटीज से सलाह लें। और म्यूनिसिपैलिटीज की सलाह के बाद जो परिवर्तित आज्ञा हो उसको नगरपालिका के पास भेजा जाय।

माननीय मंत्री जी ने एक चीज कोट ही नहीं की। मैं उनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता था। वह यह है—

"11-C. The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or mend the final Order under sub-section (3) of section 11-B."

"आफ्टर कंसल्टिंग दि बोर्ड कंसर्न्ड" यह आपने रखा है। तो ११ (सी) में आप कंसल्ट करते हैं। पहली स्टेज में आप कंसल्ट न करें और आखिरी स्टेज में कंसल्ट करें यह मेरी समझ में नहीं आता। जब बहुत बीमार हो जाय तभी आप डाक्टर को बुलाएं और, अगर प्रारम्भिक दशा में डाक्टर को बुला लें तो क्या बुरा है। बजाय इसके कि मर्ज बहुत बढ़ जाय तब आप डाक्टर को बुलाएं, आप प्रारम्भिक स्टेज में ही डाक्टर को बुला कर मर्ज को खत्म कर दें। तो अंत में आप बोर्ड से सलाह लेते हैं, बीच में सलाह लेते हैं, लेकिन शुरू में सलाह नहीं ले रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी उससे मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ। मेरे पास कोई सूचनाएं नहीं हैं और मैं तो इस की कल्पना भी नहीं कर सकता कि माननीय मंत्री जी म्यूनिसिपैलिटियों से पत्र-व्यवहार करें और म्यूनिसिपैलिटियां उसका जवाब न दें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर हम बोर्ड्स से पूछें कि आपके यहां कौन कौन से वार्ड बने और वह राय पूछने पर जवाब हीं न दें तो क्या होगा? श्रीमन् मैं इतनी कल्पना नहीं कर सकता मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि चुनाव के बारे में जैसे ही वार्डों के बारे में सलाह की बात होगी तो चाहे एक्स्ट्राआर्डिनरी मीटिंग काल करनी पड़े वह तुरन्त अपनी मीटिंग करेंगे और मेरा ख्याल है कि अधिकतर एकमत से वह अपनी राय भेजेंगे

कि कौन कौन वार्ड बनने चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाय कि कोई बोर्ड जवाब ही नहीं देता है सरकार के पूछने पर कि कौन कौन वार्ड्स बनने चाहिए तो माननीय मंत्री जी के हाथ में बहुत कुछ है। रिमूवल, डिजोल्यूशन और सस्पेंड करने का अधिकार तो आपको है ही। आप कर सकते हैं। तो ताकतें आपके पास हैं। आपको दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन उसके मानी यह नहीं है कि आप यह प्रावीजन उसमें न रखें और जो आज तक कार्य प्रणाली है वह न चलने दी जाय। माननीय मंत्री जी हमको बतलायें कि आज तक यह कार्यप्रणाली क्यों असफल रही। अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी का बाई एलेक्शन हुआ तो क्या वहां इस कार्य प्रणाली से माननीय मंत्री जी को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कोई दिक्कत महसूस हुई। अगर नहीं हुई तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह आखरी स्टेज में इस बात की गुंजायश रखना चाहते हैं कन्सल्टेशन की, इंटरमिडियेट स्टेज में गुंजायश कंसलटेशन की रखना चाहते हैं तो प्रायमरी स्टेज में क्यों नहीं उसको रखते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि असेम्बली या पार्लियामेंट के एलेक्शस हों और एलेक्शन कमीशन बिना सरकार की राय लिये हुए डिलिमिटेशन आफ कांस्टिटचुएंसी कर देगा। जितने एलेक्शन हुए वह एक दम प्रेसीडेंट के आर्डर से नहीं हुए बल्कि उसमें सरकारों की राय ले करके डिलिमिटेशन हुआ। इसके बाद आब्जेक्शंस इंवाइट किये गये। यही प्रोसीज्यर मैंने देखा और यह कामनसेंस की बात है कि वही यहां भी होना चाहिये। और माननीय मंत्री जी ने जो ११ (ए) की उपधारा २ पढ़ी उसमें करीब करीब यह आ गया। लेकिन उसमें 'ऐण्ड' शब्द रख देने से यह गड़बड़ आ गयी। "इट्स पापुलेशन" किसके लिये यूज हुआ यह स्पष्ट नहीं होता। वार्ड के लिये हुआ या म्युनिसिपैलिटी के लिये हुआ? अगर यहां "बी टु" रख दिया जाय तो यह ग़लतफहमी दूर हो जाती, लेकिन "ऐंड इट्स" शब्द तो प्रत्येक वार्ड और म्युनिसिपैलिटी के लिये भी हो सकता है। इसको दूर करने के लिये अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लिये होते तो अच्छा था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप खुद इंटरप्रीट करके माननीय मंत्री जी को बतला दें कि "इट्स" शब्द दोनों के लिये यूज हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन यहां अत्यन्त आवश्यक है ताकि कोई असमानता न रहे। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को भ्रमवश न देखें और न यह समझें कि मुझे जोश आ गया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। हर समय जोश आना बेकार होता है। मैंने तो उन्हें एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाय तो माननीय मंत्री क्या करेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वह उस पर पुनर्विचार करें और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब बातें पहले साफ कर चुका हूं और कोई और बात कहने की जरूरत नहीं है। इसलिये मुझे कुछ और बत-लाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 11-B की उपधारा (1) के भाग (a) में निम्नलिखित प्रनिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"Provided that the division into wards shall be made after consultation with the board concerned, which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11-B की उपधारा (1) के भाग (c) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"Provided that the number of seats so allotted for each ward shall not exceed seven and shall not be less than three."

श्रीमन् यह जो संशोधन है मैं इसे इस विधेयक के लिये अत्यावश्यक समझता हूं, बहुत ही जरूरी समझता हूं। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा कम से कम और अधिक से अधिक प्रतिनिधियों की संख्या को २० और ८० से घटा कर १५ और ५० कर दिया है, उसी प्रकार उनके लिये यह भी आवश्यक था कि वह यह स्पष्ट करें कि हर वार्ड में कम से कम कितने प्रतिनिधि चुने जायंगे और अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि चुने जायंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि वार्ड्स कितने होंगे इस बात की संख्या को निर्धारित करने का इस सरकार को अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार इस विधेयक में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य कितने होंगे और कम से कम सदस्य कितने होंगे वैसे ही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वार्ड में कम से कम कितने सदस्य होंगे और अधिक से अधिक कितने होंगे। कोई माननीय सदस्य यह भी कह सकते हैं कि कम से कम सदस्य तो एक हो सकता है। मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हूं कि कम से कम सदस्य तो एक होता ही है, हो सकता है। लेकिन इसमें हमें यह सोचना है कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती है जिसमें केवल एक ही सदस्य एक वार्ड में न चुना जाय। मैं ऐसा नहीं समझता अगर हो सकता है और माननीय मंत्री जी उसका उदाहरण देंगे तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा और उस समय मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि जहां तक कि कम से कम जो संख्या रखी है "लेस दैन थी" उसको मैं हटा लूं। लेकिन फिर भी मैं इस बात की आवश्यकता समझता हूं कि कम से कम इस बात को तो स्पष्ट ही कर दिया जाय कि एक वार्ड में अधिक से अधिक कितने सदस्य चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैंने और भी प्रान्तों की नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो विधेयक हैं उनको देखने की चेष्टा की। मैं सदन का अधिक समय नहीं नष्ट करना चाहता और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मध्य प्रान्त या पंजाब में या बम्बई में किस प्रकार वार्ड के सदस्यों की कम से कम और अधिक से अधिक संख्या रखी गई है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक प्रान्त में सम्भवतः इस बात की चेष्टा की गई है और यह निर्धारित कर दिया गया है कि एक वार्ड में अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे और कम से कम कितने सदस्य होंगे। जहां तक मैंने देखा श्रीमन्, और प्रान्तों की नगरपालिकाओं के विधेयकों में जो चुनाव सम्बन्धी धारायें हैं उनमें प्रत्येक विधेयक के अन्दर इस प्रकार का प्राविजन है जिसमें बतलाया गया है कि वार्डों में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे। हमारे इस प्रान्त में भी आज तक जो मूल अधिनियम की जो धारा प्रयुक्त की जाती थी उसमें भी स्पष्टतः इस बात को उद्घोषित कर दिया गया था। मैं आपकी आज्ञा से उस धारा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुराने मूल अधिनियम की धारा ११ की मूल उपधारा १ इस प्रकार है--

"(1) The Local Government may prescribe by rule in respect of any one or more Municipalities—

(*a*) the division of the municipality into two or more wards, and the number of representatives to be elected for each ward, and

(*b*) the provision to be made for the special representation, among the elected members, of any classes of the community :"

इसका दूसरा प्रतिबन्ध है--

"Provided also that the number of members allotted for each ward shall not exceed seven and shall not be less than three."

तो आज तक हमारे इस प्रान्त में भी म्युनिसिपैलिटीज विधेयक के अन्दर यह स्पष्ट था और विधेयकों ने यह स्पष्ट कर रखा था कि कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे। तो इसलिये मैं अधिक बहस में न जाते हुए लम्बे कोटेशंस न देते हुए और सदन के समय को बचाते हुए माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यह कोई विरोधी पक्ष के विरोध का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि चाहे किसी भी कारण से यह बात रही हो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने रखा है वह वही है जो इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में है। उसको अच्छी तरह सोच विचार कर बदलने की जरूरत महसूस की गयी है। आज भी इस प्रदेश में ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जहां एक वार्ड से एक मेम्बर चुना जाता है। इस चीज को हम क्यों हटा दें? अगर परिस्थिति की यह मांग हो कि एक सीट का एक वार्ड बनाया जाय तो क्यों न बनाया जाय? अगर दो मेम्बर को एक वार्ड बनाया जा सके तो क्यों न बनाया जाय? तो तीन की कम से कम रखने की यह बात कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है। जहां तक ७ का सम्बन्ध है यह संख्या खुद बखुद काफी मुझे बड़ी मालूम होती है क्योंकि जो अब आगे चुनाव होंगे उनमें अगर एक वार्ड ७ का होगा और तीन चार पार्टियां होंगी, दस पांच आदमी अपने निजी ढंग से खड़े होंगे, तो सात की या जो भी संख्या हो, उसका तिगुना, चौगुना नम्बर उम्मीदवारों का हो जाना स्वाभाविक है। तो २८ उम्मीदवार अगर एक वार्ड से खड़े हों जिसमें कि सात सीट हों, तो मतदाताओं को २८ नाम याद रखना और उनको वोट देना काफी मुश्किल हो जायगा। इसलिये न तीन की संख्या हो और न सात की संख्या हो। यह डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस तय करेगा कि कितनी संख्या हो। तीन की जो संख्या है उसमें बहुत डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इसलिये न हम तीन रखते हैं और न सात रखते हैं लेकिन इसको डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस पर छोड़ते हैं कि जैसी उसको सुविधा हो वैसा वह करे। इस सम्बन्ध में म्यूनिसिपैलिटीज को जो आपत्ति होगी उसको बाद में देख लिया जायगा और जितनी उसमें खराबियां होंगी उनका संशोधन बाद में कर लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि यह संशोधन मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि वे बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज को जानते हैं कि जहां किसी वार्ड से एक मेम्बर भी हो सकता है। मैं उनसे यह कहने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं कि जब वे म्युनिसिपैलिटियों का नये सिरे से एडल्ट फ्रैंचाइज पर इलेक्शन कराने जा रहे हैं और वार्ड्स भी वे बनायेंगे तो किसी भी म्युनिसिपैलिटी को यह अधिकार देना कि वह किसी जगह एक मेम्बर का ही एक वार्ड बना लें, दूसरी जगह तीन मेम्बर का वार्ड बना ले, तीसरी जगह चार मेम्बर का एक वार्ड बना ले, यह एक बेतुकी बात होगी। मैं समझता हूं कि हर एक को ईक्वल अपारचुनीटी मिले, सब के साथ जस्टिस हो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम जो संख्या तिवारी जी ने अपने संशोधन में रखी है तीन की, वह जायज है, ठीक है, उससे किसी खास पार्टी को या कम्युनिटी को कोई खास फायदा नहीं हो सकता है बल्कि इंसाफ होगा, इसलिये उसको मान लेना चाहिये। जब कि १५ और ५० के बीच में वे संख्या तय कर चुके हैं, तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि वे इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी भी हो सकती है जहां एक वार्ड में एक मेम्बर हो।

मैं समझता हूं कि जो तिवारी जी ने यह संशोधन रखा है कि कम से कम किसी भी वार्ड में तीन की संख्या रखी जाय यह तो इसलिये भी मदद करेगा कि जहां पर कि

[श्री भवानी सिंह]

म्यूनिसिपैलिटियों के वार्ड न बनें उसमें भी मदद करेगा और आप के एलेक्शन्स में भी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि अधिक संख्या सात रखी है, मैं भी समझता हूं कि सात ठीक नहीं है बल्कि पांच ठीक हो सकती है। जैसा उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर २५ मेम्बर हों तो पांच पांच के लिहाज से ५ वार्ड बन सकते हैं, २५ हो जायेंगे। तिवारी जी का जो संशोधन है, उसमें जो मिनिमम संख्या रखी गई है ३ की, उसका मैं जोरों के साथ समर्थन करता हूं और इसी संशोधन के साथ सात की जगह पांच मान लें, माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को इस संशोधित अवस्था में स्वीकार करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि माननीय मंत्री जी ने मेरे इस संशोधन को भी नामंजूर कर दिया। मैं यह नहीं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी विरोधी दल से कहा करते हैं कि वह सुझाव दिया करें।

श्री मोहनलाल गौतम—आप जैसे संशोधन को मैंने नामंजूर नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विरोधी दल वाले कोई संशोधन दिया करें तो सरकार बताये कि कौन सी बात वह माकूल समझती है और कौन सी बात वह समझती है कि सही नहीं है या माननीय मंत्री इस बात की परिभाषा कर दिया करें कि कौन सी बात सही है, माकूल है, रीजनेबिल है तो हम को भी आसानी होगी या तो माननीय मंत्री जी कहा करें कि विरोधी दल जो कहता है वह गलत है। अगर यह परिभाषा है तो ठीक है। लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इस दलील को सुनकर कि तीन भी गलत है, सात भी गलत है और होगी कौनसी संख्या वह तो एलेक्शन कमिश्नर तै करेगा। तीन बहुत कम हो गया है और सात बहुत ज्यादा हो गया है, हो क्या सकता है यह एलेक्शन कमिश्नर तै करेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सुनें तो शायद कम से कम उनपर असर पड़े।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी बात सुनें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह जरूरी है कि मैं हर एक लफ्ज सुनूं ही।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर माननीय मंत्री जी न सुनें तो मेरा कहना बिलकुल बेकार है।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर माकूल बात हो तो जरूर सुनूंगा।

एक सदस्य—कैसे पता चलेगा कि कौन माकूल बात है।

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है, अगर वे सामने न देखें तो भी सुन सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कौन सी बात सही है, इस बात की परिभाषा माननीय मंत्री जी करें। कौन सी बात सही है, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं, माननीय मंत्री जी जो कुछ कहें वह सही होगा और उन्हें सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अगर हम आक्षेप लगाते हैं तो उसके लिये माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि यह माकूल बात नहीं है, अगर हम निराधार आरोप लगाते हैं तो उसके बारे में कह सकते हैं कि यह माकूल बात नहीं है इस सुझाव देने के बारे में जो कि स्पष्ट है कि इंडिया की हर म्युनिसिपैलिटी के हर ऐक्ट में है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक ऐक्ट भी दिखलायें जिसमें ऐसा प्राविजन न हो, मुझे तो कोई ऐक्ट नहीं मिला। पुराने ऐक्ट में भी यह मौजूद था।

परन्तु हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन करेगा, कहां है ऐक्ट में? मैंने रेगुलेट शब्द रखा था, माननीय मंत्री ने कहा कि रेगुलेट नहीं आयेगा। उस समय तो उसका विरोध कर दिया तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि कहां डाइरेक्टर आफ इलेक्शनस के लिये दिया है। डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के बारे में सिर्फ इतना दिया है।

"There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies)."

तो एलेक्टोरल रोल्स डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स बनवायेंगे। सुपरवाइज करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब वह कहते हैं डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स। वह तो कह देंगे हम उनको नोटिफिकेशन के जरिये अथारिटी दे देंगे। लेकिन इस ऐक्ट में कहां यह स्पेसिफिकली यह लिखा हुआ है कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स हर उस काम को करेगा। तो इसलिये, औचित्य, बजाय यह कहने के कि डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स तय करेंगे उस वार्ड में कितने आदमी होंगे, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले ८० मेम्बर ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर हमीरपुर को आप ले लीजिये। हमीरपुर में आजकल २० मेम्बर थे। अब और कम हो जायेंगे, १५ हो जायेंगे, १८ हो जायं। तो क्या १८ वार्ड आप वहां कर देंगे, एक मेम्बर के पीछे एक वार्ड तब तो इतने आब्जेक्शन्स होंगे कि कुछ कहना नहीं। कोई कहेगा कि पांच मोहल्लों का एक वार्ड हो, कोई कहेगा दो मोहल्लों का एक वार्ड हो। जिससमय एलेक्शन पेटीशन्स होंगे उस समय लोग कहेंगे कि हमने यह आब्जेक्शन पेश किया था। तो इससे तो यह है कि जितने मेम्बर हों उतने ही वार्ड हों। क्या माननीय मंत्री जी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? अगर मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि जितने मेम्बर हों उतने वार्ड हों। मान लिया जाय कि किसी बड़े शहर में जैसे कि इलाहाबाद है, वहां जहां तक मेरी सूचना है कार्पोरेशन नहीं बनने जा रहा है, वहां ५० मेम्बर रहेंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी वहां ५० वार्ड बनायेंगे। इस विधेयक के अनुसार तो यह भी गुंजाइश है कि आब्जेक्शन भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कहीं किसी मेम्बर की तबियत आयी आब्जेक्शन उठाने को तो वह यही उठायेगा कि मैं तो यह चाहता हूं कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के अन्दर ५० वार्डस हों। तो क्या माननीय मंत्री जी ५० वार्डस करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप इसको विधेयक में स्पष्ट क्यों नहीं कर देते। माननीय मंत्री जी मिनिमम एक कहते हैं। तो मैक्सिमम कितने रहेंगे। सात नहीं तो मैं ६ मान लेता हूं, ६ नहीं तो ५ मान लेता हूं। लेकिन मैक्सिमम भी तो कोई फिक्स कर दें। मिनिमम की तो आधी राय रही। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी पूरी राय देंगे और मैक्सिमम भी फिक्स कर देंगे। तो इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इसको आप स्पष्ट करें। इतना कहने के बाद मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे माकूल सुझाव को अवश्य स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 11-A का (२) हमारे सामने हो और हम उस पर विचार कर लें जिसमें यह लिखा है कि "

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population."

अर्थात् जिस तरह से वार्ड की आबादी म्युनिसिपैलिटी के अनुपात में होगी उसी तरह से उनकी संख्या होगी। जो चीज इसमें खास तौर से दी गई है वह यह है कि एक मेम्बर के पीछे जितने वोटर्स हों उतने ही करीब करीब दूसरे के पीछे हों यानी "equal number of voters" एक मेम्बर को चुनें। इसको मानने के बाद यह बड़ा कठिन हो जायगा कि वर्क आउट करें कि मिनिमम और मैक्जीमम कर दें। तीन चार या पांच छै करने में कठिनाई होती है और इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वार्ड

[श्री मोहनलाल गौतम]

बनाने के बाद म्युनिसिपैलिटीज से सलाह ले ली जायगी और माकूल ढंग से वार्ड बनेंगे। इसलिये इससे ज्यादा मुझे और किसी बात के जवाब देने की आवश्यकता मालूम नहीं होती है। बहुत सी बातें कही गईं। उन्होंने अपने अमेंडमेंट को माकूल समझा है और मैं उसको कुछ और समझूं तो यह मेरे समझने की बात है। इतना कहने के बाद मुझे अफसोस है कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ११(ए) (२) में जो शब्द " it " आया है तो इसका अर्थ क्या है। यह म्युनिसिपैलिटी के लिये है या वार्ड के लिये है।

श्री मोहनलाल गौतम—जिसके बिलकुल नजदीक है उसी के लिये है। वार्ड के नजदीक नहीं है इसलिये म्युनिसिपैलिटी के लिये है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 11-B की उप धारा (1) के भाग (c) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय —

" Provided that the number of seats so alloted for each ward shall not exceed seven and shall not be less than three."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11—B की उपधारा (1) के भाग (d) की पंक्ति १ में शब्द व अर्धविराम चिन्ह "if any" निकाल दिये जायं।

श्रीमान् अगर हम धारा 11–B की उपधारा (d) को देखें तो वह इस प्रकार है the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes"

लेकिन इसके ऊपर है "the number of seats allotted to each ward" तो इफ एनी का तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई सीट्स रिजर्व हैं और वहां कोई शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, यह अभिप्राय "इफ एनी" से आता है। श्रीमान् मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रान्त की हर नगरपालिका में जो हरिजन वर्ग के लोग हैं वे काफी तादाद में हैं और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार ने इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश रक्खी है कि हर नगरपालिका में हरिजनों की सीट्स रिजर्व रहें। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान संशोधित धारा ९ के बाद जो नई धारा ९ ए रक्खी गई है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जिसको भवन मंजूर कर चुका है जिसमें यह लिखा है "Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each ward" इसमें "इफ एनी" नहीं लिखा हुआ है। अगर 9–A की उपधारा (१) में यह लिखा होता कि "Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each ward if any" तो जैसा ११ डी में लिखा हुआ है "नम्बर आफ सीट्स इफ ऐनी" वह सही होता लेकिन जब एक ओर हम यह मान चुके हैं कि हम हर बोर्ड में हरिजनों के लिये सीट्स रिजर्व करेंगे तो, "इफ ऐनी" शब्द शोभा नहीं देते क्योंकि हम हर बोर्ड में यह पहले ही लाजिम कर चुके हैं कि हर बोर्ड में हम हरिजनों की सीट्स रिजर्व करेंगे तो "इफ एनी" का रखना गैर जरूरी है। यह सुपरफ्लुअस है। तो मैं यह कहूंगा कि किस प्रकार यह स्पष्ट है" Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each ward" उसीप्रकार यह स्पष्ट है "the number of seats reserved for Scheduled Castes" इसलिये, माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसको डिलीट कर दें और जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो धारा पढ़ कर सुनाई गई उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें यह है कि हर बोर्ड में हरिजनों के लिये सीट्स रिजर्व होंगी। किस प्रकार होंगी, जितनी कि उनकी आबादी है।

अगर उनकी आबादी है तो हर एक बोर्ड में सीट रिजर्व होगी और अगर सीट रिजर्व होगी तो यह होगा। इसलिये इन दोनों चीजों में विरोध नहीं है और इसमें बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है और "if any" कहने से यह नहीं हो जाता। अगर उनकी आबादी इतनी है कि जितनी आबादी कम से कम एक सीट के लिये जरूरी है तो वहां पर यह नहीं होगा कि उनकी रिजर्व न की जाय। इसलिये यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि उनकी आबादी होते हुये भी उनको अधिकार न दिया जाय। यह ड्राफ्ट की बात है इसमें यह कहना कि 'होगा या नहीं होगा' इस तरह से नहीं होता है जो धारा पढ़कर सुनाई है सीट उसके मुताबिक रिजर्व होगी और वह किस तरह से होगी यह आगे कहा गया है। मुझे अफसोस है कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री जी ने जो कह दिया कि ९ में और इसमें कोई विरोध नहीं है। अगर ड्राफ्ट की बात है तो जब ९ ए ड्राफ्ट हुई थी उस वक्त भी यह लिख दिया जा सकता था। इसका मतलब तो यही है कि आबादी हो या न हो हर बोर्ड में सीट रिजर्व होगी "Seat shall be reserved in evey Board" आपको हर बोर्ड में सीट रिजर्व करनी पड़ेगी जहां जहां पर आबादी २ की हो, ५ की हो या हजार की हो। उस पर यह मान लेना कि कहीं पर वह आबादी हो तभी रिजर्व होगी यह बात नहीं है। और ऐसे कितने म्युनिसिपल बोर्ड हैं जहां कि हरिजनों की आबादी नहीं है। कम से कम माननीय मंत्री जी यह बतलायें कि कितने ऐसे प्रान्त के म्युनिसिपल बोर्ड हैं कि जहां पर हरिजनों की इतनी तादाद नहीं है कि उनको एक भी सीट न मिले। और फिर इसमें तो पापुलेशन का सवाल ही नहीं है। जिन लोगों ने उस धारा को ड्राफ्ट किया था उन्होंने ही इसको भी ड्राफ्ट किया है। ऐसी क्या बात उन्होंने समझी कि वहां पर 'if any' की आवश्यकता नहीं समझी और यहां पर आवश्यकता समझी। इसको मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर क्यों होना चाहिये। पहले आपने आवश्यकता नहीं समझी जहां पर सीट को रिजर्व किया और यहां पर अब "इफ एनी" की आवश्यकता पड़ी। धारा ९ ए. में इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई और यहां पर धारा ११ में इसकी आवश्यकता महसूस हुई है तो यह एक परस्पर विरोध है। इसमें तारतम्य तो होना चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यहां पर "इफ एनी" का प्रयोग जो किया गया है और पहले उसका प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या है इसका तारतम्य तो बतलाना चाहिये। माननीय मंत्री जी ऐसा उदाहरण दें कि जिससे यह मालूम हो कि इस प्रान्त में कोई बोर्ड ऐसा है कि जहां पर हरिजनों को एक सीट भी नहीं दी जा सकती और उनका एक सदस्य भी नहीं चुना जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (1) के भाग (d) की पंक्ति १ में शब्द व अर्धविराम चिन्ह "if any," निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक व शब्द "15 days" के स्थान पर शब्द "one Month" रख दिये जायं।

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल की धारा 11 . इस प्रकार है

" 11—B (1) The State Government shall, by Order, determine—

(*a*) the wards in which each municipality shall be dividedfor purposes of elections to the board;

(*b*) the extent of each ward;

(*c*) the number of seats allotted to each ward; and

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments."

अध्यक्ष महोदय, धारा ११ बी के खंड १ में जिन चीजों का जिक्र है वह जब तै हो जायंगे और उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करावेगी कि यह हमारा प्राविजनल फैसला है और जिनको आपत्ति करना है जैसे किसी वार्ड के एरिया को बढ़ाना है या सीटों या रिजर्वेशन के बारे में कोई आपत्ति है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्राविजनल स्कीम मांग कर पब्लिश कराया जायगा और बोर्डों के पास भेजेंगे कि वह अपने सुझाव भेजें। इसके लिए १५ दिन की म्याद रखी गई है। मेरा ख्याल यह है कि अगर इस तरह से रखा जायगा कि "नाट लैस दैन १५ डेज" तो इसके मानी यह जरूर हैं कि इससे ज्यादा भी स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है लेकिन अगर वह १५ ही दिन रखना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन जहां तक पब्लिश करने का सवाल है, मेरा ख्याल यह है कि वह गजट में छपावेंगे या कोई स्पेशल पैम्फलेट इसके लिए छपावेंगे। तो इसमें उस वक्त ऐसी इर्रेगुलेरिटी हो सकती हैं जैसे दस-दस दिन बाद वह हेडक्वार्टर में पहुंचे और फिर वहां लोगों को नोटिफिकेशन दिया जायगा, तो इस तरह से यह १५ दिन का समय बहुत नाकाफी है कि उस पर लोग गौर कर सकें क्योंकि आम तौर से लोग इन मामलों में कम दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह समय ३० दिन से कम न होना चाहिए। इसमें कोई मौलिक सिद्धान्त की बात नहीं है और आशा है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द इसमें हैं जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि 'नाट लैस दैन १५ days' इस से यह जरूरी नहीं है कि १५ दिन ही रखे जायं ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसी अवस्था होगी उसके अनुसार सरकार करेगी जब आब्जैक्शन्स के लिए किसी चीज को छापा जाय तो यह समझ लेना चाहिये कि समय इतना हो कि लोग उस पर गौर करें और अपनी राय दे सकें इसलिये जानबूझ कर यह शब्द "नाट लैस दैन १५ डेज" रखे गए हैं ताकि समय पर देख कर जितने वक्त की जरूरत हो उतना समय दिया जाय। जब कि उधर से यह मांग की जाती है कि चुनाव जल्दी कराये जायं तो इस तरह से तो प्रोसीजर लम्बा करने से चुनाव में देर ही हो सकती है फिर यह एक्यूज किया जाने लगेगा कि पार्टी मोटिव्ज के लिये चुनाव में देर कराई जा रही है। इसलिए मैं इस को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामनारायण-त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने फिर कृपा करके चुनाव की बात दोहरा दी। वह बार-बार यही आरोप लगाते हैं कि विरोधी दल अधिक समय लेने की हर जगह बात करता है। चाहे चुनाव के सम्बन्ध में बात हो या न हो वह जरूर कह देते हैं कि चुनाव लम्बा हो जायगा। मैंने इस संशोधन को देखा है इसमें यह लिखा है—

"The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for" objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

इसमें पहले से कमेंट्स के लिये का समय तो जी ने इस अगर माननीय के कमेंट्स ही का उन्हीं के ऊपर आता है कि वह जब चाहें तब करा सकते हैं और ऐसा ही उन्होंने आज तक किया है। इसलिये सवाल यह नहीं है कि अगर १५ दिन में ऐतराजात आ जावेंगे तो चुनाव जल्दी हो जायेंगे, १ महीने में ऐतराज आवेंगे तो देर हो जायगी। यह सवाल नहीं है। इस आर्डर में ये चार बातें होंगी।

लिखा है कि कम से कम १५ दिन तक तो जरूर पब्लिश किये जावेंगे लेकिन कोई समय नहीं है। यह १ महीने से भी ज्यादा हो सकता है। १५ दिन आबजैक्शंस के लिये है। अगर स्कोप का सवाल है तो माननीय मंत्री विधेयक में गुंजायश रखी है जिसका वे हम पर आरोप लगाते हैं। मंत्री जी चुनाव देर में कराना चाहें तो वह कह सकते हैं कि हमारे पास बोर्ड नहीं आये, हम क्या करें, इसलिये देर लग गई। तो यह आरोप देरी

"(a) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board;
(b) the extent of each ward;
(c) the number of seats allotted to each ward; and
(d) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes."

तो क्या माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि १५ दिन में जब कि इतना विवादास्पद विषय है, किसी भी पार्टी या व्यक्ति के लिये आबजैक्शन लेकर यहां भेजना सम्भव है? मैं समझता हूं कि १५ दिन बहुत ही नाकाफी होगा। इस थोड़े से समय में सही आबजैक्शन्स का आना सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इससे केवल म्युनिसिपल बोर्ड ही सम्बन्धित नहीं है। जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मतदाता हैं और लोग हैं वे भी सम्मिलित हैं। यह अनुचित होगा कि हम म्युनिसिपल बोर्ड्स को तो ३, ३ कमेंट्स करने का मौका दें और दूसरों को एक भी ठीक से न दें। तो माननीय मंत्री जी एक बार तो म्युनिसिपल बोर्ड्स को कमेंट्स का मौका देते हैं धारा ११ बी, में और ११ सी, में फिर कंसलटेशन का मौका देते हैं कि कंसलटेशन के बाद वे फाइनल आर्डर निकालें। इस तरह से कमेंट्स में म्युनिसिपल बोर्ड काफी देर लगा सकते हैं और फिर ११ सी० के अनुसार उनको फाइनल आर्डर को बदलवाने के लिये और कंसलटेशन के लिये भी मौका देते हैं। जब एक तरफ माननीय मंत्री जी म्युनिसिपैलिटियों को इतना मौका देते हैं जिससे काफी समय लग सकता है, रद्दो-बदल भी हो सकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी साधारण मतदाताओं को इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं कि बजाय १५ दिन के उनको और १५ दिन का समय मिल जाय? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह ख्याल नहीं है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहता हूं कि अगर आप म्यूनिसिपैलिटियों को दो बार मौका देते हैं अपनी राय को बनाने का और उन्हें बदलने का कि वे बाद में अपने विचार से संशोधन पेश कर सकें तो मैं समझता हूं कि उन म्युनिसिपैलिटियों को बनाने वाले मतदाताओं को भी अधिकार देना चाहिये; म्युनिसिपल बोर्ड के शासन प्रबन्ध में दिलचस्पी लेने वाले जो नागरिक हैं उनको इतना मौका देना चाहिये कि वे संशोधन के लिये अपने विचार प्रकाशित कर सकें। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मतदाताओं को एक ही मौका मिलता है इसी धारा के अनुसार मतदाताओं को मौका मिल सकता है। साधारण नागरिक को या दिलचस्पी लेने वाले नागरिकों को यह मौका मिलना चाहिये कि वे ऐसे आर्डर को बदलवा सकें। इसलिये मतदाताओं को मौका मिले और पूरा मौका मिले इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय नारायण दत्त जी ने वही गलती की जिसका कि जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया था। यह जो ११ बी, की उपधारा (२) है उसके अन्तर्गत तो कम से कम १५

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

दिन का समय है। कम से कम १५ दिन के समय में यदि यह कहा जाय कि १५ दिन में ही सब कुछ हो जायगा, तो इसका इशारा उन माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह संशोधन रखा है वे समझ गये थे और उन्होंने स्वयं यह मंजूर किया था कि १५ दिन कम से कम एक महीना भी हो सकता है। लेकिन माननीय नारायण दत्त जी ने यहां यह जिक्र किया कि १५ दिन से ज्यादा मौका मिलना चाहिये। मैं यह ख्याल करता हूं कि ११ बी० की उपधारा (२) की जो भाषा है उसमें यह निहित है कि कम से कम १५ दिन और अधिक से अधिक जितने समय की आवश्यकता हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि मेरा कहना यह था कि कम से कम एक महीना मौका होना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तो जो कम से कम १५ दिन या एक महीने की बात है इस सम्बन्ध में मैं अपने विरोधी दल के मित्रों को केवल उन्हीं की कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने किसी दिन यह जिक्र किया कि अमेरिका में चुनाव तीन दिन के अन्दर हो जाया करते हैं। लड़ाई के जमाने में भी चुनाव हो जाया करते हैं फिर यहां के चुनावों में कई वर्ष का देर लगाना और इतना समय लगाना कहां तक उचित है।

एक बात और मैं कुछ दूसरे शब्दों में उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है चुनाव हो इसमें उनको इंकार नहीं है और चुनाव जल्दी से जल्दी हो इसमें भी उनको इंकार नहीं है लेकिन यदि आप अपने म्युनिसिपल ऐक्ट में ही निरन्तर समय बढ़ाते जायं और समय बढ़ाने की मांग करें तो जितना समय आप बढ़ाना चाहते हैं आपके वे मित्र जो समय बढ़ाने के ज्यादा पक्षपाती हैं वे और भी ज्यादा समय बढ़ाना चाहेंगे। मेरी ऐसी निश्चित धारणा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि इसमें "नाट लेस दैन १५ डेज" के स्थान पर "नाट लेस दैन वन मंथ" की बात रहती तो आप "नाट लेस दैन टू मंथ्स" की मांग करते क्योंकि यदि केवल समय बढ़ाने ही का प्रश्न है तो १५ दिन और एक महीने में अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक १५ दिन वाली बात है एक दूसरे अर्थ में और भी सही है। क्योंकि यह जो ११ बी की उपधारा (२) है इसमें तीन कामों की ओर इशारा है। एक तो यह है---

(2) "The draft of the Order under sub section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days."

एक कार्य पूरा हुआ यानी आबजेक्शंस के लिये गवर्नमेंट आर्डर को १५ दिन से कम के लिये आना असम्भव है इसलिये अधिक दिनों के लिये आबजेक्शंस पब्लिश किये जायेंगे और उसके बाद में---

"and the copy of the same shall be sent to the Board or Boards concerned for comments."

इसका अर्थ जहां तक मैं समझा वह शायद यही है कि ड्राफ्ट जो कि १५ दिन के लिये पब्लिश किये जायेंगे जिसमें कि आबजेक्शंस किये जायं उनके ड्राफ्ट की कापी बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजी जायेंगी। यदि मेरे मित्र ने इसका अर्थ यह समझा है कि प्रत्येक स्थान से आबजेक्शंस आयेंगे और उनको बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजा जायेगा तो यह गलत है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ड्राफ्ट्स पब्लिश किये जायेंगे इसके बाद आबजेक्शंस मांगे जायेंगे और उनके ड्राफ्ट्स बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजे जायेंगे। यह दो तीन चीजें हैं जो साथ साथ होंगी और ऐसा नहीं है कि एक कार्य पहले किया जायगा और ड्राफ्ट के पब्लिश

हो जाने के बाद आबजेक्शंस मांगे जायेंगे और उनके आने के बाद उनको बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजा जायेगा। मेरी धारणा है कि ऐसा अर्थ ११ बी० का नहीं है। और १५ दिन तो छोटी म्युनिसिपैलिटी होंगी उनके लिये हो सकता है और उससे बड़ी होंगी उनके लिये एक महीना समय लगेगा और जो उनसे बड़ी होंगी उनके लिये डेढ़ महीना भी लग सकता है। क्या वह चाहते हैं कि छोटी म्यूनिसिपैलिटी हों २५ हजार की, २० हजार की उनको भी एक महीने का समय लगना चाहिये और जिनकी आबादी दो लाख की है या एक लाख से ज्यादा है उनको भी उतना ही समय लगेगा। इस धारा के अनुसार जो समय है वह ठीक है कि जो छोटी म्युनिसिपैलिटी उनको कम समय भी लग सकता है और जो बड़ी हैं उनको अधिक समय लगेगा और जो उनसे भी बड़ी हैं उनको और भी अधिक समय देना होगा और मेरे मित्र के संशोधन से तो चुनाव में और भी अधिक समय लगेगा और वह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह धारा ११ बी० की उप-धारा २ जिस प्रकार से है उसको उसी प्रकार स्टैटचूट बुक में रखा जाय।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाबवाला, मैं समझता हूं कि जो हमारे अपोजीशन के भाई साहबान हैं वे ग़लतफहमी में हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा लास्ट टाइम का है जब कि पिछले साल वार्ड्स बनाये गये थे तो गवर्नमेंट ने यह किया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया था और बोर्ड्स के लिये एक टाइम फिक्स था कि फलां तारीख तक वह इस तरह से वार्ड्स बना दें और वार्ड्स बना कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें और फलां तारीख तक उसको वापिस कर दें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। बोर्ड एक रिस्पांसिबिल बाडी नहीं हैं इसलिये पहले बोर्ड्स से एतराजात इनवाइट किये और उसके इन्वाइट करने पर जो मुख्तलिफ पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं उनके दफ्तरों में वार्ड्स बनाये गये और इसके बाद सब सजेशन्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आ जाते थे। जो ऐतराजात पब्लिक ने किये थे वह उसके साथ भेज दिये और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फिर टाइम पब्लिक को दिया कि यह वार्ड्स के आबजेक्शंस आये हैं। हम रिपोर्ट भेजना चाहते हैं। अगर आप को कोई ऐतराज हो तो फलां तारीख तक दाखिल कर दीजिये। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो बोर्ड ने अपने प्रोपोजल्स भेजे और पब्लिक के प्रोपोजल्स सुनने के बाद गवर्नमेंट को अपनी राय भेज दी। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय और बोर्ड की राय देखने के बाद अगर फिर भी कोई खास बात हुई जैसा कि पिछले वक्त में हुआ है, तो जिनके खास-खास आबजेक्शंस थे उनको बुला लिया और जब हर तरीके से सुन लिया गया तब जाकर आखिरी फैसला किया। तो एक महीने कब वक्त और दिया जाय जब कि पहले से हर तरीके से देखा जा चुका है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से नाट लेस दैन फिफ्टीन डेज बिल्कुल ठीक है। एक महीने का वक्त तो ज्यादा हो जायगा।

मेरे ख्याल में वह अपनी तरमीम को वापस लेंगे क्योंकि अगर कोई ग़लती होती है तो बोर्ड के यहां दुरुस्त हो जाती है, अगर वहां नहीं होती है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां हो जाती है और वहां नहीं होती है तो गवर्नमेंट के पास हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब रखा गया है और 'नाट लेस दैन' फिफ्टीन डेज के मानी दो महीने तीन महीने भी हो सकते हैं। इसलिये मुझे उम्मीद है कि यह कोई ऐसी अहम तरमीम नहीं है। और जिन साहब ने पेश की है मुझे उम्मीद है कि इन बातों को सुनने के बाद वह उसे वापस लेंगे।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं।

श्री जगन्नाथ भल्ल (जिला देवरिया)—मैं इसका विरोध करता हूं। अभी दो ही एक आदमी बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं श्री मलखान सिंह को बुला चुका हूं।

श्री मलखान सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आचार्य जी ने और ऐजाज रसूल साहब ने कहा और उन्होंने जो मतलब लगाया है वह यह है कि ड्राफ्ट का पब्लिकेशन पंद्रह दिन तक लगातार यानी कम से कम पंद्रह दिन तक होगा। लेकिन यह किसी ने, न माननीय मंत्री महोदय ने और न किसी माननीय सदस्य ने यह बतलाया कि जो आबजेक्शंस या कमेंट्स जो सरकार के पास आयेंगे उनके लिए क्या मियाद होगी। यह बिल्कुल एक छिपी हुई चीज रखी गयी है। और जैसा कि अभी बतलाया गया इस पर मुझे सख्त ऐतराज है कि पिछली मर्तबा ऐसा भी हुआ कि यहां पर आकर मंत्री महोदय के यहां जिन लोगों को ऐतराजात थे उनको भी ठीक कराया गया। मुझे मालूम है कि इस तरह की बातें पिछले टाइम में वार्ड्स के बनाने में और कांस्टीट्यूएंसीज के बनाने में हुई हैं। इस पर मैं सख्त ऐतराज करता हूं। यहां पर आकर किसी पार्टी के मेम्बरान मिनिस्टरों से मिल कर तब्दीली करा लें और दूसरे को मौका न मिले कि क्या ऐतराज हुआ और क्यों दर्ज हो गया यह बात ग़ैर मुनासिब है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात को आप कभी ध्यान में न रखें कि हम लोगों का यह इरादा है कि हम लोग एलेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से कह सकता हूं कि इस सदन के गवर्नमेंट के लोग, मेम्बरान, मंत्री महोदय तक किसी बात को अपने मुंह से निकालने में अपनी जिम्मेदारी को कम महसूस करते हैं। हमारे माननीय पं० मोहनलाल जी गौतम ने पहले एक बयान दिया था कि नवम्बर-दिसम्बर तक जरूर-जरूर हम म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शंस कर लेंगे। उसके बाद फरवरी का टाइम भी कहा गया--

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय मलखान सिंह जी को ग़लतफहमी हुई कि जरूर कर लेंगे इस तरह की भाषा मैंने इस्तेमाल की। ऐसी भाषा मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की।

श्री मलखान सिंह---ठीक है। मैं इस बात को भी अच्छी तरह से समझता हूं कि यह भाषा नहीं कही है कि 'जरूर जरूर'। यह तो आपकी मर्जी है कि इस प्रकार की राजनीतिक भाषा से आप बोलें। यहां पर तो एक अखाड़ेबाजी का खेल है, क्योंकि यहां पर कोई ईमानदारी की बात को लोग महसूस नहीं करते हैं। उस दिन मैंने एक बात सच-सच कह दी थी तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि लोग हंसे। इसलिये हंसे कि मलखान सिंह ने सच्चाई की बात कह दी। तो आप लोग सच्चाई की बात को बेवकूफी समझते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह सदन तो एक अखाड़ाबाजी का खेल बना हुआ है, जैसा कि आज स्वयं कहा गया..

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। वह यह है कि हाउस की प्रेस्टीज का क्वश्चेन है कि किसी की ईमानदारी पर अटैक करना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य...

श्री मलखान सिंह---मैंने जो कुछ कहा है वह सही कहा है और सही भाषा कही है।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने जब पूरे हाउस में ईमानदारी की कार्रवाई नहीं होती है ऐसे शब्द कहे और उस पर आब्जेक्शन होने पर दूसरी बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं तो मैं आपके सामने इसे रखना चाहता हूं कि क्या यह हाउस के सम्मान के अनुकूल भाषा इस्तेमाल की गयी है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग हो गयी कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य नीयत पर तो कोई हमला नहीं कर रहे हैं और न करेंगे।

श्री मलखान सिंह—मेरी तरफ से हमले का कोई सवाल नहीं है। वस्तु स्थिति को, फैक्ट्स को रख देने का सवाल है और उनको सामने रखूंगा, हाउस उनको मंजूर करे या नामंजूर करे। लेकिन यह कह कर कि मैं वस्तुस्थिति और फैक्ट्स को क्यों कहता हूं, मेरी जबान पर ताला नहीं लगाया जा सकता।

मैं कह रहा था कि आपके सामने जो तीस दिन का मौका रखा गया है तो वह इस ख्याल से नहीं रखा गया है कि हम एलेक्शंस को देर तक ले जाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि यह जो अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ७।८ वर्ष से नहीं हुआ वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ही तो थी? अगर आज गवर्नमेंट एलेक्शंस करने जा रही है और उस वक्त वह सस्पेंशन कर देती है और उसके वोटर्स को अधिकार नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ईमानदारी की बात नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूं इसमें कम से कम एक महीने का टाइम देना चाहिये और इस बात को भी साफ कर देना चाहिये ताकि कोई गलतफहमी न रहे और किसी के डिस्क्रेशन की बात न रहे कि आपके कमेंट्स इतने वक्त में नहीं आये, आब्जेक्शंस नहीं आये इसलिये अब लिये नहीं जा सकते। इसलिये कमेंट्स के आने का टाइम साफ नहीं है जैसा कि आचार्य जी ने कहा। यह साफ हो जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने साफ न होने की तो बात नहीं कही थी, श्रीमन्।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, १५ दिन और एक महीने का डिस्कशन हाउस के सामने है। इसमें अलीगढ़ का भी कोटेशन दे दिया गया। इस प्रस्ताव से अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी का क्या सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया। अमेंडमेंट क्या है और कोटेशन अलीगढ़ के सस्पेंशन का लाया जाता है, इसका मुझे बड़ा दुःख है। श्री मलखान सिंह जी तो पुराने मेम्बर भी हैं, मुझे उनका भाषण सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ।

क्वेश्चन है १५ दिन और ३० दिन का। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल एरिया और अरबन एरिया का क्वेश्चन है नहीं। सिर्फ क्वेश्चन है अरबन एरिया का। अरबन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज की एरियाज होती हैं जो कि ५ मील से ज्यादा की एरियाज होती हैं। अगर क्वेश्चन होता रूरल एरिया का तो मैं कहता कि यह सुझाव बहुत सुन्दर है और इसे मान लेना चाहिये। वहां यह डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेटों के ऊपर। लेकिन यहां तो हमारी बातचीत १५ दिन के अन्दर हो जानी चाहिये। जिस आदमी को एलेक्शन लड़ना है अगर वह इतना बेहोश रहेगा कि १५ दिन के अन्दर एतराज न कर ले तो खुदा हाफिज है। वह क्या खड़ा हो सकता है और क्या पब्लिक की भलाई कर सकता है। वह चाहे तो वह आबजेक्शन कर सकता है। अगर वह इतना भी न करे तो वह खड़ा होने के काबिल नहीं है। तो मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि १५ दिन के बजाय ३० दिन कर दिया जाय, यह तो कोई बात नहीं है। मैंने फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर को भी देखा है। पांच मील से ज्यादा एरिया नहीं है। चार दिन के अन्दर पैदल चलकर भी वह अपने घर से पहुंच सकता है। तो मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इसको वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, महज इस नन्हे से संशोधन पर बहुत ज्यादा वाद विवाद हो गया और मुझे इतने बड़े वाद विवाद की कम से कम आशा नहीं थी । जिस धारा 11-B (2) पर बहस हो रही है वह इस प्रकार है---

"(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो अर्थ लिये गये । बहुत से लोगों ने तो यह कहा कि वह गजट में या गवर्नमेंट के किसी पैम्फलेट में या लीफलेट में छपने के १५ दिन बाद एतराज किये जायेंगे और उसके लिये लिमिट नहीं है और उसमें काफी देर होगी । दूसरे कुछ लोगों ने यह अर्थ लगाया कि १५ दिन के अन्दर ही अन्दर आबजेक्शन वगैरह वापस भी हो जाने चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय जहां तक यह दूसरा अर्थ है वह मेरे ख्याल में यही अर्थ इसका है कि किसी म्युनिसिपैलिटी के बारे में या प्रान्त की तमाम म्युनिसिपैलिटियों के बारे में मान लीजिये कि १५ दिसम्बर को या १५ जनवरी को कोई पब्लिकेशन होता है । उसके बाद यह जरूरी हो जायगा मेरे ख्याल से कि ३० तारीख के अन्दर ही कमेंट्स (आलोचनायें) म्युनिसिपैलिटीयों के आवें और वापस भी लेलिये जावें । अगर इसका अर्थ यह नहीं है तो फिर हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है । कि हम एलेक्शन्स को टालना चाहते हैं वह निराधार होगा । अगर १५ दिन पब्लिकेशन का समय है और उसके बाद कमेंट्स (आलोचनायें) आयें और डेढ़ दो महीने का वक्त लग जाय तब तो यह कहा जा सकता है कि हमने ऐसा सुझाव पेश किया है जिसमें लम्बा समय लगेगा मगर १५ दिन के अन्दर कमेंट्स म्युनिसिपैलिटीज के वापस चले आयेंगे इसकी मुझे आशा नहीं है इसलिये कि १५ दिन का वक्त नाकाफी होगा । मान लीजिये कि १५ जनवरी को कोई पब्लिकेशन होता है और फिर ३० तारीख वापसी की है । उपाध्यक्ष महोदय मुझे मालूम है कि फैजाबाद लखनऊ से ८० मील दूर है लेकिन माननीय मंत्रियों के पास जो खत भेजे जाते हैं उनका जवाब तीन महीने से कम एवरेज में नहीं पहुंचता । तो ऐसी हालत में कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले ताक में बैठे रहेंगे । या वोटर्स ताक में बैठे रहेंगे और जिस रोज पब्लिकेशन होगा उसके १५ दिन के अन्दर ही अपने अपने कमेंट्स भेज देंगे । यह हमारा पिछला तजुरबा भी है कि एलेक्शन कमीशन ने जो तारीख मुकर्रर की या चीफ एलेक्टोरल आफिसर ने जो तारीख मुकर्रर की कि आज लिस्ट टंग जायगी उस तारीख को लिस्ट नहीं टांगी गई बल्कि उससे चार-पाँच दिन बाद टंगी लेकिन आखिरी मियाद नहीं बढ़ाई गई और नतीजा यह हुआ कि सबको असुविधायें हुई । मैंने यह कहा कि १५ दिन का समय किसी भी छोटे से छोटे म्युनिसिपल बोर्ड के लिये नाकाफी होगा और नतीजा यह होगा कि १५ दिन के अन्दर वापस भी चला आये, यह असंभव सी बात है । इस बात को महसूस करते हुये कि ज्यादा वक्त दिया जा सकता है, यह भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो १५ दिन का वक्त दे और इसी बात को दूर करने के लिये मैंने इस संशोधन को पेश किया था । जैसा श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा कि यदि सरकारी पक्ष बीस दिन करते तो हम दो महीना कर देते, यह उनकी भावना है कि विरोधी दल के बारे में और यह मुबारक हो उनको लेकिन विरोधी दल का रवैया ऐसा नहीं रहता है कि ख्वामख्वाह विरोध के लिये विरोध किया जाय । हो सकता है कि जो बातें हम व्यावहारिक उसूल की और अच्छी से अच्छी समझते हैं, उनको वे अच्छी न मालूम हों । मैं समझता हूं कि यदि ऐसा हो कि सरकार कोई अमेंडिंगबिल पेश करे, उसके ऊपर विरोधी दल कोई एतराज न करे और वह दो मिनट में पास हो जाय, तो उससे अच्छा विरोधीदल सरकार के लिये कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमारी डिफिकल्टीज हैं, जो जनता की डिफिकल्टीज हैं उनको हम रखते हैं और ख्वामख्वाह टाइम बढ़ाया जाय यह हम न चाहते हैं और न हमारी ऐसी नीयत है । इन शब्दों के साथ जो मैंने उचित समझा उसको माननीय मंत्री जी के सामने रख दिया और अब यह उनकी इच्छा पर है कि वे चाहे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें ।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिस्से पर इस वक्त बहस हो रही है और जिस के मानी कई लगाये जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उसका अर्थ यह है कि

"The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments."

यानी जो भी ऊपर के हिस्से में ११ (बी) (१) में चार बातें कही गयी हैं उसका ड्राफ्ट होगा, वह छपवा दिया जायगा, गजट में छपेगा, और उसपर आब्जेक्शन्स मांगे जायेंगे जिनकी कि मियाद १५ दिन से कम नहीं होगी गजट में छपने के दिन से और आने की जो तारीख मुकर्रर होगी उसमें कम से कम १५ दिन का वक्फा होगा और यह नहीं होगा कि साहब पहुंचा नहीं, या गजट में देर में छपा, या १५ दिन की कहां से गिन्ती हो गयी। गोकि यह डुप्लिकेशन होगा लेकिन एक कापी बोर्ड के पास भेज दी जायगी उन सब चीजों के लिये जो ऊपर कही गयी हैं और उसपर भी १५ दिन की मियाद मुकर्रर होगी। वह कापी जो बोर्ड्स के पास भेजी जायगी उसके लिये भी वही मियाद लागू होगी। इसलिये इसमें कोई खास बहस की गुंजाइश नहीं है। कम से कम १५ दिन पहले, जैसा मैंने कहा वही रखा गया है।

मैं सिर्फ एक गलतफहमी श्री मलखान सिंह जी की दूर कर देना चाहता हूं। उनको अधिकार है कि वे जैसी चाहें अपनी ओपिनियन बनायें और अगर उसको हाउस में एक्प्रेस करें तो इसका भी उनको अधिकार है लेकिन एक गलतफहमी जो मैं दूर करना चाहता हूं वह यह है कि उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सच्चाई पर हूं और जो सच्ची बात है उसी को कहूंगा उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची बात कहने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं लेकिन फिर भी मैं सच्ची बात कहूंगा। मैं उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं कि कम से कम मैं इन दोनों चीजों को उनके बारे में नहीं समझता हूं। मेरे दिल में उनकी इज्जत है उनको मैं बुद्धिमान समझता हूं और अपने से बड़ा समझता हूं। तो कम से कम मेरे दिमाग में कोई भ्रम नहीं है और मैं उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ्फर नगर)—माननीय मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है··

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके लिये अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11-B की उपधारा (2) की पंक्ति ३ में अंक व शब्द "15 days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such board."

श्रीमन्, जो धारा १२-ए है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है चूंकि वह बालिग मताधिकार के अनुसार मतदाताओं को इस बात का अधिकार देती है कि वह मतदाता बनें। तो उसी में मेरे संशोधन के अनुसार अगर इतना प्रतिबन्ध कर दिया जाता है कि मतदाताओं की सूची में ऐसे लोगों का भी नाम रहेगा जोकि देहात में रहते हैं और जो म्युनिसिपैलिटी को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तरह तरह के टैक्स देते हैं और म्युनिसिपैलिटी उनसे टैक्स लेती है तो उनका प्रतिनिधित्व भी म्यूनिसिपल बोर्ड में होना चाहिये । श्रीमन् मुझे तो खेद है कि माननीय मंत्री जी कोई बात होने लगती है तो ध्यान नहीं देते हैं, वे ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री मोहन लाल गौतम---मैं आबजेक्शन रेज करता हूं 'कि मुझे खुद खेद है' यह लफ्ज ज्यादा सख्त है। मैं सुनूं या न सुनूं, उनको खेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी सुनने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मोहन लाल गौतम---आप प्रार्थना कर सकते हैं परन्तु खेद नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मुझे खेद अपने लिये है आप के लिये नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम---आप को खेद है कि मेरी कार्यवाही पर····

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप माननीय मंत्री जी का ध्यान काफी आकर्षित करा चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जी हां, मैं उनका ध्यान आकर्षित करा चुका हूं । तो मेरा निवेदन केवल इतना ही था कि अगर ऐसे सभी मत दाता मान लिये जायं जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड को किसी प्रकार का टैक्स देते हैं तो इस से सहूलियत होगी। माननीय मंत्री जी ने उस दिन बहुत आवेश में कहा था आम विवाद के दिन जब मैंने इस सदन को प्रतिपादित किया था कि यह कैसा सोशलिज्म है कि जो टैक्स दे वही वोटर हो, जो मजदूर है, शहर के बाहर रहता है वह वोटर न माना जाय। जो टैक्स देने वाला है वही वोटर माना जाय, यह सोशलिज्म का पाठ उन्होंने पढ़ाया था। उस दिन मैं उनसे कुछ न कह सका लेकिन आज मैं उनसे सोशलिज्म का पाठ पढ़ने को तैयार हूं बशरते कि वह उन मजदूरों को भी अधिकार दे दें, सोशलिस्ट होने के नाते मुझसे आगे बढ़ें। उस दिन मैंने केवल इतनी ही बात कहने का साहस किया था जितनी खेर कमेटी ने कही थी लेकिन वह तो मुझ से आगे बढ़ गये और एक सही सोशलिस्ट होने के नाते उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूर वोटर होने चाहिये जो कि शहर में काम करते हैं और शहर के बाहर रहते हैं। श्रीमन्, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूंगा अगर हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन के अपने भाषण के अनुरूप स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत करें जिसके अनुसार हर मतदाता ऐसा हो सके जो शहर में दिन में काम करता है और रात में अपने गांव चला जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के उस दिन के भाषण को जितने लोगों ने सुना होगा वह आज यह संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार होंगे ही और इस संशोधन में एक और संशोधन के लिये भी तैयार होंगे कि ऐसे सभी मतदाता हो जाने चाहिये।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा विशेष रूप से श्री सुल्तान आलम खां, श्री एजाज रसूल साहब और श्री चन्द्र भानु गुप्त से निवेदन करूंगा चूंकि वह खेर कमेटी के मेम्बर थे जिसने कि यह प्रस्ताव रखा था जोकि आज मैंने रखा है। उस समय तो कोई सोशलिज्म की बात ही ऐसी नहीं थी और उस समय जिन लोगों ने इसे एक मत से देखा, पास किया, उन्होंने इस में कोई नोट आफ डीसेन्ट नहीं दिया था, मैं समझता हूं उनकी राय आज भी यही होगी । और मुझे यह विश्वास है, श्रीमन्, कि आज माननीय महोदय जरूर उठेंगे और मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे भले ही इसमें सोशलिज्म का इतना प्रश्न न हो। खेर कमेटी की रिपोर्ट में पेज २५ में कहा गया है :—

"Qualification of Electors—Subject to the disqualification mentioned in paragraph 68 all persons of the age of 21 or above should be entitled to

vote at the District Board election if residing in the rural area and at a Municipal Board election if residing in a municipal area;

Provided that persons residing in a municipal area may also vote at a District Board election if they are paying tax to a local body in a rural area and vice versa."

इसको खाली लिख ही नहीं दिया। इसको कमेटी ने एक मत हो कर समझाया भी। उसी रिपोर्ट के पेज ५, पैराग्राफ १२ में यह लिखा है —

"As in the case of Gaon Panchayats and Town Areas we have proposed that the elections of District Boards and Municipal Boards should be held on the basis of adult franchise and nominations should be abolished. We have gone a step further in the case of District and Municipal Borads and suggested that an adult residing in a municipal area may be a voter in the District Board if he was paying any tax to the latter and vice versa. We are confident that in the new spheres of the District and Municipal Boards such wider representation will be all to the good. We have done away with all the existing disqualifiations for electors except one arising from unsoundness of mind."

श्रीमन्, इतना स्पष्ट मामला खेर कमेटी की रिपोर्ट में हमारे सामने प्रस्तुत है। हमें दरअस्ल विचार करना पड़ेगा कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही उन्होंने यह सुझाव दिया था या आज की स्थिति के अनुसार भी दिया है। माननीय मंत्री जी के मुझे शब्द याद हैं। जिस समय हमने खेर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था तो माननीय मंत्री जी ने एक उलहना दिया और कहा था कि उस समय तो ब्रिटिश शासन काल था, अंग्रेजों के हाथ से हम को ताकत लेनी थी और ताकत छीनने के इस प्रयास में उस कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। मेरा ऐसा विश्वास, श्रीमन्, नहीं है। मैं यह भी नहीं मानता कि जितने लोग उस कमेटी में थे उन सब का ऐसा ही प्रयास था। उनका तो यह विश्वास था कि यह खेर कमेटी की रिपोर्ट बुनियाद बन कर भारत में, विशेष कर उत्तर प्रदेश में स्वायत्त शासन संस्थाओं को चलाने के लिये उनका भारतीय रूप में विधान बनाने के लिये आवश्यक और बड़ी महत्तवपूर्ण होगी। जहां तक मैं समझता हूं यह प्रश्न कि जो टैक्स देने वाला है उसका प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये यह बहुत ही उचित बात है। इतना मुझे याद है और मैंने उस दिन भी कहा था कि इतिहास भी हमें यही बात बताता है। अमरीका के शासन का इतिहास इस लड़ाई से शुरू हुआ कि जो टैक्स देते हैं उनको अधिकार मिलना चाहिये। बोस्टन की टी पार्टी की कहानी हम सब को मालूम है कि जब चाय पर टैक्स लगा और अमरीका के रहने वालों पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया तो उन्होंने उस चाय को समुद्र में फेंक दिया और कहा कि हम चाय पर टैक्स देंगे मगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिये हम इस चाय को नहीं पीते। मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं अपने यहां की मिसाल देता हूं। हलद्वानी म्युनिसिपल बोर्ड हमारे यहां है। वहां पर हजारों घोड़े आलू से भरे हुये लीसा लेकर लोग आते हैं। आसपास के गांव वालों को रोजाना टैक्स दो प्रकार का देना पड़ता है लेकिन वहां पर उनके लिये एक भी सराय नहीं है। आज हलद्वानी म्युनिसपल बोर्ड को कम से कम दस साल से मौका नहीं मिल पाया है कि वह घोड़े वालों के लिये कोई सराय बनवा देता जब कि वह हजारों रुपये सालाना टैक्स के रूप में देते हैं। इसको चा चुंगी कहिये या कुछ भी कहिये। इसको कम से कम दस साल हो गये हैं और अब तक कोई सराय उनके लिये नहीं बन सकी है इसीलिये कि उनके लिये कोई भी बोर्ड में लड़ने वाला नहीं है। अगर कोई उनके लिये लड़ने वाला होता, उनका कोई प्रतिनिधि होता तो जिस प्रकार से मेम्बर्स अपने वार्ड के नागरिकों की मांग के लिये लड़ते हैं तो वह भी उनके लिये लड़ता और कहता कि आप इन लोगों से हजारों रुपये सालाना टैक्स ले रहे हैं तो क्या एक सराय नहीं बनवा सकते हैं। मान लिया जाय साग भाजी वालों पर लाइसेंस है। अगर वह साग भाजी बेंचते हैं तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैंने देखा है कि हमारे यहां लोग देहात से तरकारी लाते हैं और एक जगह कहीं फड़ बनाकर उनको बेंचने की इजाजत मिल जाती है लेकिन कभी यह आर्डर आता है कि यहां नहीं बैठ सकते हो वहां नहीं बैठ सकते हो। इस तरह की बहुत सी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और जो मेम्बर्स वहां पर होते हैं, मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि सभी मेम्बर्स बुरे होते हैं और उनके लिये नहीं लड़ते हैं। जब तक यह भावना नहीं होती कि वह उनके प्रतिनिधि हैं तब तक यह नहीं हो सकता और न वह ही उनके वोटर्स होते हैं इसलिये किसी को कोई फिक्र नहीं होती है।

मुझे एक बात याद आगई जो हाल ही में आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के बारे में सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि राजपूताना के कालेजों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है इसलिये उनकी बात नहीं कही जा सकती है। इस सारी बात को देखते हुये मैं समझता हूं कि खेर कमेटी ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को रखा था कि जो टैक्स देता है उसको प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिये। जहां मैं इस सिद्धांत की बात करता हूं वहां एक समस्या और इस बात की आती है कि हमारे मंत्री जी कहेंगे कि यह कैसे संभव होगा क्योंकि जो वोटर्स होंगे वह खड़े भी हो सकेंगे। यह सही है और लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधि को भेजने का। अब सवाल यह आयगा कि वह किस वार्ड के वोटर माने जायेंगे।

मैंने सुझाव दिया है कि वह सब मतदाता जो इस संशोधन के जरिये माने जायेंगे वह उस वार्ड के माने जायेंगे जो देहाती क्षेत्र से सबसे नजदीक हो। जैसे लखनऊ से कोई चार मील के फासले पर कोई नागरिक मलिहाबाद की तरफ के वोटर्स बनते हैं तो उस रास्ते से लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का जो सबसे पहला वार्ड मिलता है तो वह उस वार्ड के वोटर्स माने जायेंगे और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी मेरे इस संशोधन को इस तरह से नहीं समझेंगे कि खेर कमेटी की नकल करने की भावना से मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं नकल करना अच्छा नहीं समझता। खेर कमेटी ने जो बात कही है वह हमारे लिये एक इशारा है, एक प्वाइन्टर है और अगर हम उसकी कोई सही बात मानते हैं तो गैर मुनासिब बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि यह अंग्रेजों के जमाने की बात थी जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज यह लागू नहीं होती है। मैं समझता हूं कि जहां तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, मतदाताओं को मतदान देने के अधिकार का प्रश्न है वहां पर हमें और अधिक अधिकार देने चाहिये।

आजादी होने के बाद और स्वतंत्रता होने के बाद तो हमारे इस सदन के लिये और आवश्यक हो गया है कि हम मतदान के अधिकार को उन सभी स्थानों में उसका प्रसार करें जिनको हम समझते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में, उस स्थान में होना चाहिये। अगर यह बात सही है तो मैं आज माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह बात बहुत आसान है कि जिस पर हम अपने निश्चय को, अपने मत को व्यक्त न करें, लेकिन उसके व्यक्त करने के बाद अगर हमें कोई कमी महसूस होती है उसको दूर कर सकते हैं लेकिन सिद्धान्तः हमें इस बात के मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये कि ऐसे मतदाता जो देहाती क्षेत्रों में रहते हैं, जो टैक्स देते हैं उनको म्युनिसिपल बोर्ड में वोटर होने का अधिकार मिलना चाहिये। साथ ही साथ मैं बहुत ही अहसान मानूंगा समाजवादी शक्तियों के लिये, इस देश की और इस प्रदेश की समाजवादी शक्तियों के लिये अगर वह मेरे इस संशोधन से आगे बढ़ कर हर मजदूर को जो देहात में रहता है लेकिन शहर में काम करता है उसे भी वोटर मान लें तो मैं बहुत उपकार मानूंगा और वास्तव में उनका अनुग्रहीत हूंगा? अगर ऐसा संशोधन ले आया गया तो वास्तव में मैं पहला आदमी हूंगा, मैं ही नहीं विरोधी दल और सदन के सारे माननीय सदस्य उनकी इस महान कृति के लिये और नये रचनात्मक सुझाव के लिये उनको बधाई देंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण दत्त जी के संशोधन का थोड़े से अंश को छोड़ कर शेष का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन के रखने की भावना का प्रश्न है मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और उसका एक कारण यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के समीप के ग्रामों से उनका संबंध विशेष तौर पर से होता है। साधारणतया मैं मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के आसपास के क्षेत्र के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आसपास के ग्रामों में इस प्रकार के लोग बसते हैं जो या तो म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा में आ कर मजदूरी करते हैं या आसपास की जमीनों में तरकारियां बोते हैं, या इससे आगे बढ़ कर देखें तो वह लोग हैं जो शहरों में ईंधन और चारा इस तरह की दूसरी चीजें लाकर बेंचते हैं। जब उनके जीवन का संबंध म्युनिसिपल बोर्ड्स से जुड़ा हुआ है तो यह बात स्वाभाविक सी हो जाती है कि उनका उस स्थान के स्थानीय स्वशासन में हाथ होना चाहिये। मैं मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में जैसा कि मैंने शुरू में कहा थोड़ा सा अनुभव रखता हूं। मैंने मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के आसपास के गांव में देखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड की हद के बाहर जो लोग बसते हैं तमाम शहर का मैला उन लोगों के सर पर ले जा कर डाल दिया जाता है। उनकी आबादी के करीब ५० गज या १०० गज के अन्दर तमाम शहर का मैला भरा रहता है। मैंने देखा है, कि जहां एक गांव देहरी है और इसी प्रकार दूसरी आबादियां हैं। जिनमें तमाम मुरादाबाद का मैला भरा रहता है। जितना गन्दा मैला होता है जो कि शहरों से निकलता है वह सब उन गांवों के आसपास डाल दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि बेहद गन्दगी रहती है बरसात के मौसम में शहर के आस पास के बसने वाले लोगों की, गन्दगी की वजह से, जिन्दगी दुभर हो जाती है। वह तमाम नालियां जो बहुत गन्दी होती हैं उनकी आबादी के अन्दर से बहती रहती हैं। ऐसी सूरत में यह विचारना पड़ेगा कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से यह ज्यादती क्यों होती है। उसका एक मात्र कारण यही है कि जिन लोगों के हाथ में म्युनिसिपल बोर्ड की शक्ति होती है उनको इस प्रकार का भय नहीं होता कि हम लोग जिन लोगों के साथ यह अत्याचार करने जा रहे हैं उनके बारे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। यही नहीं अगर टैक्स लगाने की नीति को लिया जाय जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे ज्यादा म्युनिसिपल बोर्ड का अनुभव नहीं है। मैं तो एक म्युनिसिपल बोर्ड का अनुभव लेकर चल रहा हूं और उसी के अनुभव के आधार पर यह आवश्यक समझता हूं कि जो लोग वहां टैक्स देते हैं जिन लोगों का सम्बन्ध म्युनिसिपल बोर्ड से रहता है उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये। मैं अपने यहां म्युनिसिपल बोर्ड की नीति के सम्बन्ध में एक छोटा सा उदाहरण सदन के समक्ष रखना उचित समझता हूं। जिन काश्तकारों की गन्ने की गाड़ी म्युनिसिपल बोर्ड की हद से गुजरती है उन काश्तकारों की हर गाड़ी पर ढाई रुपया हर गाड़ी पीछे टैक्स लगा दिया गया है। ("एक आवाज" वह सड़क इस्तेमाल करते हैं।) माननीय सदस्य की ओर से संकेत किया गया है कि वह सड़क इस्तेमाल करते हैं इसलिये यह उन पर टैक्स लगाया गया है। यदि हम इसी प्रकार से इस व्यवस्था को लें तो इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हद में देहात में रहने वाले लोगों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह म्यूनिसिपल बोर्ड के लोगों पर इसी प्रकर के टैक्स लगायें। शहर के लोग गांव से जरूरी चीजें अपनी जिन्दगी के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एरिया से लाते रहते हैं। यह दलील कोई ऐसी नहीं है कि वह सड़क पर होकर गुजरते हैं इसलिये उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिये। यह म्युनिसिपल बोर्ड ने ढाई रुपये टैक्स प्रत्येक गाड़ी पर तब लगाया जब कि गवर्नमेंट की तरफ से यह जी० ओ० हो चुका था कि २ आना या ढाई आना से ज्यादा टैक्स गाड़ी वालों से नहीं लेना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हिम्मत म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों को इसलिये हुई कि उन आसपास के गांवों में रहने वाले जो लोग थे उनका प्रतिनिधि उस म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं था। अगर देखा जाय तो म्युनिसिपल

[श्री महीलाल]

बोर्ड की हद में दूध लाने वालों पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन जो ग़रीब लोग देहात से उपले बेचने के लिये लाते हैं या कहीं बेचने के लिये कुट्टी लाते है या चारा बेचने के लिये लाते हैं उन सब बेचारों से टैक्स लिया जाता है और वह टैक्स ऐसी हालत में लिया जाता है कि जब जाड़े का मौसम होता है और उनके तन पर कपड़ा नहीं होता है और अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिये अपने उपले या कुट्टी या चारा बेचने के लिये शहर में आते हैं और उसको बेचकर अपना गुजारा किसी तरह से करते हैं। उनके लिए जरूरी है कि वह चुंगी पर ढाई आना देकर अन्दर दाखिल हों। ईंधन जिसकी कि हर गरीब और अमीर को जरूरत है उस पर भी टैक्स लिया जाता है और जो दूध पीने वाले लोग हैं या बेचने वाले लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। यह चीज मैंने इसलिये सदन के सामने रखी कि यह तमाम चीजें हमको मजबूर करती हैं और हमारे मस्तिष्क को खींचती हैं कि आसपास के जो लोग टैक्स देते हैं उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वह म्युनिसिपल बोर्ड के बनाने और उसका शासन स्थापित करने में अपना अधिकार रखें जिससे उनकी दिक्कतों को, उनकी तकलीफों को उनका प्रतिनिधि जाकर सही मानों में रख सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जहां मैंने एक उदाहरण एक म्युनिसिपल बोर्ड का रखा है प्रान्त में ऐसे ही और भी म्युनिसिपल बोर्ड हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय नारायण दत्त जी का प्रस्ताव जिस रूप में आया है उस रूप में तो न माना जाय क्योंकि उसको उसी रूप में माना जायगा तो वह व्यवहारिक न होगा। इसलिए कि ऐसा भी होता है कि टैक्स देने के लिए म्युनिसिपल बोर्ड से ज्यादा से ज्यादा दूरी के लोगों को भी टैक्स देने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर दस मील की दूरी का आदमी घी बेचने आता है वह भी टैक्स देता है। ऐसे आदमी को भी जो कि हफ्ते में एक बार ही आता हो यदि हम वोट का अधिकार दे दें तो इससे बहुत परेशानी पैदा हो सकती है और यह चीज कोई व्यवहारिक नहीं मालूम होती। दूसरा उदाहरण भी हो सकता है जैसे कि एक उदाहरण हलद्वानी का दिया गया कि वहां पहाड़ के लोग आते हैं यदि उन सब लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाय तो मैं श्री नारायणदत्त जी से पूछूंगा कि जो लोग ऊपर पहाड़ से हलद्वानी में १०, १५ मील से आते हैं और आलू वहां आकर बेचते हैं वह किस प्रकार वहां आकर वोट देंगे। क्या सूरत होगी जिससे उनको इत्तला दी जाय और किस प्रकार से उनकी बात व्यवहारिक हो सकेगी। मैं उनके इस अंश का विरोध करते हुए कि हर उस व्यक्ति को जो किसी न किसी रूप में म्युनिसिपल बोर्ड को टैक्स देता है उसको अधिकार न देकर एक दूरी नियत कर दी जाय, ऐसा चाहे नारायण दत्त जी अपनी तरफ से रखें या माननीय मंत्री जी उसे ठीक कर दें जैसे वह उचित समझें। मैं तो सुझाव करूंगा कि कम से कम ३ मील म्युनिसिपल बोर्ड के बाहर के रहने वाले लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिये। (एक आवाज़—ऐसा तो है ही।) अगर ऐसा है तो ठीक है मैं तो मतलब यह समझा हूं कि शायद सफाई की ही जिम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड पर डाली गई है और इसमें जहां तक व्यवहारिकता का सवाल है वह भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसलिये कि जनरल एलेक्शन की जो लिस्टें हैं, उन्हीं से म्युनिसिपल बोर्ड का एलेक्शन हो रहा है और उसी प्रकार उनको भी वोट देनेका अधिकार उसी लिस्ट के मुताबिक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वाशसन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को इस रूप में अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करने में बहुत सी दलीलें दी गई हैं और मुझसे बहुत सी मांगें की गई हैं। उन सब के बारे में मैं न कह कर मैं सदन का समय बचाना चाहूंगा। इस समय जो हमारा फ्रेन्चाइज

का आधार है उसको हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जो भी क्वालिफिकेशन्स दी गई हैं वह उस समय की थीं जब कि प्रापर्टी क्वालिफिकेशन फ्रेन्चाइज की थी लेकिन वह एक अनडेमोक्रेटिक चीज थी और सोशलिज्म के भी खिलाफ है और आज जितना विधान बना है और उसके अन्तर्गत जो रूल्स व रेगुलेशन्स बने हैं उन सबमें एक बात है और उसके बारे में मैं आपकी आज्ञा से सदस्यों से निवेदन करूंगा और माननीय सदस्य जब संशोधन पर विचार करें तो उसको अपने सामने रखें। वह यह है कि इस समय सब जगहों के लिये एडल्ट फ्रैंचाइज मंजूर हुआ है। एडल्ट फ्रैंचाइज के साथ रेजीडेंशल क्वालीफिकेशन भी हों, नहीं तो एडल्ट फ्रैंचाइज का बड़ा भयानक रूप हो जायगा। यदि किसी को यदि उसकी किसी और जगह प्रापर्टी हो उस जगह भी वोट का अधिकार प्रापर्टी की बिना पर दिया गया तो यह डेमोक्रेटिक उसूलों के और सोशलिज्म के भी विरुद्ध होगा। इससे फायदा नहीं होगा, बड़ा नुक़सान होगा। इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य ने खुद एक ऐसी मिसाल दी जो खुद यह साबित करती है कि इससे कितनी मुसीबत बढ़ जायगी। उन्होंने हलद्वानी म्यूनिसिपैलिटी की मिसाल दी और कहा कि हजारों लोग घोड़े लेकर वहां आते हैं हर साल, जो टैक्स देते हैं, वे सभी वोटर होने चाहिये। कोई भी मंडी या मेला किसी म्यूनिसिपैलिटी में लगता हो तो जितने भी बाहर के लोग वहां आकर अपना माल लेकर आवें और टैक्स दें वे सब भी वोटर होने चाहिये। उन सबका एक रजिस्टर बनेगा क्योंकि उन सबके पास सूचना जायगी। अब सोचिये कि यह सब कहां तक मुमकिन है। यह भी हो सकता है कि किसी म्युनिसिपैलिटी में वहां के रहने वालों की संख्या कम हो और बाहर से आने वालों की अधिक हो जाय, तो ऐसी सूरत में तो बाहर वालों का बहुमत हो जायगा। फिर इसमें टैक्स की कोई मियाद नहीं है। यदि कोई २ पैसा भी टैक्स साल में दे देता है तो वह भी वोटर हो सकता है। दूसरे न इसमें यह कहा गया है कि यह २ पैसे भी किस वर्ष में दे, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी बोर्ड को १० या १७ साल पहले २ पैसे भी टैक्स के दे दिये हों तो वह कानून के अनुसार आकर कह सकता है कि मैंने टैक्स दिया है, मुझे वोटर बनाओ। आप कैसे इंकार कर सकते हैं? इस तरह नहीं मालूम कितने लोग आकर वोटर बन जावेंगे। इसके अलावा यह भी है कि जो आदमी व्यापारी है, घी बेचनेवाला है। वह कभी तो हलद्वानी चला जायगा और कभी, जब आप नैनीताल गर्मियों में जावेंगे, तो वहां चला जावेगा। तो इसके मानी तो यह हुये कि वह अपने गांव की पंचायत या गांव सभा में भी वोटर है और दूसरी भी कई जगह है।

एक सदस्य---मिर्जापुर में लन्दन के लोग भी टैक्स देते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---लेकिन उसकी यहां सीमा बांध दी है कि 'विदिन दी डिस्ट्रिक्ट, हालांकि वह भी अव्यावहारिक है। चल नहीं सकता। इस तरह तो वोटर्स लिस्ट ही तैयार नहीं हो पायेगी, इलैक्शन्स तो अलहदा रहे। इसलिये यह संशोधन कोई सुविधाजनक नहीं है।

मेरे एक भाई माननीय महीलाल जी ने भाषण शुरू किया था, कुछ अंशों को छोड़ कर, उसका समर्थन करके और उनके भाषण का अन्त हुआ है उसकी कठिनाइयों को जाहिर करके। उन्होंने यह कहा कि यह कैसे हो सकता है। हजारों घोड़े वाले आते हैं, वे सब वोटर हो जावेंगे। तो उनकी जो एक चीज थी, जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी के आसपास रहने वालों का ख्याल नहीं रखा जाता, गन्दगी फेंक दी जाती है, बरसात में वे लोग परेशान हो जाते हैं, उस भावना की तो मैं कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि इसका इन्तजाम होना चाहिये। लेकिन उन्होंने इसका समर्थन किया कि विरोध किया। मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया था तो उनको दिक्कत महसूस हो गयी थी और उन्होंने

[श्री मोहन लाल गौतम]

इसका विरोध ही किया है। फिर कुछ इस तरह की बातें कह कर कि इसमें यह रख करके या वह रख करके संशोधन मंजूर कर लिया जाय, यह सदन का तरीका नहीं है। जब तक कि शब्द सामने न हों, तब तक भवन इस तरह से कोई कानून नहीं बनाता है कि माननीय मंत्री जी इसमें यह करके इसको इस तरह से मंजूर कर लें। इस सदन का कार्य इस तरह से नहीं चलता। इसलिये उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुये भी मैं मजबूर हूं कि इस समय इस संशोधन को मंजूर करके उनकी दिक्कतों को दूर कर सकूं। वाकई में जो उनकी असली दिक्कत है वह ज्यादा ऐडमिनिस्ट्रेटिव है, कानूनी भी हो सकती है। अगर उसको लेकर सोचा जाय विचारा जाय और उसको दूर करने की कोशिश की जाय तो यह चीज हो सकती है। क्योंकि वाकई में यह ठीक है कि शहर के रहने वालों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपना कूड़ा कर्कट और तमाम गन्दगी गांव के आस-पास फेंक दें और गांव वालों के रहने में दिक्कतें पैदा कर दें। ये तमाम तकलीफें हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि इस समय में इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय त्रिपाठी जी की ओर से प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। कारण उसका स्पष्ट है। अगर यह संशोधन स्वीकृत कर लिया जाय तो क्या परिस्थिति होगी इस पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह १२ ए इस तरह से पढ़ा जाता है :—

"12-A. Except as provided in section 10, the elections of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage."

उस पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो संशोधन करना चाहते हैं वह इस तरह से है —

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such borad."

तो माननीय तिवारी जी के कहने का अर्थ यह है कि इस तरह का संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है उसमें यह प्राविजो ऐड कर दिया जाय। अगर मान लें थोड़ी देर के लिये कि यह प्राविजो उसमें ऐड कर दिया जाता है तो उसकी जो व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी उसकी तरफ हमारे माननीय मंत्री महोदय ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है और इसमें मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सिद्धान्त का प्रश्न भी निहित है। संविधान के अनुसार जितने असेम्बली के एलेक्शंस हैं, या और भी जितने एलेक्शंस हैं हर जगह के एलेक्शंस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि बालिग मताधिकार के बेसिस पर ही सब एलेक्शंस हुआ करेंगे और संविधान के अनुसार हर एक बालिग को वोट देने का अधिकार होगा। प्रापर्टी बेसिस पर जो पहले विधान था कि हर जगह असेम्बली में, म्युनिसिपैलिटी में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव में जो टैक्स पेयर्स थे केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। उस प्रश्न को संविधान ने हल कर दिया है और प्रापर्टी बेसिस पर कोई फ्रेंचाइज नहीं है बल्कि जो फ्रेंचाइज दिया गया है वह इस बिना पर दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो बालिग हो और किसी खास स्थान का रहने वाला हो। चाहे उसके पास जायदाद हो या न हो, वह टैक्स देता हो या न देता हो लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है। वह असेम्बली के चुनाव में वोट दे सकता है, रूरल एरियाज में रहता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये वोट दे सकता है और अगर म्युनिसिपल

लिमिट में रहता है तो म्युनिसिपैलिटी के लिये वोट दे सकता है। लेकिन माननीय तिवारी जी का कहना है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो भी टैक्स देता हो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिये। मुझे आश्चर्य हुआ उनके इस संशोधन को देखकर इसलिये कि सोशलिस्ट होने के नाते, समाजवादी होने के नाते प्रापर्टी का क्वेश्चन तो उनको कभी भी लाना ही नहीं चाहिये सोशलिस्ट लोग तो प्रापर्टी को खत्म करना चाहते हैं और यहां प्रापर्टी के बेसिस पर फ्रेंचाइज चाहते हैं। मैं माननीय त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि यह दोनों बातें कहां तक उचित हैं कि कहीं तो प्रापर्टी को खत्म करें और कहीं प्रापर्टी के बेसिस पर फ्रेंचाइज चाहे। इसलिये उनके सिद्धान्त के मुताबिक भी यह अनुचित है और संविधान के मुताबिक भी यह संशोधन अनुचित है और उसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां आयेंगी उनकी ओर अभी माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं एक मिसाल की ओर इस सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे यहां बलिया जिले में ददरी का मेला लगता है और मेरा अनुमान है कि ३० हजार से ज्यादा आदमी मेले में आते हैं जो बलिया म्युनिसिपैलिटी को टैक्स पे करते हैं। तो इस संशोधन के मुताबिक जितने आदमी मेले में आते हैं और टैक्स देते हैं उन सब को वोट देने का अधिकार हो जायगा और बलिया म्युनिसिपैलिटी बहुत छोटी है बलिया शहर की संख्या जो वोटरों की है उससे ज्यादा वोटरों की संख्या इस मेले की हो जायेगी जो इस मेले में आते हैं और जो टैक्स पे करते हैं। यह अव्यावहारिक संशोधन है। माननीय महीलाल जी ने कहा कि दो तीन मील के अन्दर जो लोग आते हैं उनको अधिकार होना चाहिये लेकिन यह संशोधन तो उससे भी बहुत आगे चला जाता है कि हर वह शख्स जो म्युनिसपैलिटी को टैक्स पे करता है और उस जिले के निवासी हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहिये। मैं माननीय सदस्य का उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और मिसाल देना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं जो आजमगढ़ से ५६ और ५८ मील पड़ता है और हमारे यहां से बहुत से लोग जाकर दूध और घी आदि बहुत सी चीजें शहर आजमगढ़ में बेंचते हैं और अगर आपके संशोधन का सही अर्थ निकाला जाय तो उनको जो वहां कुछ बेंचने जाते हैं वोट देने का अधिकार होना चाहिये। तो क्या वे ५६ या ५८ मील वोट देने जायेंगे यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य महोदय से कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया या कुछ गलतफहमी या जोश में आकर संशोधन पेश कर दिया। इसलिये वे इस संशोधन को वापिस ले लें यही उचित मालूम होता है।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये। अभी २० मिनट तो इस पर हुए हैं और यों तो यह आपके अधिकार में है और इतने महत्वपूर्ण संशोधन पर बहस अभी काफी नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—बहस काफी हो चुकी है तभी तो प्रश्न रखा गया है। इस लिये मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान् जी, मैंने माननीय मंत्री जी के अपने संशोधन के विषय में जो विरोध उन्होंने प्रस्तुत किया उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मुझे पहले ही से आशा थी कि माननीय मंत्री जी का सोशलिज्म इतना गहरा है जितनी गहराई तक मैं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

न जा सकूंगा। और मेरी जो एक जिज्ञासा के रूप में पिपासा थी वह पिपासा मेरी शांत न हो सकी। वह वैसी ही रही जैसी पहले थी। मुझे आशा थी कि मुझे कुछ प्रकाश प्राप्त होगा। मगर वह न हो पाया। माननीय मिश्र जी को गलतफहमी यह हुई कि मुझे यह गलतफहमी जो हुई है वह खेर कमेटी के माननीय सदस्यों को भी हुई थी। वह गलतफहमी बहुत पुरानी है। वह गलतफहमी मुझे नहीं हुई बल्कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के पहले जो स्वायत्तशासन मंत्री जी थे, जिन्होंने मैं समझता हूं कि सन् ३७ से लेकर आज तक, कुछ महीनों को छोड़ जब से मौजूदा मंत्री जी ने चार्ज लिया तब तक वह चल रही है और यह अव्यवहारिक था यह आज मालूम हुआ बहुत दिनों के बाद। यह बात आज तक जितने भी म्युनिसिपैलिटी के बारे में कानून पेश हुये उसमें नहीं बतायी गयी कि खेर कमेटी में सुझाव दिये गये हैं, वे गलतफहमी से भरे हुये हैं, और दकियानूसी हैं, क्योंकि जब हो नहीं सकते तो वही पुराने दकियानूसी कहे जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने एक और दलील दी कि आजकल बालिग मताधिकार से चुनाव होते हैं, प्रापर्टी का उसमें सवाल नहीं आता। चूंकि प्रापर्टी की बेसिस पर मामला है इसलिये सोशलिज्म के विपरीत है। इसलिये इसको नहीं माना जा सकता है। अगर सोशलिज्म के अनुसार वह मेरे टैक्स वाले निवेदन को हटा कर स्वयं ही वोटर मान लेते तो वह कह सकते थे। लेकिन जब वह इतना भी अधिकार नहीं देने जा रहे हैं तो वह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह सोशलिज्म के विपरीत है? उनका कहना तो सिद्धांतों के और भी अधिक विपरीत है और बिलकुल उल्टा है। जबकि टैक्स ये करने वाले को वोटर नहीं मानना चाहते तो दूसरों को क्या वोटर मानेंगे? इसके साथ ही साथ जो मेरा निवेदन था वह कोई अडल्ट फ्रेंचाइज के बाहर नहीं था। जो खेर कमेटी में भी कहा गया है वह भी अडल्ट फ्रेंचाइज को सामने रखते हुए कहा गया है। खेर कमेटी ने लिखा है :—

"As in the case of gaon panchayats and town areas we have proposed that the elections to district and municipal boards should be held on the basis of adult franchise and nominations should be abolished."

तो अडल्ट फ्रेंचाइज की बात को ध्यान में रख कर यह बात कही गयी है। उसके बाद लिखा है —

"We have gone a step further . . . . . ."

उनका यह स्पष्ट मत था कि हम अडल्ट सफ़रेज से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं। माननीय मिश्र जी को भी यह गलतफहमी हुई है। लेकिन माननीय खेर कमेटी के जो सदस्य थे उनका कहना है

"We have gone a step further in the case of district and municipal boards and suggested that an adult residing in a municipal area may be a voter under the district board if he was paying any tax to the latter and vice versa. We are confident that in the new spheres of the district and municipal boards such wider representation will be all to the good."

तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पीछे हटती है और खेर कमेटी कहती है कि वी आर गोइंग ए स्टेप फरदर? अब यह माननीय सदस्यों के लिये निश्चय करना है कि कौन आगे हैं और कौन पीछे हैं।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि यह सिद्धांतों के खिलाफ है कि हम एक आदमी को दो वोट देने का अधिकार दें। यह मैंने कब कहा कि एक आदमी को दो वोट देने का अधिकार दिया जाय? उन्होंने यह किस प्रकार समझ लिया। मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि जो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स देते हैं, टैक्स देते चले आ रहे हैं उन लोगों को वोटर मान लेना

चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बम्बई का नागरिक हो अगर उसने यहां चार आने की चुंगी दे दी तो वह वोटर हो जाय। एक माननीय सदस्य ने उसका यह इन्टरप्रेटेशन लगा लिया कि आजमगढ़ से लखनऊ ५२ मील है तो वह यहां का भी वोटर हो जायगा। अगर मेरे संशोधन को साफ तौर से पढ़ा होता तो उसमें लिखा है कि

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such board."

यानी उसी जिले के अन्दर। मैंने कोई यू० पी० वाइड या इंडिया वाइड नहीं किया। उसमें यह कहां से कल्पना कर ली गयी कि बलिया में कोई मेला म्युनिसिपलिटी के अन्दर हुआ है तो गाजीपुर के लोग एक दिन को आये और वह भी वोटर हो गये? यह प्रश्न नहीं है कि गढ़मुक्तेश्वर में मेला हुआ तो जो मेले में आया वही वोटर हो गया। मैंने तो "विदिन दि डिस्ट्रिक्ट" कहा है। तो ध्यानपूर्वक यदि मिश्र जी पढ़ते तो यह गलतफहमी नहीं होती।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर। मैंने जिले की बात कही थी कि ददरी के मेले में १० हजार आदमी बलिया जिले के आते हैं वह सब वोटर हो जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेले में जिले के ही नहीं बाहर के भी आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि सभी जानते हैं कि बाहर के लोग भी आते हैं। एक दिन को कोई मेला हो तो यह नहीं है कि एक दिन आयेगा तो टैक्स दे दिया। वह तो लगातार टैक्स देने की बात है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि किसी ने १० साल पहले टैक्स दिया तो वह भी हो सकता है वोटर, ऐसा मेरा संशोधन से मतलब है। यह बात सही नहीं है। उसमें तो साफ लिखा है कि "इफ दे पे ऐनी टैक्स" इसमें यह नहीं है कि "इफ दे हैव पेड ऐनी सच टैक्स"। यह तो प्रेजेंट टेंस की बात है। १० साल पहले किसी ने टैक्स पे किया हो यह बात कहां निकलती है। अगर वह यही मतलब समझते हैं कि १७/१८ साल पहले जिसने टैक्स दिया हो वह भी वोटर हो जाय तो उन्होंने मेरे संशोधन को गलत समझा है। हलद्वानी म्युनिसिपल बोर्ड का मसला मने रखा तो माननीय मिहीलाल जी को भी परेशानी हुई कि वह किस प्रकार वोट देंगे, किस प्रकार उनके रजिस्टर रख सकेंगे और बड़ी परेशानी हो जायगी। मैं तो समझता हूं कि जिनसे रोजाना म्युनिसिपैलिटी टैक्स वसूल करती है उनका रेकार्ड रखती है। अगर आप रुपया लेने का रेकार्ड रख सकते हैं तो वोट देने के अधिकार का रेकार्ड भी रख सकते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो रोजाना टैक्स देते हैं या हफ्ते में देते हैं उनका कोई रेकार्ड नहीं मिलता या उनको कोई रसीद नहीं मिलती। मैं इसका विश्वास नहीं करता। आपके यहां रेकार्ड रहता है। जो देहात से आदमी आते हैं और टैक्स देते हैं उन का रेकार्ड म्युनिसिपलिटी में रहता है। मान लीजिये हलद्वानी में आलू का सीजन है। जो घोड़े वाले लगातार सालों साल वहां आते हैं और हर तीसरे दिन आते हैं तो क्या वे चुनाव के दिन नहीं आ सकते। यह कैसे मान ले कि जब उनको वोट देने का हक दिया जायगा तो वह वोट देने नहीं आयेंगे और दिलचस्पी नहीं लेंगे? और फिर यह कह देना कि वह वोट देने नहीं आयेंगे इसलिये उनको वोटर न बनाया जाय, यह कोई दलील नहीं है। मैं यह देखता हूं कि अभी हाल ही में हमारे आम चुनाव हुये। तो क्या जितने वोटर थे सभी वोट देने आये हैं? अगर आज यह दलील माननीय मंत्री जी की मान ली जाय कि वोटर होगा वही जो वोट देने आये तो वह कोई दलील नहीं है और बालिग मताधिकार के संबंध में कोई दलील नहीं है। इस बात का कोई प्रश्न नहीं है कि वोटर वोट देने आये या नहीं आये। लाजमी है उसके लिये आना और उसको आना चाहिये। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या वोटर्स लिस्ट से? उसका नाम काट दिया जायगा? ऐसा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं हुआ। बहुत कम जगहों पर ७५ फीसदी, ९० फीसदी जो भी वोटर्स रहे हों वोट दिये हों। ५० फीसदी, ४० फीसदी यही औसत रहा है। ऐसे लोगों के नाम क्या काट दिये गये? यह प्रश्न नहीं उठता कि जिन लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज है वह वोटर न रहें उनका नाम काट दिया जाय। यह तो और भी अच्छा होगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं भले ही वह वोट देने आयें या न आयें मगर म्युनिसिपैलिटी और सरकार के लिये यह तो बड़प्पन की बात होगी। वह अपने अधिकार का उपयोग करें या न करें लेकिन आप इसके लिये उनको अधिकार ही न दें यह ठीक नहीं। आप उनको ट्रेंड करें, उनको सबक दें और उनको बतलायें कि यह आपका अधिकार है, आप इसका सदुपयोग करें। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि वोटर यदि सदुपयोग नहीं करता है तो आप भी उसको कोई अधिकार ही न दें और उसे वोटर ही न बनायें। यह कोई दलील नहीं है। जहां तक दो वोट देने का सवाल है कि एक ही आदमी दो वोट देगा मेरे संशोधन में तो यह है कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में म्युनिसिपैलिटी में रहने वाला तो वोट देगा ही लेकिन बाहर के रहने वाले जो कि म्युनिसिपैलिटी को टैक्स देते हैं वह भी वोट देंगे। इसमें दो वोट का सवाल कहां आया? आज चूंकि वह आम चुनाव में वोट देता है और म्युनिसिपैलिटी में भी वोट देता है तो उसको इस तरह दो वोट का अधिकार है। यह गलत है। कोई वोटर आज भी पार्लियामेंट के लिये वोट देता है असेम्बली के लिये वोट देता है और म्युनिसिपैलिटी में भी वोट देता है, इस तरह उसे दो तीन वोट देने का अधिकार है। गांव के लोग भी गांव पंचायत के लिये वोट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये वोट देते हैं, असेम्बली के लिये वोट देते हैं और उसी तरह उन्हें भी दो-तीन वोट देने का अधिकार है। यह सिद्धांत तो मैंने इसमें कहीं नहीं माना है कि एक ही आदमी दो वोट दे। श्रीमन्, मुझे तो आश्चर्य होता है, बार-बार यहां देखता हूं कि सरकार जिन कमेटियों को स्वयं बनाती है, जिन कमेटियों को सदन स्वयं नियुक्त करता है, उन कमेटियों की रिपोर्ट जो होती है जिसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उस रिपोर्ट की और उन कमेटियों की इज्जत सरकार स्वयं नहीं करती, उनको मान्यता नहीं देती। यह भी नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकार उसे करती हो। मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९३७ में खेर कमेटी बनी थी तो इसी कांग्रेस पार्टी की मिनिस्ट्री क्या नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी विधान-सभा के सदस्य उस समय नहीं थे। उन्होंने अपना कोई विरोध पेश किया था? माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि उस समय दूसरी हवा थी, आज दूसरी हवा है। लेकिन हवा दूसरी होने पर सिद्धांत तो नहीं बदलते हैं। डीटेल्स बदल सकते हैं, सिद्धांत अपनी जगह पर ही रहते हैं। आप यह कहते कि इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है बाद को ऐसा बिल लायेंगे। लेकिन यह भी नहीं है। उनका मतलब यह है कि जब तक उनको अधिकार रहेगा तब तक के लिये वे ऐसे संशोधनों पर विचार नहीं करेंगे। इसको दफना देंगे। मैंने आपके द्वारा यह प्रार्थना की थी माननीय श्री ऐजाज रसूल साहब तथा श्री सुल्तान आलम खां साहब से। कम से कम वह तो इसका समर्थन करते और माननीय श्री सुल्तान आलम खां साहब का नोट आफ डिसेंट भी इसमें था और उसमें वह एक कदम और आगे बढ़े थे।

श्री मोहन लाल गौतम—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। यह किस चीज का जवाब दिया जा रहा है? जब श्री सुल्तान आलम खां साहब बोले नहीं तो यह कैसा जवाब दिया जा रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—उत्तर इसलिये दे रहा हूं कि बहुत मेम्बरों को गलत-फहमी थी। माननीय मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि मुझे गलतफहमी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे गलतफहमी नहीं है। इस सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य मौजूद हैं उन्हें ही गलतफहमी है और एक जमाने से रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वह कहें कि खेर कमेटी की रिपोर्ट गलत है। वह रिपोर्ट के बारे में अपनी मंशा जाहिर करें।

श्री उपाध्यक्ष—कुछ हवाला दे दिया। अब काफी है। अब और जिक्र न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—"Also an adult residing in a municipal area should be a voter under the district board if he owns private property in the latter and vice versa. He may also be a candidate for membership.

वे नोट आफ डिसेंट में एक और अधिकार देना चाहते हैं। श्रीमन् मैं कोई दोषारोपण नहीं करता, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं परन्तु मैं यह मानता हूं कि वे नहीं बोले इसलिये वे अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह न समझें कि मेरी तरफ से गलतफहमी पैदा की गयी बल्कि गलतफहमी आप की मिनिस्ट्री में पैदा हुई और सरकारी कमेटी ने पैदा की। यदि वे कहें कि १७ साल का इतिहास बेकार है, रिपोर्ट बेकार है तो वे कह सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि रिपोर्ट अव्यावहारिक है, उसका सिद्धांत अव्यावहारिक है लेकिन आप मेरी बात को और खेर कमेटी के सिद्धांत को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि आगे जो म्युनिसिपैलिटी का बिल आने वाला है उसमें कम से कम इस सिद्धांत को वे मानेंगे अगर आज नहीं मानते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इतनी लम्बी चौड़ी बहस हुई है उसमें जितने रेलिवेंट प्वाइन्ट थे उन सब का उत्तर तो मेरे उस भाषण में आ गया जो मैं इस सदन के सामने पहले कर चुका हूं और अब उनको दोहरा करके मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। जो प्वाइन्ट रेलिवेंट नहीं है उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। जो संशोधन छपा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने कुछ कारणों से थोड़ी तब्दीली कर दी है, इसलिये उसको कृपा करके नोट कर लें। खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में शब्दः "and by fixing symbols or colour of ballot boxes to be allotetd to party or individual candidates as in the cese of State Assembly elections" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में यह संशोधन किया जा रहा है वह इस प्रकार है।

"Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage."

उसके बाद यह शब्द जोड़ दिये जाते हैं :—

"and by fixing symbols or colour of ballot boxes to be allotted to party or individual candidates as in the can of state assembly elections."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिम्बल्स और डिब्बों के रंग के जरिये चुनाव कराने का सवाल है इस सदन के सदस्यों के लिये कोई नयी बात नहीं है।

अभी-अभी हमारे प्रदेश और देश के साधारण चुनाव में सिम्बल्स के जरिये से "चुनाव कराये गये थे और इसके पहले हमारे यहां असेम्बली के चुनाव में कलर (रंग) का इस्तेमाल किया गया था। हर उम्मीदवार के लिये एक रंग का बैलेट बाक्स मुकर्रर किया जाता था। लेकिन जो प्रणाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में है वह बहुत अजीब सी प्रणाली है और विधान सभा के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव लड़े थे, यह जानकारी रही होगी कि ऐसे चुनाव में कलर का तो प्रयोग किया जाता है। चैयरमैन के लिये कोई एक कलर और मेम्बरों के लिये कुछ और कलर, लेकिन साथ ही साथ जो प्रणाली इस्तेमाल की जाती है उसमें जितने भी उम्मीदवार चेयरमैनी के लिये या मेम्बरशिप के लिये होते हैं उनके नाम एक लम्बी लिस्ट में बैलेट पेपर पर अल्फाबेटिकल आर्डर में छापे जाते हैं और मददाता को वोट देते समय हर पोलिंग आफिसर जरूर कहता है कि अगर आप अलग वोट देना चाहें तो इस बैलेट पेपर को ले जाकर अपने मन पसन्द उम्मीदवार के नाम पर निशान लगाकर अपने मन पसन्द कलर के डिब्बे में डाल दीजिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस में अनपढ़ मतदाताओं के लिये बड़ी भारी दिक्कत होती है और वह दिक्कत यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज में तो १४ परसेंट या १५ परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं, देहातों में तो अभी सात या आठ परसेंट ही हैं। इस के मानी यह हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज में ८५ परसेंट ऐसे लोग होंगे जो इस बात में असमर्थ होंगे कि वह बैलेट पेपर, जिन पर चैयरमैन और उम्मीदवारों के नाम छपे हुये हैं अपने हाथ से लेकर किसी अलग जगह पर जिन उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हों, उन उम्मीदवारों को वोट दे सकें। यह बिलकुल ही असंभव है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य यह जानते हैं कि जब किसी उम्मीदवार को जो पढ़ा लिखा न हो, उसको वोट देना पड़ता है तो इस प्रणाली में पोलिंग आफिसर के सामने एक ही चारा रह जाता है कि वह उससे पूछे कि आप किस को वोट देना चाहते हैं। नतीजा इसका यह होगा कि ८५ फीसदी मतदाताओं को पोलिंग आफिसर को यह बतलाना पड़ेगा और खुल्लमखुल्ला बतलाना पड़ेगा और फिर पोलिंग आफिसर को ही अकेले बतलाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहां इस किस्म का प्रबंध होता है कि हर पोलीटिकल पार्टी और हर इन्डिवीजुवल कैण्डीडेट के एजेण्ट भी पोलिंग अफ़सर के पास बैठे रहते हैं। उनके सामने ही मतदाता को बतलाना पड़ेगा तभी जाकर ८५ फीसदी मतदाता वोट डाल सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का दावा है और वह सही है कि जो उन्होंने प्रणाली असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये एलेक्शन में रखी थी वह प्रणाली ऐसी थी जिसमें जो जिसको चाहे वोट दे सकता था और अपने मन पसन्द उम्मीदवार को वोट दे सकता था उसमें अन्दर जाकर जहां कि बैलेट बाक्सेज रखे होते थे, कोई रुकावट नहीं थी, इस बात की काफी सुविधायें प्रदान की गई थीं। हर जगह स्क्रीनिंग (पर्दा लगाया गया था) की गई थी जिससे पोलिंग आफिसर तक नहीं जान पाते थे कि मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह एक बुनियादी चीज है "सीक्रेसी आफ बैलेट मस्ट बी गारण्टीड" सही वोटिंग वही है जिसमें सीक्रेसी आफ बैलेट गारण्टीड हो और यह जो प्रणाली हमारी सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में अमल में लाने जा रही है उसमें ८५ फीसदी मतदाताओं को मजबूर होना पड़ेगा कि वे पोलीटिकल पार्टीज के एजेण्ट्स के सामने और इण्डिवीजुवल कैण्डीडेट्स के एजेण्ट्स के सामने यह घोषणा करें कि वह किसको वोट देना चाहते हैं। -

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के साधारण वाद-विवाद के समय अपने यहां के कण्टूनमेंट बोर्ड का जिक्र किया था कि वहां ऐसे शख्स हैं, जो कि इतने प्रभावशाली हैं और उनका इतना इन्फलूएन्स है कि उन के डर से पिछले ३० सालों से हमारे यहां फैजाबाद में

कण्टूनमेंट बोर्ड का चुनाव ही नहीं हुआ। किसी उम्मीदवार को खड़े होने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। अगर कोई उम्मीदवार खड़ा भी हो गया तो जैसी इस चुनाव की प्रणाली है उसके रहते हुये कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के खिलाफ और खड़े हुये उम्मीदवारों को वोट दे सके। ऐसी सूरत में मैं विधान सभा के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस पर वह गौर करें और इस प्रश्न पर विचार करें कि जिस प्रणाली में ८५ फीसदी मतदाता चुपचाप और सीक्रेसी के साथ वोट न डाल सकें तो क्या वही प्रणाली आप म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में लागू करने जा रहे हैं, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के चुनाओं के लिये लागू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद विषय है। कांग्रेस दल के लोग भी इस बात को मानते हैं कि हर मतदाता को यह आजादी होनी चाहिये कि वह सीक्रेसी के साथ गोपनीय जगह में जिसको चाहे वोट दे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं जल्दी में ड्राफ्टिंग की वजह से यह चीज रह गयी है और वही पुराना मर्किंग सिस्टम आफ वोटिंग ही कायम रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---६० और ६१ जो हैं उनमें से कौन सा आप जोड़ना चाहते हैं वह जोड़ दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, यह उनसे एक बिल्कुल अलग चीज है।

श्री अध्यक्ष---अलग तो है, लेकिन सवाल तो यह आयेगा कि वह कहां जोड़ा गया, संशोधन के बाद जोड़ा गया था या कहां जोड़ा गया। इसलिये इसी वक्त जोड़ दें तो अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं इसे असम्भव सा समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आप ऐसा मान कर चल रहे हैं कि यह आपका संशोधन रेजेक्ट होगा और फिर बाद में दूसरा पेश करेंगे। ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी हां। तो इस सूरत में जब विरोधी दल के लोग भी इस बात को मानते हैं और सरकारी दल के लोग भी मानते हैं तो सिम्बल्स का होना बहुत आवश्यक है। और अगर सिम्बल्स का होना अव्यावहारिक हो, तो रंग की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकारी दल के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, और उन्होंने यह बतलाया कि इस पर काफी खर्च होगा, मसलन प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज का सवाल है कि एक कांस्टीटुएंसी में एक, दो, तीन, चार और हद से हद सात मेम्बर हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में एक पार्टी किसी भी प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में सात उम्मीदवार खड़े कर सकती है, सातों के लिये अलग-अलग सिम्बल्स होना यह बड़ी भारी दिक्कत की चीज होगी जो सरकार की तरफ से पेश की जा सकती है। मेरा यह कहना है, अध्यक्ष महोदय, कि वह कोई बड़ी दिक्कत की चीज नहीं है इसलिये कि मान लीजिये कि प्रजा किसान मजदूर प्रजा पार्टी की तरफ से झोपड़ी का चिह्न एलेक्शन कमीशन ने माना था और उस वक्त एलेक्शन कमीशन ने यह व्यवस्था की थी कि अगर शेडयूल्ड-कास्ट का उम्मीदवार है तो वह झोपड़ी का चिह्न एक सर्किल के अन्दर कर दिया जाय और साधारण उम्मीदवार के लिये बिना सर्किल का चिह्न रख दिया जाय जिससे आसानी से यह मालूम हो सके कि वह उम्मीदवार शेडयूल्ड कास्ट का है या साधारण उम्मीदवार है। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर सरकार सिम्बल को मानल तो सिम्बल झोपड़ी हो सकती है, लेकिन झोपड़ियों की तादाद बढ़ा कर और लकीरों का प्रयोग करके एक दूसरे उम्मीदवार से डिस्टिंगुइश (अंतर) कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक वार्ड में अगर तीन सीट्स हैं और तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]
उस हालत में यह किया जा सकता है कि एक उम्मीदवार के लिये एक बैलों की जोड़ी दूसरे के लिये दो बैलों की जोड़ी और तीसरे के लिये तीन बैलों की जोड़ी ही रख दी जाय। इस तरह से मतदाता को एक चिन्ह याद करना पड़ेगा लेकिन वह...

श्री मोहन लाल गौतम—एक बैलों की जोड़ी का क्या मतलब है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना नहीं क्या पूछा गया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य मुझ से इजाजत लेकर फिर बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सरकार की तरफ से यह भी आपत्ति उठायी जा सकती है कि म्युनिसिपैलिटीज को इन चुनावों का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है और माननीय स्वशासन मंत्री ने चुनाओं को टालने की एक खास वजह यह भी बतलायी थी कि म्यूनिसिपैलिटियों के पास पैसा नहीं है। वे अपने टीचर्स को ठीक वक्त पर तनख्वाह तक नहीं दे पाते तो एलेक्शन कराने के लिये उनके पास पैसा कहां से आयेगा? अगर्चे इस दलील ने हम लोगों को बहुत ज्यादा अपील नहीं किया लेकिन हम मान लेते हैं कि यह भी एक संकट सरकारी दल की तरफ से उठाया जा सकता है। उसका एक निराकरण यह भी हो सकता है कि जितने उम्मीदवार हों उनके सिम्बल्स आप छपवा कर उनसे छपवाने का खर्चा ले सकते हैं या यह कहें कि वे खुद इस तरह के सिम्बल्स छपवा कर जमा कर दें। तो उससे भी सिम्बल्स की कठिनाई दूर हो जाती है। बहरहाल, इससे पार्लियामेंट, स्टेट असेम्बली, म्यूनीसिपैलिटीज और नोटीफाइड और टाउन एरियाज के चुनावों में एकरूपता आ जावेगी। यदि यह भी मान लिया जाय कि सिम्बल्स की चीज मुश्किल होगी तो रंग में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मौजूदा प्रणाली में भी रंग की व्यवस्था हर उम्मीदवार के लिये है ही। चेयरमैन के डिब्बे और मेम्बर के डिब्बे का रंग अलहदा होता है। अगर प्लूरल मेम्बर कंस्टीटयूएंसी हैं तो उन पर तीन या चार से ज्यादा मेम्बर नहीं रहते हैं। यदि सरकार एक वार्ड में २ या ३ सदस्य रख दें तो रंग की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। मान लीजिये कि ५ पार्टियों ने चुनाव में भाग लिया और हर एक के ३-३ उम्मीदवार हैं और स्वतंत्र भी होंगे, तो इस तरह एक लम्बी लिस्ट ३० आदमियों की वोटर के सामने आजाती है। इस तरह जहां ८५ फीसदी मतदाता निरक्षर हैं वहां उनके लिये यह जानना अव्यावहारिक होगा कि वह नामों की लिस्ट को डिस्टिंगुइश कर सकें। यह मुमकिन नहीं है। वे ठीक तरह से वोट नहीं दे सकते। वोटों का नतीजा भी ठीक नहीं होगा। ऐसी हालत में अगर २-३ रंग कर दिये जावें और अगर एक पार्टी के ३ उम्मीदवारों में कोई मतदाता इंटेरेस्टेड है तो उसके ३ रंग याद रखना आसान होगा बमुकाबले इन तमाम उम्मीदवारों के नाम याद रखने के। रंग में उसकी आंख भी याददाश्त के साथ उसकी मदद करेगी जब कि नाम में केवल याददाश्त ही काम करती है। तालीमयाफ्ता लोग तो केवल १५ फीसदी ही हैं जिनके वोट से चुनाव कोई मानी नहीं रखता। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें क्योंकि उन्होंने पहले भी विरोधियों की बात कभी कभी मान कर ऐसी नजीरें पेश की हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा माननीय सदस्य ने दो बातें सदन के सामने रखने की कोशिश की हैं। एक तो सिम्बल की और दूसरी कलर की। कहते-कहते अन्त में वह यह भी कह गये कि यदि यह मान लिया जाय कि सिम्बल अव्यावहारिक है तो कलर ही मान लिया जाय तो सिम्बल के पेश करने का जो जोर था उसमें खुद ही उन्होंने शक देखा। एक दो बातें उसके सम्बन्ध में मैं रखना चाहता हूं जिसपर मैं चाहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य विचार करें। जैसा कि

अभी माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा कि ३० की लिस्ट हो सकती है एक वार्ड की। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं १५-२० की मान लेता हूं। मान लीजिये एक वार्ड है जिसमें ४-५ सीट्स हैं। यह भी मैं मान लेता हूं पुराने तजुर्बे से कि और सब पार्टीज मिल कर कांग्रेस का विरोध कर रही हैं तो एक तो कांग्रेस का और दूसरा सब पार्टीज का संयुक्त मोर्चा हो जायगा और अगर ४ हैं तो ८ हो जायंगे और ५ हैं तो १० हो जायंगे और ४-५ इंडिपेंडेंट कैन्डीडेट्स का हो जाना कोई असम्भव बात नहीं है तो इस तरह से एक जगह १२।१५ उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर इतने उम्मीदवार हैं और उनके लिये सिम्बल्स रखे जांय तो मैं निवेदन करूंगा कि १२-१५ के लिये अलग-अलग हों या सिम्बल पार्टीवार हों और नाम लिख दिये जायं और सिम्बल्स भी हों तो अंत में नाम तो हो ही जाते हैं क्योंकि अगर ४ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर कोई वोटर आता है और वह कहता है कि मैं कांग्रेस को तीन वोट्स देना चाहता हूं और एक किसी दूसरे को देना चाहता हूं तो वह कैसे वोट देगा अगर आप एक ही सिम्बल रख देंगे तो किन तीन को देगा? यह अधिकार उसको नहीं रहेगा। इसलिये अलग-अलग करना होगा। जितनी मिसालें अभी तक दी गई हैं वह सब सिंगल मेम्बर्स कांस्टीटुएन्सी की हैं और डबल मेम्बर्स कांस्टीटुएन्सी है वहां पर चारों तरफ घेरा डाला जायगा। इस तरह से थोड़ा सा भिन्न करके दो एक तरह के ही होंगे और एक बैल की ही जोड़ी रहे तो इस तरह की जब मिसालें दी जाती हैं तो सिंगल मेम्बर्स कांस्टीटुएन्सी के लिए ही दी जाती हैं। लेकिन जहां पर चार सीट्स हैं और कोई वोटर तीन को वोट देना चाहे तो आपको बताना पड़ेगा कि चारों किस-किस के अलग-अलग बक्स हैं। कौन सा ए का है, कौन सा बी का है, कौन सा सी का है और कौन सा डी का है। अगर अलग-अलग नहीं हैं तो क्या आप उसको डिपराइव करेंगे कि जो वह तीन को ही वोट देना चाहता है और दूसरे को देना चाहता है तो उसको वह वोट न दे? इस तरह से क्या आप उसका अधिकार छीनना चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं तब तो यह सिस्टम ठीक नहीं हुआ। अगर देना चाहते हैं तो इन सिम्बल्स के साथ-साथ एक और निशान लगाना पड़ेगा जैसा कि आपने कहा कि किसी के लिये सिम्बल्स के साथ एक लकीर खींच दी जाय किसी के लिये दो लकीर खींच दी जाय या नाम लिख दिया जाय। तो सिम्बल्स तो भिन्न-भिन्न हो गये। तब आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की चार बैलों की जोड़ी के होते हुये अलग अलग बनायें वर्ना एक लकीर इस तरह से ए की हो, इस तरह से बी की हो, इस तरह से सी की हो और इस तरह से डी की हो यानी चारों के सिम्बल्स कायम होते हुये भी डिफरेंट हैं। जब तक याद नहीं होंगे वह फ्रीली वोट नहीं दे सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि चाहे थोड़ा सा कामन हिस्सा हो लेकिन वह अलग-अलग होना चाहिये तभी आसानी से सिलेक्ट किया जा सकता है। अन्त में नतीजा यह होगा कि अगर १२।१५ उम्मीदवार होंगे तो १२-१५ सिम्बल्स रखने होंगे और याद रखना होगा कि कौन कौन किस किस के सिम्बल्स हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पहली आपत्ति तो यह है कि ३० नाम किस तरह से याद होंगे। यदि नाम याद रखते हैं तो सिम्बल्स भी याद रखने होंगे। अगर गल्ती कर सकते हैं तो धोखा खा जायंगे। अब तो यह कि मुझे ५ नाम याद रखना है। और उससे हमारा काम चल जायगा। लेकिन अब आप यह और कहते हैं कि वह ५ का नाम याद रक्खे, फिर यह कहते हैं कि ५ सिम्बल्स को याद रक्खे और उनको जाकर डिफरेंसियेट करें। मेरा तो अपना तजुर्बा यह है कि जो वोटर्स आयें उनमें से बहुतों ने जो बाक्स पहले उनके सामने आया उसमें उन्होंने वोट डाल दिया, नमस्कार किया और चल दिये। खास कर स्त्रियों को मैंने देखा, इसमें मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत देर तक इन्तजार करते करते परेशान हो गईं और ज्योंही पहला

[श्री मोहनलाल गौतम]

बाक्स उनकी नजर में आया उन्होंने वोट डाल दिया और चल दीं। इस तरह से सारे सिम्बल्स को याद रखना और उनसे सम्बन्धित नाम का याद रखना अव्यावहारिक और कठिन है। सिम्बल्स तो कुछ याद भी रह सकते हैं, उनमें तो कुछ फर्क भी हो सकता है। अगर चिड़ियों के नाम हाथी, घोड़ा वगैरह रक्खें तो उसमें थोड़ी आसानी है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें मैं सफेद कपड़ा पहनते-पहनते कभी-कभी रंगीन भी पहनता हूं। मैं तो कम से कम कलर्स में फर्क नहीं कर सकता। जितने सज्जन गैलरीज़ में बैठे हैं उनके कोट किस किस तरह के हैं यह सब मैं अन्दाज नहीं कर सकता कि उनके कलर्स क्या हैं। और यहां तो १२, १५ कलर्स करने होंगे उनको डिफरेंशियेट करना सिम्बल्स से भी ज्यादा मुश्किल बात होगी। इसलिये आपने जितनी आसानी से यहां लाकर इन चीजों को रख दिया वे इतनी आसान नहीं हैं। हां, एक बात जरूर है कि अगर आप सिंगिल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी रखते तब तो कुछ सहूलियत हो सकती थी। अभी हम जिस तरफ सोच रहे हैं और जैसा संशोधन हमारे सामने आया है उसमें ऐसा करना मुश्किल है। प्लूरल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी में ऐसा करना मुश्किल है। हां, सिंगिल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी में रंग कम हो सकते हैं लेकिन प्लूरल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी में ५ सीट्स के लिये २५ कैंडीडेट्स हो गये तो २५ कलर्स हो जायंगे। २५ कलर्स का समझना और हर एक वोटर से यह आशा करना कि वह २५ कलर्स को याद रक्खे, यह बड़ा कठिन है। इसलिये यह दोनों चीजें इसमें नहीं हो सकतीं। इसीलिये यह जो अमेंडिंग बिल है इसमें इस बात का जिक्र छोड़ दिया गया है। इसको सोच विचार कर रखना पड़ेगा। मैंने अपनी दिक्कतें आपके सामने रख दीं। मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों को मेरे लिये मंजूर करना मुश्किल है। प्लूरल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी में ही इस तरह की चीजें रखना आसान हो सकता है। लेकिन यह चीजें उसी वक्त तै हो सकती हैं जब यह मालूम हो जाय कि एक वार्ड में कितने मेम्बर हैं और ये चीजें रूल्स में आयेंगी। यह नहीं है कि कलर्स या सिम्बल्स नहीं होंगे, यह सब हो सकता है जब कि वार्ड के मेम्बर्स का फैसला होगा उस वक्त इन चीजों को सामने रक्खा जायगा वर्ना बड़ी कठिनाइयां पड़ेंगी। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके विरोध में अपनी दलीलें पेश करना चाहता हूं। यह निर्विवाद है कि म्युनिसिपैलिटी एक बहुत छोटा एरिया होता है और वहां लोग आम तौर से ज्यादा परिचित एक दूसरे से हुआ करते हैं। जिस प्रकार की असेम्बली की कांस्टीटचुएंसी लम्बी चौड़ी होती हैं, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है उसके विपरीत म्युनिसिपैलिटीज का क्षेत्र छोटा होता है। और उसके अन्दर भी जो वार्ड बनाये जाते हैं उससे उस क्षेत्र को और छोटा बना दिया जाता है और लोगों का परिचय एक दूसरे का उसी डिगरी का बरता जाता है जिस डिगरी से कि वह रकबा कम हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर इस जमाने में हमारी सरकार ने कम्पलसरी एजुकेशन इन्टरोडचूस कर दिया है इसकी वजह से और भी शिक्षा शहरों में बढ़ रही है। लेकिन देहात के गरीब लोग ज्यादातर बेपढ़े लिखे हुआ करते हैं उनको दुनिया की बातों का बहुत कम ज्ञान होता है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर रहने वाले लोगों को माडर्न सिविलाइजेशन की सब अमेनिटीज प्राप्त हुआ करती हैं। इस कारण जो यह इस विधेयक में रक्खा गया है वह एलेक्शन के इन्तजाम को सुचारु-रुप से चलाने के लिये किया गया है। जैसा कि असेम्बली या पार्लियामेंट के एलेक्शन

के लिये वह जरूरी समझा गया तो वहां पर यह आसानी रखी गई वह म्युनिसिपैलिटीज के लिये या टाउन एरिया के लिये जो कि छोटे-छोटे एरिया में होते हैं उनके लिये यह रखना जरूरी नहीं है। इसलिये कि इनका क्षेत्र छोटा होता है और वहां का आदमी पढ़ा लिखा भी होता है और सब बातें समझता है। देहात का आदमी बेपढ़ा लिखा होने से वह बातें समझता नहीं है इस वजह से असेम्बली के लिये वह बातें रखी गईं। शहर का तो कोई कुली भी देहात के रहने वाले से होशियार होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि पहले मैं इस दलील को पेश करता हूं कि यही कारण है जिसकी वजह से यह चीज रखी गई।

दूसरा ग्राउन्ड मैं यह पेश करता हूं जिसके आधार पर इस संशोधन को अस्वीकार करना चाहिये कि जहां पर यह अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि यह एलेक्शन एडल्ट सफरेज की बेसिस पर किया जा रहा है यह १२-ए में लिखा हुआ है। यह सेक्शन अडल्ट सफरेज की बात जानता है। यह तो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करता है। हमारी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर वोट देने के लिये क्वालिफिकेशन बताता है। उस क्वालिफिकेशन के साथ आप चाहते हैं कि अमेंन्डमेन्ट मूव करके इसके साथ वह चीज जोड़ दी जाय। लेकिन देखने की बात यह है कि एलेक्शन को सुविधापूर्वक कराने के लिये कौन इन्तजाम अच्छा होगा। इस क्वालिफिकेशन के साथ इस चीज का जोड़ना मैं यह समझता हूं कि किसी तरह से साउन्ड नहीं है और मौलिक बातों के भी विरुद्ध मालूम होता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहुत अच्छे रूप में यह घपले की बात कही गई यह बात नहीं है। हमारे इस प्रदेश के अन्दर बहुत काफी तादाद में म्युनिसिपैलिटीज हैं और ऐसे समय में जब कि म्युनिसिपैलिटीज आर्थिक दलदल में फंसी हुई हैं और जब कि हमारी सरकार के पास फंड नहीं है इस प्रकार के संशोधन को रखना मनी को वेस्ट करना है और व्यर्थ का व्यय करना है क्योंकि छोटे क्षेत्र के होने से काफी जानकारी हो सकती है तो फिर व्यय करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय में तो रुपये को सेव करना चाहिये जिससे जनता के लिये कुछ काम किया जा सके। अगर इस अमेंडमेंट को पास कर दिया गया तो इससे फिजूल का खर्चा बढ़ जायगा और जनता के साथ कोई भलाई का काम नहीं होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत ही ध्यान से माननीय स्वशासन मंत्री जी की आपत्ति जो इस संशोधन को मानने में उपस्थित हुई उस को सुना। मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय स्वशासन मंत्री की आपत्ति की जड़ में क्या बात थी। काफी सोच विचार के बाद ही एक सिस्टम एडाप्ट किया गया और जो दिक्कतें कि इस म्युनिसिपल चुनाव में आनेवाली हैं उस के बारे में जो संकेत किया गया वह दिक्कत एक तरह से असेम्बली के चुनाव के संबंध में भी थी मगर उस को हल करने के लिये ही कि वोटर को सीक्रेट तरीके से वोट देने में कौन से सिस्टम में आसानी होगी इस बात को मद्देनजर रख कर ही बैलेट सिस्टम एडाप्ट किया गया था। मुझे आश्चर्य होता है कि आगे आने वाला चुनाव जिस का काफी चर्चा है और शोहरत है कि वह चुनाव होगा, उस के लिये सरकार अभी से अगर स्पष्ट तरीके से यह घोषित नहीं करती कि वह चुनाव बैलेट सिस्टम के जरिये से होगा तो लोगों में बहुत अधिक शंका होगी। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जब एक सिस्टम को मानकर इतने बड़े चुनाव हमारे इस मुल्क में कराये गये और उस सिस्टम पर हमारे माननीय मंत्री जी को बड़ा गर्व भी है की उनकी सरकार यहां बहुमत से बनी तो उसी सिस्टम को इस म्युनिसपल चुनाव में अख्तियार करने में माननीय मंत्री जी क्यों हिचकते हैं, इस सिस्टम में दोष क्या है

[श्री राजनारायण]

इसको माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि बैलेट सिस्टम में दोष क्या है। एक बैल की जोड़ी या २ बैल की जोड़ी पर वादविवाद हो लेकिन वह केवल शाब्दिक बातें थीं लेकिन हम शाब्दिक बातों में न जा कर तथ्य की बात को ले कर चलते हैं और उसी को लेकर हमने माननीय राम नारायण जी के संशोधन का समर्थन करने का साहस किया है और मैं आपके जरिये बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यहां सवाल यह है कि किस सिस्टम को एडाप्ट करने से एक वोटर अपने मत को आसानी से दे सकता है और वह वोट किस को देता है इस की सीक्रेसी भी लोगों को मालूम नहीं होती क्योंकि अकसर देखा गया है कि जिस तरह से हामारा समाज आज बंटा है उस में अगर कोई गरीब या असहाय है तो वह अगर किसी प्रतिभाशाली मनुष्य के विरुद्ध अपना वोट प्रदान करता है तो वह उस गरीब को दबाने की चेष्टा करता है और अब तक म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में जो परिपाटी बरती जाती थी उसमें काफी गुंजाइश होती थी जिस से पता लग जाता था कि वोटरों का वोट किधर पड़ रहा है और ऐसी जानकारी हासिल करने के बाद उन वोटरों को तरह तरह की धमकी देकर परेशान किया जाता था और ऐसे साधन उनके सामने रखे जाते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इतने बड़े चुनाव में जब बैलेट सिस्टम एडाप्ट किया गया, चाहे उस में २ बैलों की जोड़ी हो या वटवृक्ष हो यह, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि करीब १४ पार्टियां तो पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुकी थीं।

उनका सिम्बल हो चुका था, इसके बाद भी एलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टियों के लिये और सिम्बल दिये। इस तरह से करीब २४ पार्टियों के लिये एलेक्शन कमीशन ने सिम्बल निर्धारित कर दिये थे। तो यह दिक्कत उनके सामने आयी नहीं कि कैसा कलर होगा या कैसा सिम्बल होगा। इस तरह से जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने अपने संशोधन में स्पष्ट कर दिया है कि एक सिस्टम होना चाहिये, क्रास करने का। पहले ऐसा था कि जिस पक्ष का मत देने वाला आया उसको अपनी तरफ ले जाकर क्रास कर लिया। तो यह सिस्टम नहीं होना चाहिये। इसकी मैं कतई मुखालिफत करता हूं। जो पुरानी परम्परा थी वोट डालने की, उसका तो मैं बड़े जोरदार शब्दों में विरोध करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में इस बात की सफाई तो कर ही देंगे। जिस तरीके से पुराने समय में यानी इससे पहले जो म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में वोट डालने के नियम थे उस नियम पर तो यह सरकार चलेगी नहीं। परन्तु उस नियम पर नहीं चलेगी तो किस नियम पर चलेगी ?

इसकी दो बुनियादी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना है। एक तो सीक्रेसी मेनटेन की जाय, भेद न खुलने पावे कि उसने अपना वोट किसको प्रदान किया और दूसरे उसको वोट देने में आसानी हो, सुविधा हो, दिक्कत न हो। तो वह केवल इसी बैलेट सिस्टम के अनुसार कोई न कोई चिन्ह देकर, कोई-न-कोई रंग देकर ही सुविधा दे सकते हैं। पुराने सिस्टम में जाकर यह सुविधा छीनी जाती है। जब यह सुविधा छीनी जाती है तब मैं उस पुराने शब्द को दुहराना चाहता हूं लेकिन विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोचना पड़ता है कि आखिर जिस सिस्टम को काफी मौका दिया और तब उसको अख्तियार किया उसके बाद इस सदन के सम्मानित सदस्य जो हम लोग यहां बैठे हुये हैं उस सिस्टम को इस म्युनिस्पिल बोर्ड्स के चुनाव में क्यों नहीं अख्तियार करने जा रहे हैं ? इसका कोई न कोई कारण होना चाहिये और जब उस कारण को ढूंढते हैं तो श्रीमन्, मैं फिर उसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकार की मनोवृत्ति किस तरफ जा रही है। आखिर वे दोनों बुनियादी सवाल जो इस सरकार के सामने हैं एक तो यह कि वोट डालने के सिस्टम में सीक्रेसी होनी चाहिये या नहीं और नहीं होनी चाहिये तो क्यों नहीं होनी चाहिये। जनतंत्र में बालिग मताधिकार है, जब बालिग मताधिकार है तो वोटरों की संख्या ज्यादा है, जब वोटरों की संख्या ज्यादा है तो उनके वोट में निष्पक्षता होनी चाहिये कि वे अपना मतदान चुनाव क्षेत्र में सुविधा से

दे सकें। अगर आप सुविधा नहीं देते हैं तो सरकार अपने कर्त्तव्य से च्युत होती है, अपने कर्त्तव्य को छोड़ती है। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें। हां, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से जो माननीय मंत्री महोदय ने सिंगुलर और प्लुरल कांस्टीटुएंसी की बात कही उसका भी जवाब देना चाहता हूं। इसी विशाल भूखंड में एक छोटा सा प्रांत बम्बई भी है। बम्बई कारपोरेशन का वहां भी चुनाव होता है। बम्बई में भी सिंगुलर और प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएंसी सिस्टम जारी है।

एक सदस्य--यह सिंगुलर और प्लुरल क्या चीज है?

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, चूंकि माननीय सदस्यों को सिंगुलर और प्लूरल कांस्टीटुएंसी समझने में दिक्कत होती है इसलिये मैं एक सदस्य वाले क्षेत्र और बहु सदस्य वाले क्षेत्र ही इस्तेमाल करूंगा। इसको वे लोग अच्छी तरह से समझ लें। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं वहां का जो ऐक्ट है उसको पढ़ना चाहता हूं।

"In plural councillor wards every elector shall have as many votes as there are councillors to be elected for such election for such ward and may give all such votes to one candidate, or may distribute them among the candidates as he thinks fit."

तो, श्रीमन्, वहां पर भी इस दिक्कत को साल्व करने के लिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई न कोई सिस्टम निकाला ही गया है और मैं यह कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी विदेशों का भ्रमण भी कर चुके हैं वह वहां के रिवाजों से परिचित होंगे ही कि वहां क्या सिस्टम है। वहां पर भी इन दिक्कतों को दूर करने के लिये कोई कलर का सिस्टम निकाला गया है कोई सिम्बल का सिस्टम निकाला गया है और इन दिक्कतों को दूर किया गया है। जो दिक्कत माननीय स्वायत्त मंत्री जी ने बतायी कि वह दिक्कत सामने नहीं आती और यदि दिक्कत हो भी तो भी जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा १०-१० और पांच-पांच सदस्य खड़े होंगे, बहुत सी पार्टियां होंगी, बहुत से स्वतंत्र लोग होंगे तो इतने कलर होंगे कि एक साधारण आदमी के लिये याद करना भी असम्भव होगा। उसके संबंध में हमें कहना है कि अगर हम डिमोक्रेसी के प्रति और जनतंत्र के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ हैं तो जनतंत्र के लिये कुछ बुनियादी बातें होती हैं उन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक उदाहरण फ्रांस हमारे सामने रखता है, एक उदाहरण इंग्लैंड हमारे सामने रखता है। फ्रांस के उदाहरण में जब हम जाते हैं तो उसका जो ऐग्रीगेट निकलता है उसका जो अनुपात निकलता है वह यह है कि १० महीने से ज्यादा कोई मिनिस्ट्री टिक नहीं पाई क्योंकि वहां पर बहुत सी पार्टियां हैं और इंग्लैंड का एक सिस्टम है जब उसको देखते हैं तो वहां एक स्थायी रूप से सरकार चल रही है। तो अगर हम इस सिम्बल के सिस्टम को लेते हैं तो लोगों को मजबूर होना पड़ेगा और लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा और जैसे बरसात के दिनों में बरसाती मेंढक निकल आया करते हैं जैसे कि असेम्बली का अनुभव हम सबों को है कि जब चुनाव का समय आया बरसाती मेंढक की तरह कोई किसी संघ के नाम से कोई सभा के नाम से कोई न कोई सिम्बल निकल आया। हम उसके भुक्तभोगी हो चुके हैं, उसका परिणाम देख चुके हैं। अब इस तरह की गलतियां लोग आगे करने वाले नहीं हैं। मैं अनुभव के आधार पर अपने माननीय स्वायत्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कि अब वह दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। अब तो लोग समझ गये हैं, मुश्किल से तीन चार पार्टियां उठेंगी। हमारे सामने एक पार्टी जो कंजरवेटिज्म को चलाने वाली है, कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग तो उसमें चले जायेंगे और एक जो कि उस सेंटीमेंट्स को लेकर चलने वाले हैं जो कि कुछ साम्प्रदायिकता का टिंज रखते हैं, वह भी हो सकता है कि इस चुनाव में आयें और वे भी बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। (एक आवाज) वे कौन पार्टी बनायेंगे

[श्री राजनारायण]

कह तमाम जनसंघ, हिन्दू सभा और रामराज्य परिषद् यह तमाम मिलकर एक बकचोंचों वा मुरब्बा बनकर रहेगा वह चोंचों का मुरब्बा ज्यादा दिन तक चलनेवाला नहीं है।

समझता हूं कि अब वह स्ट्रेट फाइट जो म्युनिसिपल बोर्ड में चुनावों में होनेवाली है वह फाइट तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कि परिवर्तनशील जगत में विश्वास करती है, क्रांतिकारी जगत में विश्वास करती है और वर्तमान सिस्टम को पलट कर उसपर भव्य सुन्दर विषमता निवारक समाज खड़ा करना चाहती है वह बाकी रहेगी और जो आज ढांचा चल रहा है इस वर्तमान ढांचे को कायम करने वाले जो कि स्टेटस कोइज्म और यथास्थितिवाद की पार्टी है कांग्रेस उसके बीच में और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच वह फाइट होगी। श्रीमन्, जो मैं कह रहा था वह तो यह था और यह सब कहने का अर्थ भी यही था कि अब कोई झगड़ा चाहे वह बहुसदस्य वाला हो या और कोई, माननीय मंत्री के रास्ते में दिक्कत नहीं खड़ा करता क्योंकि, श्रीमन्, मैं अपने इसी तर्क के समर्थन में आपकी इजाजत से माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय की खिदमत में एक उदाहरण रखना चाहता हूं।

अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं, श्रीमन्, अभी एक अलीगढ़ का उपचुनाव हुआ। उसमें एक स्ट्रेट फाइट रही। एक तरफ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उम्मेदवार था और जो विजयी होकर यहां उपस्थित है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार था इसके अतिरिक्त अभी हमारे बावरी साहब का मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वहां भी स्ट्रेट फाइट हुई। एक तरफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आठ हजार से ज्यादा वोटों से हरा कर पार्लियामेंट में गया है। इसलिये जो अब वातावरण है जिस तरह से हमारे समाज की राजनीतिक प्रगति हो रही है वह राजनीतिक प्रगति हमें इसी ओर ले जाती है। अब आगे आने वाला जमाना जो है वह बहुत ज्यादा डांड़ मारों में नहीं बट पायेगा। आज हिन्दुस्तान की राजनीतिक चेतना स्थायित्व पर आ रही है। उसने अपनी जगह को समझ लिया है। जब उसने अपनी जगह को समझ लिया है तब माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय के रास्ते में क्या दिक्कत है। मैं आपके जरिये उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह इस बात को अपने लिये खतरा न समझें और श्रीमन्, एक बहुत मारके की बात मैं आपकी इजाजत से माननीय स्वायत्त मंत्री की खिदमत में रखना चाहता हूं। वह बात यह है कि जब 'श्रीमन्, हमें कुछ थोड़ी सी हिचक होती है कि माननीय मंत्री जी तुरन्त समझ लेते हैं कि उनकी मोटिव पर अटैक कर रहा हूं जब कि हमारी कोई ऐसी नियत या भावना नहीं रहती ... ... /

बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे के लिये यह सेशन बढ़ा दिया जाय ताकि बहस जो चल रही है वह भी पूरी हो जाय और उस सिलसिले में और मित्रों को जो राय जाहिर करनी है वह भी अपनी राय जाहिर कर सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हम को इस पर आपत्ति है इसलिये कि कोई असाधारण परिस्थिति हो तो हम आधी रात तक बैठने को तैयार हैं। यह सेशन जैसा कि गवर्नमेंट का ऐलान है, १२ जनवरी तक तो चलेगा ही। उसके आगे अगर जरूरत होगी तो आगे भी चल सकता है। इस लिये कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रस्ताव को इंटरटेन न किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, अभी यह सेवक बोल रहा था तब तक बीच में ही उन्होंने प्रस्ताव कर दिया मैं समझ नहीं पाया .....

श्री अध्यक्ष—मोशन किसी स्टेज पर हो सकता है। लेकिन मैं यह मोशन तब लूंगा जब आप अपना समय खत्म कर लेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह सरकारी पक्ष के लोगों की मनोवृत्ति होती है कि किसी तरह धारा को इस तरह से बीच में तोड़ दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरा इस पर प्रतिबन्ध लगायें सख्ती के साथ।

श्री अध्यक्ष—आप अपनी जगह को मत छोड़ा कीजिये। आप बैठ मत जाया कीजिये।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी अब यह समझ रहे हैं कि जो जागरित जनमत है वह जागरित जनमत ... /

श्री अध्यक्ष—अब मैं मोशन पर राय ले लेता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्वाइंट आफ आर्डर करना है। असेम्बली का निश्चित समय बीत गया है और उनका प्रस्ताव इंटरटेन नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—वह पहले पेश कर चुके हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, हम सब को मालूम है कि साधारणतया सदन का काल पांच बजे तक होता है और हम लोगों के बहुत ही आवश्यक इंगेजमेंट होते हैं। और यह म्युनिसिपल ऐक्ट संशोधन विधेयक जो कि हमारे प्रांत के शहरी एलेक्शन के तमाम नागरिकों से संबंधित है और करीब एक करोड़ के ऊपर आबादी से संबंधित है इसलिये कोई असाधारण विधेयक नहीं है। और आज साढ़े पांच बजे से सम्पूर्णानन्द जी ने, एक स्काटलैंड से और एक स्विट्जरलैंड से सज्जन यहां दर्शक के रूप में आये हैं, उन्होंने हमको इनवाइट किया है और..... /

श्री अध्यक्ष—तो तस्फ़िया कर लीजिये। २० मिनट में समझता हूं ठीक रहेगा।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि इस समय सदन के कार्य को न बढ़ावें तो अच्छा हो। हमें यहां से अपने निवासस्थान को जाना है और नित्य के कार्यक्रम से निवृत्त हो कर के जाना पड़ेगा। इसलिये मैं आप के जरिये अपने मित्र से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर उनको टाइम बढ़ाना होगा तो शनिश्चर की छुट्टी आती है वहां कर लेंगे।

स्वशासन मंत्री श्री सोहनलाल गौतम—जैसी आप की आज्ञा हो। मैं समझता हूं २० मिनट बढ़ा दीजिये या इसी को मंजूर कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—२० मिनट ही ठीक रहेगा। उसी पर मैं राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि २० मिनट सदन का समय और बढ़ा दिया जाय और सदन का समय ५ बज कर २० मिनट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।

विपक्ष में—१४ पक्ष में—८२।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५२ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं इसी संशोधन पर बोल रहा था "ऐंड बाईपिक्सिंग सिम्बल एलाटेड टु पार्टीज आर इंडिविजुअल्स इन दि केस आफ़ स्टेट असेम्बली

[श्री राजनारायण]

एलेक्शंस" जोड़ दिया जाय। संशोधन के समर्थन में, श्रीमन्, मैंने जो तरीका उपस्थित किया था उसी के संबंध में मैं आपकी इजाजत से माननीय मन्त्री जी की और सफाई के लिये कुछ कोटेशंस रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि आस्ट्रेलियन बैलेट आज किस तरह से चल रहा है। वह साफ कहते हैं कि—

"*Adoption.* In an effort to prevent the abuses of the old plan, the state legislature of Kentucky provided for a new type of ballot, which was used in the Louisville municipal elections of 1888. This ballot had been adopted by Victoria, Australia, thirtytwo years before, so it came to be known in the United States as the Australian ballot. It was a blanket ballot, containing the names of the candidates of all parties, printed at state expense, and distributed by State authorities, great care being taken to make certain that only one ballot reached each voter. The state guaranteed secrecy by providing curtained booths at the polling places."

श्रीमन्, यह १८८८ की बात है और आज १९५२ है। क़रीब क़रीब अगर देखा जाय तो ८० वर्ष पहले भी इस तरीक़े से बैलेट पर नाम लिख दिया जाता था और उस बैलेट बाक्स को रख दिया जाता था, कर्टेन लगा दिया जाता था। उसमें जाकर लोग वोट डालते थे। इसी तरीक़े से अगर अर्लियर बैलेट फ़ाड्स के बारे में भी देखा जाय, इन पुस्तकोंमें उनका भी संकेत है :

"Until the latter years of the nineteenth century the printing and distributing of ballots was left to the party organizations. The laws merely provided that white paper must be used and sometimes specified the size. So each party prepared its own lists of candidates and distributed them to voters outside the polling place on election day.

श्रीमन्, अभी जब मैं यह आप की इजाजत से पढ़ रहा था यहां पर तो एक बहुत ही इस समय के ताजे अनुभव की चीज है वह मैं आप की इजाजत से माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों की ख़िदमत में पेश करना चाहता हूं। आख़िर वह भी जनता ही है, जनता के ही अंग हैं। अभी-अभी कांग्रेस पार्टी का एलेक्शन हुआ है कुछ समय पहले। श्रीमान्, आप देखेंगे कि इस चुनाव में कितनी धांधली हुई है और अभी हमने कुछ बनारस के चुनाव की चर्चा अख़बारों में पढ़ी। वहां पर ऐसा हुआ था कि जो उम्मीदवार था वह अपने अपने लोगों को पेपर लाकर छोड़ देने के लिये दे देता था। यह मामला कांग्रेस कमेटी के पेटीशन में आ रहा है। लोग देखेंगे कि ज्यादातर वोटों को ले जाकर लोगों ने अपने में छुड़वा लिया। इसमें आगे क्या बात होगी मैं इस समय नहीं कह सकता। मगर जो उसमें गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं गड़बड़ियों को माननीय स्वशासन मंत्री फिर आगे दुहराने की कृपा न करें। आज कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव हुये जिस तरह के पुलिस के घेरों में कहीं कहीं चुनाव हुये हैं उसी तरह से सारे सूबे के चुनाव नल ऐन्ड वायूड हो गये हैं। उससे यही सबक़ मिलता है कि हमारे यहां जिस तरीक़े से जिस मनोवृत्ति से प्लावित होकर आज जन समाज को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं वह मनोवृत्ति कारगर नहीं है। वह हमको नीचे के स्तर पर भी ले जाती है, पतन के गर्त में ले जाती है। हमारी मोरेलिटी को भी कम कर देती है, नीचे गिरा देती है। तो इन तमाम खामियों को दूर करने के लिये जो पुराना सिस्टम था ओल्ड बैलट फ़ाड्स का उसको हमें दूर करना है और, श्रीमन्, उसको अगर वर्तमान् स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री महोदय नहीं दूर करेंगे तो कौन दूर करेगा जिनको कि तमाम गौरव प्राप्त है विदेशों के भ्रमण का, इस सदन के सम्मानित मन्त्री महोदय के पद पर आसीन होने और उसके साथ साथ बहुत दिनों तक हम लोगों के साथ रहने का गौरव प्राप्त है। तो, श्रीमन, अगर माननीय मंत्री जी इस युग में इस तरह के सिम्बल सिस्टम को नहीं एडाप्ट करते हैं तो हमें सचमुच में शोक होता है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव में छीछालेदर हुई वही म्युनिसिपैलिटी के

चुनाव में भी होगी। जो कांग्रेस के चुनाव में हुआ वह भारत पर एक कलंक है। श्रीमन्, मैं इसको इसलिये कहता हूं क्योंकि कांग्रेस एक देश की बड़ी राजनैतिक पार्टी है।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन कांग्रेस के एलेक्शन्स के संबंध में नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप की इजाजत से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वे चाहते कौन सा सिस्टम हैं। माननीय मंत्री जी यह क्यों नहीं साफ बताते हैं कि वे कौन सा सिस्टम चाहते हैं ताकि सारा विवाद ही समाप्त हो जाय इतने दिनों से चुनाव होगा, होगा, हो रहा है और माननीय मंत्री जी अभी तक अपनी बुद्धि में यह सफ़ाई ही नहीं कर सकते हैं कि वे कौन सा सिस्टम चाहते हैं। हमें तो यह बहुत आश्चर्यजनक घटना मालूम होती है। इसमें तो वही कहावत आती है "देयर इज़ समथिंग इन दि बाटम" कोई न कोई चीज इसकी बुनियाद में है और जिसको श्रीमान् मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यदि माननीय मंत्री जी उसकी सफाई कर देते तो हम चुपचाप ही रहते। इसलिये मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया कि वह सबसे बड़ी पार्टी है ..

स्वशासन मंत्री श्री मोहनलाल गौतम—प्वाइंट आफ आर्डर सर, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव के संबंध में यह आज्ञा दी है कि उसका जिक्र न किया जाय। फिर भी वह दोहराया जाता है। मैं चाहता हूं कि वह दोहराया न जाय क्योंकि उसकी सफाई देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके उसको न दोहराइये।

श्री राजनारायण—मैं दोहरा नहीं रहा था, मैं केवल उसका रेफरेन्स दे रहा था। अब श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से माननीय मंत्री जी से, बीच में ही बैठकर, चाहूंगा कि वे बतला दें कि कौन सा सिस्टम वे चाहते हैं। यदि वे यह बता दें तो हमारी सफाई हो जायगी और जो तर्क वितर्क हम कर रहे हैं उस तर्क वितर्क में सदन का समय नष्ट नहीं होगा। इतने दिनों से इस चुनाव की चर्चा हो रही है जिस चुनाव को यथाशीघ्र कराने के लिये माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय बहुत ही चिन्तित हैं और बहुत ही लालायित हैं और सदन के समय को भी नष्ट न होने देने का प्रश्न है। तो श्रीमन् क्या मुझे यह अधिकार पूछने का नहीं है आप के जरिये माननीय स्वायत्त मन्त्री महोदय से कि उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सफाई के साथ सोचा कि किस सिस्टम से वोट लिया जायगा, कौन सा सिस्टम अख्तियार किया जायगा। और श्रीमन्, जब माननीय मंत्री महोदय इस तरह से बिना सोचे समझे इस विधेयक को हमारे सदन में प्रस्तुत कर देते हैं तो क्या मैं आप की इजाजत से यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। वोट देने का क्या सिस्टम होना चाहिये, इसी पर सारी लड़ाई है कि जो वोटर हैं वे जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसको वोट दे पा रहे हैं ठीक तरीके से या नहीं। श्रीमन्, जो पहले रूल्स थे और जो अप्लाई हो चुके हैं उनको आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं परन्तु इसके पहले जो आज उसका मानसिक विवेचन है उस मानसिक विवेचन पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि जब मनुष्य का मस्तिष्क ठीक हो जाता है तो आधा काम वहीं समाप्त हो जाता है और जब आदमी को यह बात ज्ञात हो जाती है कि उसे करना क्या है तो उसकी सफाई के बाद मामला बड़ा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है और वह सफाई, श्रीमान्, मैं देता हूं.....।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा एक चीज की ओर याद दिलाना चाहता हूं, यह मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस की है जिससे आप के काम में सहूलियत हो जाय।

"Good temper and moderation are the characteristics of parliamentary language. Parliamentary language is never more desirable than when a member is convassing the opinion and conduct of the opponents in general."

[श्री अध्यक्ष]

अगर कनवेस करना हो तो गुड़ टेम्पर माननीय मंत्री जी का रह सके और विरोधियों का यही तरीक़ा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का है और उसका खयाल रखें जिस वक्त भी भाषण करें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप ने हमें जो अभी बतलाया वह सही है और यह बहुत ही अच्छी बात है । मैं तो भरसक यही कोशिश करता हूं, कि मैं अपने माननीय मंत्री जी को इसतरीके से प्रफुल्लित बदन देखूं, और इस तरह से उन्हें प्रफुल्ल चित्त पाऊं ।

जिस तरीके से मैं जो तरीका उपस्थित कर रहा हूं उसको गहराई के साथ माननीय मंत्री जी समझें और उनको सोचें । इसी तरह, श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमें वह रास्ता बतावें कि आखिर जो हमारे दिमाग में आज यह परेशानी हो गयी है कि माननीय मंत्री जी कौन सा सिस्टम अडाप्ट करना चाहते हैं, यह परेशानी कैसे दूर होगी। मैं खुद परेशान हूं और मैं अपनी परेशानी का इज़हार कर रहा हूं और अपनी परेशानी को लेकर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी परेशानी कैसे दूर हो। फिर जब हम यहां से जायंगे और म्युनिसिपल बोर्ड के तमाम नागरिक मिलेंगे तो वे हमसे पूछेंगे कि क्यों भाई, तुम तो विधान भवन में उपस्थित थे इसकी सफाई क्यों नहीं की, इसका जवाब दो कि तुम हमें किस तरीक़े से वोट ड़लवाने ले चलोगे । तो मैं उनको क्या जवाब दे पाऊंगा । मेरा मुंह बन्द हो जायगा । तो जब मेरा मुंह बन्द हो जायगा, मैं समझता हूं वह माननीय मंत्री के लिये भी शोचनीय है । इसलिये आप की इजाजत से मैं माननीय मंत्री जी से यह ज़रूर निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हमारा मुंह खुलने की परिस्थिति पैदा करें और यह साफ बतावें कि वह कौन सा सिस्टम चाहते हैं । हमने तो साफ बता दिया अपने संशोधन के जरिये, कि हम चाहते हैं सिम्बल सिस्टम या कलर का सिस्टम अख्तियार किया जाय । उसी के साथ साथ, श्रीमन्, हमने दूसरे सूबों के उदाहरण भी दिये। आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, अमेरीका का उदाहरण दिया और अगर आप की इजाज़त होगी, श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष---क्या अब आप खत्म कर रहे हैं ?

श्री राजनारायण---अभी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को सोचने का समय मिल जाय।

श्री राजनारायण---मैं रूल्स कल आप की इजाज़त से पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो इसमें आपको और सोचना बाक़ी है ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ दिसम्बर, १९५२

पी० एस० यू० पी ए० पी---१३२ एल ए---८५०